लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA

DEBATES

[तीसरा सत्र]

Third Session

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12, बुधवार, 29 नवम्बर, 1967/8 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 12, Wednesday, November 29, 1967/Agrahayana 8, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
*331.	विद्रोही नागाओं द्वारा स्थापित प्रतिवर्ती सरकार	Parallel Government established by Naga Hostiles	1619—1621
*332.	नई दिल्ली नगरपालिका	New Delhi Municipal Committee	1621—1626
*333.	क्षेत्रीय संगठन	Parochial Organisations	1626—1633
	अल्प-सूचना प्रश्न Short Notice Question		
*5.	दिल्ली के शिक्षक संगठन की संयुक्त परिषद द्वारा हड़ताल की नोटिस	Strike Notice by Joint Council of Delhi Teachers' Organisations	1633—1644

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
*334.	एजल की स्कूल की इमारत में में आग	Fire to College Building at Aijal	1644
*335.	प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान कार्य	Defence Research Work	1644—1645
*336.	सीमांत क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना	Settlement of Ex-servicemen in Border Area	1645—1646

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
337.	त्रिपुरा में आदिम जाति के लोगों से गैर आदिम जाति के लोगों को भूमि का हस्तांतरण	Alienation of land from Tribals to Non-Tribals in Tripura	1646—1647
338.	भाषायी राज्य	Linguistic States	1647
339.	आयातित दुग्ध चूर्ण का बरामद किया जाना	Seizure of Imported Milk Powder	1647—1648
340.	शिक्षा मन्त्री का रूस का दौरा	Soviet Visit by Education Minister	1648
341.	सिल्चर इम्फाल राजपथ	Silchar Imphal Highway	1648—1649
342.	सुरसन्द में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Violence in Sursand	1649—1650
343.	दिल्ली में सहशिक्षा	Co-education in Delhi	1650
344.	प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय	Copyright convention	1650
345.	नौवहन तथा बन्दरगाह संबंधी समस्यायें	Shipping and Port Problem	1650—1651
346.	साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जांच आयोग	Communal Riots Enquiry Commission	1651—1652
349.	निजी थैलियां	Privy Purses	1652
350.	दिल्ली पुलिस	Delhi Police	1653
351.	विज्ञान तथा टेक्नोलोजी की राष्ट्रीय अकादमी	National Academy of Sciences and Technology	1653
352.	हथियारों के लिये परमिट	Permits for Arms	1653—1654
353.	जम्मू के लिये स्वायत्तता	Autonomy for Jammu	1654
354.	जम्मू और काश्मीर में जासूसों के गिरोह	Spy Rings in Jammu and Kashmir	1654—1655
355.	आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak. Infiltration in Assam	1655
356.	डेनियल वालकट का स्काई-मास्टर विमान	Skymaster of Daniel Walcot	1655—1656
357.	बलगेरिया के प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा	Bulgarian Delegation's visit to India	1656
358.	आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam	1656—1657
359.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	Central Vigilance Commission	1657

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
360. कोचीन पत्तन	Cochin Port	1657—1658
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. Q. Nos.		
2211. पर्यटकों के लिये होटल	Tourist Hotel	1658
2212. आग्नेयास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Fire Arms	1658—1659
2213. नक्सलबाड़ी संग्राम समिति	Naxalbari Sangram Committee	1659
2214. गुजरात के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धन	Allocation for central Road Fund to Gujarat	1659
2215. गुजरात उच्च न्यायालय में अनिर्णित मुकदमे	Cases Pending in Gujarat High Court	1659
2216. गुजरात में विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists in Gujarat	1660
2217. गुजरात में इंजीनिरिंग कालेज	Engineering Colleges in Gujarat	1660
2219. सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age	1660—1661
2220. राजनैतिक पीड़ितों को सहायता	Assistance to Political Sufferers	1661—1662
2221. ग्रामीण संस्थायें	Rural Institutes	1662
2222. दिल्ली के कालेजों में विद्यार्थी	Students in Delhi Colleges	1662
2224. काशी विद्यापीठ को अनुदान	Grants to Kashi Vidyapeeth	1662—1663
2225. तामिल भाषिओं के लिये अन्दमान में स्कूल	Schools in Andaman for Tamilians	1663
2226. यात्रियों की कलकत्ता यात्रा का रद्द किया जाना	Cancellation of Visits of Ministers to Calcutta	1663
2227. राष्ट्रीय भूमौतिक अनुसन्धान संस्था	National Geophical Research Institute	1664
2228. मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Minister's visit Abroad	1664
2229. नागा क्षेत्रों का विलय	Merger of Naga Areas	1664—1665
2230. 24 अगस्त को बंगाल बन्द	Bengal Bandh on 24th August, 1967	1665
2231. योजना की परियोजनाओं का मूल्यांकन	Evaluation of Plan Projects	1665
2232. केन्द्रीय सरकार की छुट्टियां	Central Government Holidays	1665—1666
2233. हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyrad Vishakhapatnam	1666

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2234.	बंगलौर के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समन्वय समिति का परिपत्र	Circular letter from co-ordinating Committee of Central Government Employees, Bangalore	1666—1667
2235.	पंचायती राज संस्थाएं	Panchayati Raj Institutions	1667—1668
2236.	दीर्घावकाश की अवधि में छात्रों के लिये रोजगार	Employment for Students During Vacations	1668
2237.	विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries	1668
2238.	पांडीचेरी में केन्द्रीय अधिनियमों को लागू करना	Extension of Central Acts to Pondichery	1669
2239.	विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries	1669
2240.	शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर व्यय	Expenditure on Education Commission Report	1669
2241.	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये केन्द्रीय आयोग	Central Commission for enquiry into charges against former Chief Minister of Orissa	1670
2242.	भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएं	Indo-Pak. Air Talks	1670
2243.	अतिथि भवन, चण्डीगढ	Guest House, Chandigarh	1670—1671
2244.	हिन्दुओं से भिन्न धर्मावलम्बियों की जनसंख्या में वृद्धि	Increase in Non-Hindu Population	1671—1672
2245.	भारतीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वाणिज्यिक फर्मों के हिसाब किताब	Auditing of Accounts of Commercial Firms by the Indian Audit Department	1672
2246.	दिल्ली में सड़कें	Roads in Delhi	1672—1674
2249.	पटना हवाई अड्डे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के काम करने के घंटे	Working Hours of Class IV Staff	1674
2250.	छात्रों में उपद्रवों के कारण केन्द्रीय सरकारी सम्पत्ति की हानि	Loss of Central Government property due to Students' riots	1674—1675
2251.	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी	Freedom Fighters	1675
2253.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	Hindustan Shipyard	1675—1676
2254.	बम्बई मारीशस हवाई सेवा	Bombay Mauritius Air Service	1676

अंता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2255.	उच्चतम न्यायालय की भाषा	Language of Supreme Court	1676
2256.	मणिपुर सरकार के कर्मचारियों को महँगाई भत्ता	Dearness Allowance to Manipur Government Employees	1676—1677
2258.	कोट्टयम वेतचूर सड़क	Kottayam Vetchoor Road	1677
2259.	विश्वविद्यालयों में अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष	Honorary Librarian in Universities	1677—1678
2261.	पाठ्य पुस्तकें	Text Books	1678
2262.	दिल्ली परिवहन उपक्रम के यात्री पर प्राइवेट बसें	Private Buses on DTU Routes	1679
2263.	नीन्दकारा पुल	Neendakara Bridge	1679
2264.	क्विलोन में उपमार्ग का निर्माण	Construction of by pass Road at Quilon	1679—1680
2265.	विक्रम जयन्ती	Vikram Jayanti	1680
2266.	भारत में खेल का स्तर	Standard of Sports in India	1680
2267.	रांची में दंगों के दौरान बरामद हुए बम	Bombs recoverd during Ranchi Riots	1680—1681
2268.	चण्डीगढ़ में सरकारी रिहायशी क्वार्टर	Government residental accommodation in Chandigarh	1681—1682
2269.	भारत और मोरशस के बीच विमान सेवा	India Mauritius Air Service	1682
2270.	पश्चिम बंगाल में सेना की सहायता ली जाना	Assistance of Army in West Bengal	1682—1683
2271.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली	Translation work in Scientific and Technical Terminology Commission	1683
2272.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate	1683
2273.	हिन्दी निदेशालय में तकनीकी कर्मचारी	Techinical Staff in Hindi Directorate	1683—1684
2274.	प्रमाणिक (स्टैन्डर्ड) पुस्तकों का अनुमान	Translation of Standard Books	1684
2275.	शिक्षा मन्त्री का रूस का दौरा	Soviet visit by Education Minister	1684
2276.	त्रिपुरा के आदिम जातीय क्षेत्र	Tribal Areas of Tripura	1684—1685
2277.	मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ (डिवीजन बेंच) स्थापना	Location of a Division Bench of Allahabad High Court at Meerut	1685

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2279.	मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों के लिये सुविधायें	Facilities for Middle Income Tourists	1685
2280.	बिहार के इंजीनियर	Bihar Engineers	1685—1686
2282.	दिल्ली परिवहन द्वारा बस के किराये में वृद्धि	Increase in Bus fare by DTU	1686
2283.	विद्रोही नागाओं द्वारा हाई स्कूल जलाया जाना	Burning of High School by Mizos	1686—1687
2284.	पाकिस्तान से भारत आये हिन्दू	Hindu Migrants from Pakistan	1687
2285.	चम्पाई में विद्रोही मिजो लोगों द्वारा गोली चलाया जाना	Mizo Firing in Champai	1687—1688
2286.	केन्द्रीय हिन्दी समिति	Central Hindi Committee	1688
2287.	इतिहास में क्रान्तिकारियों का स्थान	Place of Revolutionaries in History	1688
2288.	भारत में ईसाइयों की जनसंख्या	Christian population in India	1688
2289.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा Dece	ntralising of Central Sercretariat Service	1689
2290.	हिल्टन्स के सहयोग से भारत में होटलों की स्थापना	Hotels in India with Collaboration of Hiltons	1689
2291.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग में रिक्त पद	Vacancies in Scientific and Technical Terminology Commission	1689
2292.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Scientfic and Technical Terminology Commission	1690
2293.	सूखी गोदी की सुविधाएं	Dry Dock Facilities	1690
2294.	राजनैतिक पेंशन	Political Pensions	1691
2295.	अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा	Compulsory National Service	1691
2296.	अन्दमान द्वीप समूह	Andaman Island	1691—1692
2297.	डाकरीनाला पुल	Dokrinala Bridge	1692
2298.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12	National Highway No. 12	1692—1693
2299.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	National Discipline Scheme	1693
2300.	पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स के भूतपूर्व कर्मचारी	Ex-Employees of Pakistan International Airlines	1694

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2301.	भारतीय नौवहन निगम	Shipping Corporation of India	1694
2302.	राजनैतिक बन्दी	Political Prisoners	1695
2303.	शिक्षा के एक समान आधार	Uniform basis for Education	1695
2305.	मेसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल	M/s Amin Chand Pyare Lal	1695—1696
2306.	दिल्ली परिवहन की बसें	DTU Buses	1696
2307.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों द्वारा यात्रा	Passengers carried by IAC	1696—1697
2308.	व्यवसाय प्रधान शिक्षा	Vocation oriented Education	1697
2309.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में वार्षिक उत्पादन	Annual Production at Hindustan Shipyard	1697
2310.	पाकिस्तानी एजेन्ट	Pak Agents	1698
2311.	निवारक निरोध अधिनियम और भारत प्रतिरक्षा नियम	Preventive Detention Act and DIR	1698—1699
2312.	गृह-कार्य मन्त्रालय में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी	Employees on Deputation to the Ministry of Home Affairs	1699
2313.	केन्द्र में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D.A. to employees on Deputation at Centre	1699
2314.	मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी ध्वज फहराया जाना	Hoisting of Pak Flag in M.P.	1699—1700
2315.	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Enquiries against Government Employees	1700
2316.	लद्दाख हायर इंस्टीटयूट, दिल्ली	Ladakh Higher Institute, Delhi	1700—1701
2317.	तिहाड़ जेल में कैदियों का स्थानान्तरण	Transfer of Persons from Tihar Jail	1701
2318.	तिब्बती छात्रों के लिये स्कूल	Schools for Tibetan Students	1701
2319.	विदेशी लोग	Foreigners	1702
2321.	राजनैतिक पीड़ित	Political Sufferers	1702—1703
2322.	परिवाहन करारोपण समिति	Transport Taxation Inquiry Committee	1703
2323.	उड़ीसा के मुख्य मन्त्री	Chief Minister of Orissa	1703—1704
2324.	दिल्ली में बच्चों का अपहरण	Child Lifting in Delhi	1704
2325.	राजस्थान की यात्रा करने वाला विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists who visit Rajasthan	1704—1705

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2326.	जीव विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Biological Laboratory	1705
2327.	पर्यटकों से हवाई अड्डा शुल्क	Airport charges on Tourists	1705—1706
2328.	इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation	1706
2330.	अंदमान जेल	Andaman Jail	1707
2331.	कलकत्ता / जापान व्यापार में दोहरी संविदा प्रणाली	Calcutta/Japan Trade System	1707
2332.	एयर इंडिया के लिए पराध्वनिक विमान	Supersonic Aircraft for Air India	1707—1708
2333.	पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Illegal Entry of Pakistanis	1708
2334.	दिल्ली में अनधिकृत शराब बनाने वाली भट्ठियां	Unauthorised Distilleries in Delhi	1708 -1709
2335.	त्रिपुरा पुलिस के एक सिपाही का पाकिस्तान भाग जाना	Escape of a Tripura Constable to Pakistan	1709
2336.	दिल्ली की सरकारी पोलिटेक्निक संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्तियां का दिया जाना	Grant of Scholarships to Students of Government Polytechnic Institutes in Delhi	1709—1710
2337.	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों संबंधी अभिलेख	Records of Freedom Fighters	1710
2338.	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों संबंधी अभिलेख	Records of Freedom Fighters	1710
2339.	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Himachal Pradesh	1710—1711
2340.	कांगड़ा घाटी में होटल	Hotels in Kangra Valley	1711
2341.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भ्रष्टाचार सम्बन्धी समिति	UGC Committee on Corruption	1712
2342.	सतर्कता सम्बन्धी मामले	Vigilence Cases	1712
2343.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	Central Vigilance Commission	1712—1713
2344.	भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाही	Disciplinary proceedings against IAS Officers	1713
2345.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	Central Vigilance Commission	1713

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2346.	पारादीप पत्तन के कर्मचारियों की सेवा छोड़कर जाना	Flight of personnel from Paradeep Port	1714
2347.	पारादीप पत्तन से लौह अयरक का निर्यात	Iron ore Exported Through Paradeep Port	1714
2348.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	1715
2349.	पत्तनों के लिये सुरक्षा दल	Security Force for ports	1715
2350.	जम्मू और काश्मीर में पुलिस	Police Excesses in Jammu and Kashmir	1715—1716
2351.	विद्रोही मिजो लोगों के साथ मुठभेड़	Clashes with Mizo Hostiles	1716
2352.	विदेशी धार्मिक मिशनों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल	Schools run by foreign Missions	1716
2253.	अश्लील इश्तहार	Obscene Posters	1716—1717
2354.	दिल्ली में विदेशी लोग	Foreigners in Delhi	1717
2355.	नेशनल फिटनेस कोर	National Fitness Corps	1717
2356.	कलकत्ता में पानी के पाइपों की दशा	Condition of Water Pipes in Calcutta	1717—1718
2357.	विदेशी धर्मप्रचारक	Foreign Missionaries	1718
2358.	भूतपूर्व नरेश	Ex-Rulers	1718—1719
2359.	उच्च शिक्षा के ग्रामीण संस्थान सुन्दर नगर, बिहार	Rural Institutes of Higher Studeis, Sundernagar (Bihar)	1719
2360.	संघ लोक सेवा आयोग	Union Public Service Commission	1719—1720
2361.	विमान दुर्घटना की जांच	Plane Accident Enquiry	1720
2362.	पश्चिमी जमनीं से जहाज	Ships from West Germany	1720—1721
2363.	महाराष्ट्र में नये विश्वविद्यालय	Additional Universities in Maharashtra	1721
2364.	राजमन्नार आयोग	Rajamannar Commission	1721
2365.	मनीपुर के स्कूलों के अध्यापकों की प्रतिनियुक्त	Manipur School Teachers on Deputation	1721—1722
2366.	अनुभाग अधिकारियों के पद के लिये पदोन्नति	Promotion as Section Officers	1722
2367.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी	C.S.S. Section Officers	1722—1723

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2368.	असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्टस (आर० टी० ई०) अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्ति	Asstt. Supdt. (RTE) Appointment as S. O.	1723
2370.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पद	Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1723—1724
2372.	मथुरा में खुदाई	Excavation at Mathura	1724
2373.	कांगड़ा जिले का विभाजन	Bifurcation of Kangra District	1724—1725
2374.	उड़ीसा के अध्यापकों के वेतन मान	Salary Scales for Orissa Teachers	1725
2375.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	1725—1726
2376	मैसूर राज्य के ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की देखभाल	Maintenance of Historical Monuments of Mysore State	1726
2377.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	1726—1727
2378.	मुजफ्फरपुर तक विमान सेवाएं	Air Services to Muzaffarpur	1727—1728
2379.	विद्रोही मिजो लोगों द्वारा अनिवार्य भर्ती	Conscription by Rebal Mizos	1728
2380.	मनीपुर विधान सभा	Manipur Assembly	1728—1729
2382.	ताज के इर्दगिर्द बाग	Garden Around Taj	1729
2383.	केरल में राष्ट्रीय राजपथ का कार्य	National Highway Works in Kerala	1729
2384.	उड़ीसा को बालिकाओं की शिक्षा के लिये सहायता	Assistance to Orissa State for Girls Education	1729—1730
2385.	दैवी विपत्तियों वाले क्षेत्रों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ	Stipends to Students of Areas Subject to Natural Calamities	1730
2386.	संगीत नाटक अकादमी	Sangeet Natak Academy	1730—1731
2387.	कोचीन पत्तन	Cochin Port	1731
2389.	इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के इंजीनियरों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike Threat by IAC Engineers	1732
2390.	इम्फाल दीमापुर सड़क पर गैर सरकारी बसों का चलाना	Private Bus operation on Imphal Dimapur Road	1732

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2391.	हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाया जाना	Raising of Status of Himanchal Pradesh	1732
2392.	लालडेंग पाकिस्तान में	Lal Denga in Pakistan	1733
2393.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो	Central Bureau of Investigation	1733—1734
2394.	पालम हवाई अड्डे पर भोजन व्यवस्था	Catering Arrangements at Palam Airport	1734
2395.	केरल में छोटे पत्तन	Minor Ports in Kerala	1734—1735
2396	विमान यात्रा के दौरान गण्य-मान्य व्यक्ति और मंत्रीगणों के विशेषाधिकार	V.I.Ps. and Ministers' privileges during Air Travel	1735
2397.	विमान यात्रा के दौरान मन्त्री-गणों के विशेषाधिकार	Minister's privileges during Air Travel	1735—1736
2398.	हनगथियालट गांव में मिजो विद्रोहियों का हमला	Mizos attack on Hangathialat Village	1736
2399.	पारादीप पत्तन के लिये एक्स-प्रेस हाईवे	Express Highway to Paradeep port	1736
2400.	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 का निर्माण	Construction of National Highway No. 5 in Orissa	1736—1737
2401.	भूमिगत ईसाई मुक्ति परिषद	Underground Christian Salvation Council	1737
2402.	मनीपुर में बस पर आक्रमण	Attack on Bus in Manipur	1737—1738
2403.	मोटर गाड़ियों सम्बन्धी विधि	Motor Vehicles Law	1738
2404.	अन्दमान प्रशासन में प्रति-नियुक्ति पर गये व्यक्ति	Deputationists in Andaman Admini-strationon	1738—1739
2405.	अन्दमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay	1739
2407.	कार निकोबार में गुम हुई चिपटी नौका	Pontoon Lost in Car Nicobar	1739—1740
2408.	राष्ट्रीय राजपथ निर्माण कार्य	National Highway Works	1740
2409.	मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ निर्माण कार्य	National Highway Works in Mysore	1740—1741
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1741—1742

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अनुदानों की अनुपूरक माँगे (सामान्य), 1967-68	Demands for Supplementary Grants (General), 1967-68	1742
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	1742—1743
गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति 15 वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions Fifteenth Report	1743
करारोपण विधियों (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	1743—1744
खण्ड 2 से 6 और 1	Clauses 2 to 6 and 1	1744—1745
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री मधुलिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D.N. Patodia	
श्री स० मो० वनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में	Re. Situation in West Bengal	1745—1755
अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक	Essential Commodities (Second Amendment) Bill	1755—1760
प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee	
श्री शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
देश में खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Food Situation in the country	1760—1761
श्री अन्ना साहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
केन्द्रीय सरकार के निवृत्ति-वेतन भोगियों को मँहगाई भत्ता दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half an hour Discussion Re. Grant of D.A. to Central Government Pensioners	1761—1764
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 29 नवम्बर, 1967/8 अग्रहायण, 1889 (शक)

Wednesday, November 29, 1967/Agrahayana 8, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

विद्रोही नागाओं द्वारा स्थापित प्रतिवर्ती सरकार

* 331. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही सशस्त्र नागाओं ने मनीपुर के माओ उपखण्ड में प्रतिवर्ती सरकार स्थापित कर ली है और वे चारों ओर के गांवों के लोगों से गृह-कर वसूल रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इम्फाल-दीमापुर सड़क पर कांग्पोक्पी में विद्रोही नागाओं ने एक दूसरी प्रतिवर्ती सरकार स्थापित कर ली है तथा इसके सशस्त्र प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों से कर वसूल करने आरम्भ कर दिये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्रोही नागाओं ने एक तीसरी प्रतिवर्ती सरकार भी स्थापित कर ली है जो प्रति लाइसेंस 25 रुपये से लेकर 500 रुपये तक लाइसेंस शुल्क लेकर व्यापारियों को लाइसेंस दे रही है ;

(घ) आज इस प्रकार की कितनी प्रतिवर्ती नागा सरकारें अस्तित्व में है और वे सरकारें किन-किन क्षेत्रों में शासन कर रही है ; और

(ङ) सरकार के साथ बातचीत करने के लिए आने वाले विद्रोही नागाओं की स्थिति उनकी विभिन्न प्रतिवर्ती सरकारों के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) तक ऐसी कोई प्रतिवृति सरकार नही है । मनीपुर के कुछ भागों में स्थानीय निवासियों तथा व्यवसायियों से धन वसूल किये जाने के उदाहरण सरकार के सामने आये हैं ।

(ङ) वे भारतीय नागरिक हैं और उनकी कोई अधिकारिक स्थिति नहीं है ।

श्री बाबू राव पटेल : इस बात को देखते हुए कि इस क्षेत्र में हुई गड़बड़ी की सारी जिम्मेदारी ईसाई धर्मप्रचारकों पर है ; क्या सरकार इस क्षेत्र से ईसाई धर्मप्रचारकों को वापस बुलाने और तब इस समस्या के बारे में विद्रोही नागाओं से बातचीत करने की संभाव्यता पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : कुछ धर्मप्रचारक संस्थाओं पर कुछ आरोप लगाये गये है । जब भी हमने जाँच की है और यदि कुछ आदमियों को जिम्मेदार पाया गया है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । मैं किसी एक ईसाई धर्मप्रचारक पर सारा दोष नहीं लगाना चाहता ।

श्री बाबू राव पटेल : बहुत समय पहले कार्यवाही करने का यह वचन दिया गया था । बिहार में एक अमरीकी धर्मप्रचारक रिवरेंड रीलै ने कहा है कि भारत सरकार तथा अमरीकी सरकार के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत ईसाई धर्मप्रचारकों को अबाध रूप से धर्मपरिवर्तन कराने तथा राजनैतिक कार्य करने की छूट दी गई है । नागालैंड में ईसाई धर्मप्रचारक एक छोटा सा अमरीकी ईसाई राज्य स्थापित करने के बहुत इच्छुक हैं और जब तक इन धर्मप्रचारकों को निकाल बाहर नहीं किया जाता, तब तक कोई समझौता होना असंभव है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कम से कम कुछ समय के लिये इन धर्मप्रचारकों को बाहर निकालने और तब समझौता वार्ता करने की संभाव्यता पर विचार करेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सामन्यतया ईसाई धर्म प्रचारकों के सम्बन्ध में और विशेषतया विदेशी धर्म प्रचारकों के सम्बन्ध में सरकार गत कुछ वर्षों से एक विशेष नीति का पालन कर रही है । इस नीति का सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ सुरक्षा को खतरा हो सकता है, कठोरता से पालन किया जा रहा है तथा उन के विरुद्ध अब भी कठोर कार्यवाही की जाती है । परन्तु अन्य क्षेत्रों के बारे में हम प्रत्येक मामले की जाँच उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं तथा हमारा रवैया कुछ उदार ही होता है ।

श्री बाबू राव पटेल : उन्होंने भारत सरकार तथा अमरीक सरकार के बीच हुए करार के बारे में कुछ नहीं बताया है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने एक ऐसा वक्तव्य पढ़ा है, जिसके बारे में कहा गया है

कि वह किसी धर्मप्रचारक द्वारा दिया गया है । यह बिल्कुल निराधार आरोप है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस ने यह वक्तव्य दिया है, अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Manibhai J. Patel: I would like to know from the Hon. Minister as to how many times these Nagas or their leaders were invited to Delhi during the British rule? You are inviting them here unnecessary and they make a political game of your invitation.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहाँ तक वार्ता के लिये यहाँ आने वाले लोगों का सम्बन्ध है अवश्य ही वे हमारे निमंत्रण पर आते है तथा हम जानबूझ कर इस नीति का पालन कर रहे हैं । मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है ।

Shri Manibhai J. Patel: Mr. Speaker, Sir, my submission is that their leader are often invited here and when they do not get a reply to their satisfaction, they raise a hue and cry here. I want to know as to why this wrong policy is being followed?

Shri Y. B. Chavan: I have understood the Hon. Member's point of view. But it is Government's policy to invite them negotiations and I do not think there is anything wrong about it.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि लंदन में श्री फिजो ने कहा है कि भूमिगत नागाओं और प्रधान मंत्री के बीच वार्ता के अन्तिम दौर के असफल होने से नागाओं की भारत के विरुद्ध वास्तविक लड़ाई आरम्भ हो गई है और विद्रोही नागाओं ने इस वक्तव्य के अनुसरण में मनीपुर क्षेत्र में अपने सैनिक कैम्पों का विस्तार कर लिया है ? उखरुल से आधे मील के अन्दर ही उन्होंने अपना सैनिक कैम्प स्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि भूमिगत नागाओं के इस आन्दोलन को आरम्भ में ही खत्म करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, चूंकि नागाओं को एक राज्य दे दिया गया है और वह राज्य इस लिये स्थापित किया गया था कि नागालैंड में शांति रहेगी ? परन्तु नागालैंड की स्थापना के बाद भी वहाँ शांति नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विद्रोही नागाओं के विरुद्ध इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध कठोर तथा कड़ी कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा नागा समस्या और उस के प्रति हमारे रवैये का इस सभा में कई बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है । स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । श्री फिजो के रवैये को हम सब जानते हैं।

उस का रवैया भारत विरोधी है और उसे शायद सरकार और विद्रोही नागाओं के बीच चल रही वार्ता तथा युद्ध विराम का करार पसन्द नहीं है । परन्तु हमारा अनुमान यह है कि युद्ध विराम का उपयोगी परिणाम प्राप्त हुआ है और नागालैंड में शांति है । यह भी सच है कि मनीपुर जिले के कुछ सब डिवीजनों में हाल में कुछ गतिविधियों का पता चला है। मनीपुर प्रशासन तथा सुरक्षा दल वहां उचित कार्यवाही कर रहा है ।

डा० सुशीला नायर : महोदय, इस सभा में प्रायः इस बात पर आपत्ति की गई है कि नागालैंड की समस्यायें वैदेशिक कार्य मंत्रालय क्यों सौंप रखी हैं। हमें यह भी आश्वाशन दिलाया गया था कि इन्हें गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपा जायेगा। देश के अन्दर ही जब अन्तर्राज्यीय मामलों का निबटान वैदेशिक कार्य मंत्रालय करता है, तो इससे विशेष भ्रांति फैल जाती है। मैं जानना चाहती हूँ कि गृह कार्य मंत्रालय इस मामले को वैदेशिक कार्य मंत्रालय से कब अपने हाथ में ले लेगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण: इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri A. B. Vajpayee: Mr. Speaker, the underground Naga leaders during their talks with Government of India, when they were in Delhi, have taken a new stand. They have stated that they want an independent status out of Indian Union. The Government of India is stressing the point that any solution Can only be found out within the constitution of India. This shows that there is great difference between these two points of view and when there is so much difference in the two stands and I want to pnow what is the common stand on which negotiations are going on?

Shri Y. B. Chavan: There can not be any other stand except that the solution can be found out within the frame work of Indian Union.

यह एक आधारभूत बात है तथा इसके बारे में दो रायें हो ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त वार्ता सम्बन्धी अन्य बातों के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय से प्रश्न पूछें जायें, क्योंकि मुझे अन्य बातों की जानकारी नहीं है।

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या यह सच है कि नागाओं ने एक मिशन स्कूल पर हमला कर दिया, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा है था। क्या यह भी सच है कि भूमिगत विद्रोही नागाओं द्वारा पांच पादरियों का अपहरण कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने रविवारीय प्रवचन में वे बातें नहीं कही, जिन्हें विद्रोही नागा कहलाना चाहते थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उस विशेष घटना की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि अब भी 200 से 300 के जत्थों में विद्रोही नागा नियमित रूप से सीमा पार कर के पूर्वी पाकिस्तान में जाते रहते हैं और वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद तथा शायद चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्र में वापस आ जाते हैं और यहां वापस आ कर विभिन्न प्रकार से भारत संघ के विरुद्ध घृणा का प्रचार करते है तथा भारत के विरुद्धसशस्त्र संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं, और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये लोग सीमा पार करके पाकिस्तान न जा सकें, क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है और क्या कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही को गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुके हैं और यह बताया गया है कि ऐसे जत्थों को सीमा पार करके पाकिस्तान जाने से रोकने के लिये समय समय

पर पर्याप्त कार्यवाही की गई है। तो भी छोटे छोटे दलों में वे कभी कभी नजर आ जाते हैं।

श्री हेम बरुआ : 300 व्यक्तियों का दल छोटा तो नहीं होता।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हो सकता है उनकी अन्तिम संख्या 300 हो, परन्तु वे 300 के जत्थे में सीमा पार नही करते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप वहाँ धारा 144 लागू नहीं कर सकते ? आप बार-बार दिल्ली में यह धारा लागू करते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि वहाँ धारा 144 लागू भी की जाये, तो माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है।

Shri M. A. Khan: May I know whether the Naga hostilers have refused to hold talks with Government of India on any condition except that they will be given a separate state out of India? I want to know if it is a fact as to how Government of India wants to continue their negotiations with them?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विस्तृत बातचीत की मुझे जानकारी नहीं है। परन्तु निस-न्देह यह एक मूल प्रश्न है और उन्हें भारत से अलग करने के बारे में कोई बातचीत हो ही नहीं सकती।

Shri M. A. Khan: Mr. Speaker, they have to totally refused to hold any talks with Government of India except on the condition that they will be given a separate state out of India. So the question of holding any talks does not arise.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं है।

Shri O. P. Tyagi: I want to know the total population of Naga land and the number out of them who are hostile and want to have an independent Naga land? Is it known to Government that only one fourth population Nagaland is hostile and their three fourth population does not want to have separate independent Nagaland? I want to know whether Government keeps in view the sentiments of loyal Nagas while holding such talks?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मूल रूप से नागाओं की भारत में निष्ठा है। इस बात में कोई सन्देह ही नहीं है। यह स्वभाविक है कि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यह निष्ठा और सुदृढ़ हो।

श्री वेदव्रत बरुआ : बहुत समय से नागा समय की मांग करते रहे हैं और इस बीच अपना झंडा फहरा कर तथा कई अन्य तरीकों से अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते रहे हैं। अब हमने "युद्ध-विराम" शब्द का प्रयोग किया है, जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किया जाता है। नागा लोग पाकिस्तान चले गये हैं और यह भी समाचार मिले है कि उन्होंने पाकिस्तान और चीन से मांग की है कि उनकी फैडरल सरकार को मान्यता दी जाये। क्या ऐसी स्थिति को

जारी रखना तथा उनकी फैडरल सरकार को अपरोक्ष रूप से मान्यता देना, जैसा कि इस समय किया जा रहा है, खतरनाक नही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उनकी फैडरल सरकार को कोई मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न पर पहले भी कई बार विचार विमर्श हुआ था तथा संसद् सदस्यों का मिशन भी वहाँ गया था और उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया था कि विचार विमर्श के बहुत उपयोगी परिणाम निकले हैं ।

श्री हेम बरुआ : यह तो वर्ष 1965 की बात है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हो सकता है कि यह बात वर्ष 1965 की हो, परन्तु हमें जो परिणाम प्राप्त हुए हैं , वह स्थायी है । हमने इस तथ्य को ध्यान में रखा है । केवल तकनीकी परिभाषाओं के आधार पर बातें करने से कोई लाभ नहीं होता ।

Shri S. M. Joshi: I want to know from the Hon. Minister whether the loyal Nagas are taken into confidence by Government of India while having negotiations with hostile Nagas?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी हां ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या भारत से सीमा पार करके पाकिस्तान जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोकना संभव नही है ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या वे उन उपायों से संतुष्ट है जो वह सुनिश्चित करने के लिये किये गये है कि सीमा पार करके जाना सरल न रहे ? इस दशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जब तक मैं सीमा पार करके जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न रोक सकूँगा, मुझे सतोष नहीं होगा । परन्तु यह मेरे संतोष की बात नहीं है । सवाल यह है कि क्या किया जाना संभव तथा व्यवहारीय है और हम क्या कुछ कर सकते हैं । हम जितना कुछ कर सकते हैं, अधिक से अधिक कर रहे हैं ।

श्री गिरिराज शरण सिंह : राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन क्षेत्रों में ऐसे राष्ट्र विरोधी धर्म प्रचारकों को प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाती, जो वहां गड़बड़ी फैलाते हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, केवल सन्देह होना ही पर्याप्त है ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि भूमिगत नागाओं ने नागा राजधानी के बहुत ही समीप अपने सैनिक मुख्यालय स्थापित किये हैं ? ये समाचार हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : उन्हें इसकी जानकारी है । संसद् सदस्यों के एक दल ने उस मुख्यालय को देखा है । वह कोहिमा से छः मील दूर है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आरोप लगाया गया है कि यह नागा विद्रोह अमरीकी पेन्टागन के आदेशों के अधीन सी० आई० ए० द्वारा संगठित किया गया है...(**अंतर्बाधा**)...यदि ऐसी बात है तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार विभिन्न स्थानों से प्रकाशित इन आरोपों की जांच कर रही है !

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि सी० आई० ए० का इसके साथ कोई सम्बन्ध है । मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की समस्याओं के बारे में सी० आई० ए० का क्या विचार है । मै सी० आई० ए० की ओर से तो कुछ नहीं कह सकता परन्तु मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि सी० आई० ए० का इसके साथ कोई सम्बन्ध है । मेरा विचार है कि इसकी चिन्ता कम कर दी जाये तो अच्छा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इससे आपको चिढ़ लगती है ।

श्री अंडाकर सूपाकर : यह धारणा है कि अज्ञात वासी नागा लोग शान्तिप्रिय नगाओं से अधिक लोकप्रिय हैं और उनका अधिक प्रचार किया गया है तथा शान्तिप्रिय नागाओं की अपेक्षा उनकी केन्द्रीय सरकार के अधिक मित्रता का सम्बन्ध है । इसका क्या कारण है !

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता ।

Shri Y. S. Kushwah: Are Government aware of the fact that most of the Adivasis in Assam want to live peacefully and also want to remain in the Indian Union. These days they are very much disappointed to see that disregard to being shown to their patriotic feelings and preference is being given by the Government of India to those Naga who do not want to remain in the Indian Union. Keeping this in view whether Government would take any suitable action to the effect that negotiations with the underground Nagas would be continued only on the condition that they accept to remain in the Indian Union?

Shri Y. B. Chavan: It is already so. There is no doubt in that negotiations would not be continued without this condition.

श्री दी० चं० शर्मा : इस नागा समस्या को अब तक तीन प्रकार के हल करने का प्रयत्न किया गया है । एक तो प्रधानमंत्री और तथा कथित विद्रोही नागाओं के नेताओं के बीच किया गया राजनयिक प्रयत्न था । अपनी पिछली यात्रा में वो दिल्ली से एक घपले में चले गये क्योंकि प्रधान मंत्री उनसे नहीं मिलीं और इसलिए भी जिस हैदराबाद हाउस में वे ठहराये गये थे उसे उन्हें खाली करने को कहा गया । इस प्रकार इस राजनयिक प्रयत्न से तो समस्या का क्या ही हल निकल सकता था । फिर आती है राजनैतिक प्रयत्न की बात हमने केवल 3 लाख की आबादी वाले नागाओं को एक राज्य बनाने का विशेषाधिकार दिया । परन्तु उससे भी वे संतुष्ट नहीं हुए । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सेना को राष्ट्रभक्त नागाओं की रक्षा करने और तथा कथित विद्रोही नागाओं की गैर कानूनी, और राजद्रोहात्मक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करने की छूट दी जायेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछते हुए थोड़ी एतिहासिक

पृष्ठभूमि भी दी है परन्तु उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि वहाँ सैनिक प्रयत्न भी असफल रहे हैं । मैं यह तो नहीं कहूँगा कि राजनयिक अथवा राजनैतिक प्रयत्न विफल हुए हैं। नागालैंड में स्थिति ठीक होती जा रही है और यह सब राजनैतिक प्रयत्नों के कारण ही हैं। आखिर हमें यह तो देखना ही है कि नागा भी भारतीय लोग हैं और उनका जो भी झगड़ा हमारे साथ है वह राजनैतिक आधार पर ही तय किया जा सकता है ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों की सरकार और चीन सरकार के बीच कोई बातचीत चल रही है कि वह इस सरकार को मान्यता दे और क्या इस प्रयोजन के लिये बामपंथी साम्यवादियों के प्रयत्नों का उपयोग किया जा रहा है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सच है कि कुछ लोग चीनियों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे । परन्तु इस सरकार को हमारे द्वारा या चीनियों के द्वारा भी मान्यता दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे चाहे जो कुछ भी करें, मैं समझता हूँ कि हमें इसे अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : The Hon. Minister has stated that there is no parellel Government there. But you will see that firstly its name Nagaland includes the English word land, Secondly its administration comes under the jurisdiction of the Ministry of External Affairs and thridly cease-fire takes place.

Even of there is rebellion the Central Government could give assistance to the Nagaland Government for crushing that rebellion. It is also claimed that there is a Federal Government of Nagaland, which has a Prime Minister and a President. They also celebrate their Republic day. All these things appear in press. Inspite of all this they come to Delhi for negotiations and the people all over the world know these things.

Then it is said that the negotiations have come to a difficult and a delicate stage. The House must be taken into confidence. The Hon. Minister has stated it has close relation with India that that it is an integral part of India. May I know as to how long these negotiations would continue and for how long the date of cease-fire would be extended like this?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले बता चुके हैं कि उनका इस बातचीत से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे कोई उत्तर नहीं देना है ।

श्री बलराज मधोक : श्री मान्, उनके आपके संरक्षण की आवश्यकता नहीं है । वह अपना बचाव स्वयं करने के लिये काफी मजबूत हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा था मैंने उसे दुहराया भी है । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वह नहीं जानते कि बातचीत किस स्थिति पर है ।

श्री जगन्नाथ राव : यदि वह प्रश्न को इस तरह टालते रहेंगे तो कोई बातचीत सफल नहीं होगी ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : बातचीत के ब्योरे के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकूंगा ।

Shrimati Tarkeswari Sinha: At times news items appear in the press that some people have escaped into Pakistan or China from Nagaland or have come back to Nagaland from Pakistan or China. Questions are also asked on the basis of those new items and then the Home Minister also accepts that it is true. When the Home Minister or his department gets this information and it also appears in the press then why investigations are not made into it and those people are not checked from escaping into Pakistan or why no action is taken against them when they are returning from Pakistan or China. It is not understood at to how these appear in the press before Government gets the information. It means that press people are more nearer to them than the Home Minister or his department and this is why they get all this information before Government gets it. May I know the reason for all this ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य को यह जानने का अधिकार है । मैं स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा परन्तु यह नहीं जानता कि इससे वो कहाँ तक संतुष्ट हो पायेंगी । गृह मंत्रालय से किसी व्यक्ति का समाचार पत्रों को यह जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है । कभी-कभी सूचना उस क्षेत्र से ही फैल जाती है । ये लोग जो वहाँ जाते है, स्वाभाविक है कि ये किसी गुप्त रूप में ही जाते हैं, अपना किसी प्रकार से कोई प्रचार आदि करके नहीं । इनकी भी गतिविधियाँ यहाँ गुप्त नहीं रह पातीं । मैं उनकी गुप्त गतिविधियों को जान या लेने के गौरव का दावा करता हूँ । पर यह स्वाभाविक ही है कि हम उनके कुछ बाद ही जानकारी पाते है । ये सब गुप्त बाते स्थानीय लोगों के लिए गुप्त नहीं हैं । हाल के दिनों में नागालैंड से कोई भी बड़ा संगठित दल पूर्वी पाकिस्तान नहीं जा सका है । पर मुझे बताया गया है कि चीनियों के साथ गुप्त संपर्क स्थापित किया गया है, विशेषकर बर्मा के क्षेत्र से होकर । पर यह एक ऐसी बात है जिसे कि कुछ ही चन्द लोग गोपनीय ढंग से करते हैं । इसे रोक पाना कठिन है । यह निश्चित है कि हम इसे भी रोकने के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही ।

नई दिल्ली नगरपालिका

* 332. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री वासुदेव नायर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने यह मांग की है कि नई दिल्ली नगरपालिका के सीधे चुनाव होने चाहिये;

(ख) क्या सरकार ने उनकी इस मांग पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख)—जी हां, श्रीमान् ।

(ग) वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

Shri Yajna Dutt Sharma: Is the Hon. Minister aware that this time Jan Sangh has secured 33 pecents Votes in the capital and that Metropolitan Councillors of Jan Sangh had made certain recomnendations in regard to the membership of N.D.M.C. which were not accepted by the Government? No representative of Jan Sangh has so far been taken in the N.D.M.C. May I know whether the system of nominating members of N.D.M.C. has not been adopted to avoid the inculsion of the representatives of the people and to have only puppets in the Body?

Shri Vidya Charan Shukla: There is no much system under which any puppet is to be included in the body. This has been discussed many times as to why membes are nomintaed to the N.D.M.C. As far this question is concerned why no representatives are Sangh has been nominated to this body, I may point out that the members have of nominated by Lt. Governor. All these facts were placed before him and he had considered them. The representative of every political party had gone to see him. He heard every party and nominated the Members at his discretion. If the Hon. Minister is dissatisfied over it he may express his feelings before the Lt. Governor.

Shri Yajna Dutt Sharma: I have not received a reply to my question. I wanted to know why the elections are not held. It is not a good system and a democratic system that some people sit with the Lt. Governor, discuss the matter and take a decision. When elections are held for the Metropolitan Council then why not for this body also ?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया यह बतायें कि आपके प्रश्न के किस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

Shri Yanjna Dutt Sharma : Why the elections are not held ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो उसे दुहरा देता हूँ ।

The reason for not holding the elections were explained by Shri Pant when he was Union Home Minister. Nandaji also explained them. The reason is that in this area more than 85 percent of the residents are Government servants. Most of the Government buildings are here and many of the foreign missions are also here. In this manner there is specific position of New Delhi. It is a small area. It was therefore decided not to hold elections here. Had the election been held some situations might have aisen which would have caused much inconvenience in the working. It was therefore decided not to hold election for this body and Government do not propose to change this system.

Shri Yajna Dutt Sharma : When Government employees can vote for Parliament why can't they vote for N. D. M. C. ? Are they not eligible to vote for a municipal committee ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no question of their non-eligibility.

Shri Yajna Dutt Sharma : You say that there are Government colonies where Government employees live. When Government employees have a right to vote for Parliament and they vote for it then what is the hindarence in their voting for a Municipal Committee ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that there is no question of non-eligibility. Only because of the specific position of N. D. M. C. it was decided not to hold the elections.

Shri Raghuvir Singh Shastri : N. D. M. C. does not work as a legislative body. Its work is only to provide sewage, water and other civic amenities. When you have given the status of autonomons bodies to the municipalties of small cities and towns and have given the residents the right to elect members then why do you doubt the people of educated and civilized society of New Delhi ? What is hindarence before you in accepting the long standing demand that some democratic system should be decided for this Municipal Committee ? The members nominated to this body are all distinguished citizens but a Government employee is nominated over their head as President. What a big anomaly it is, The Hon. Minister should clarify the position.

Shri Vidya Charan Shukla : Why it is done like that. I have already stated the reasons therefor. Keeping in view the residents of this area only this system was considered to be suitable.

Shri George Fernandes : Now only in the case of language, but in the case of local autonomous bodies also the Congress Government have proved to be heirs of the British rulers. The same system is adopted in regard to cantonment cities in India as in the case of N. D. M. C. You have stated some reasons for the system in regard to N. D. M. C. I can understand them but do not agree with them. This is a tradition established by the Britishers in India. When are you going to do away with this tradition and would give autonomy to the people because the residents of those areas and also the employees do not like this heirship to Britishers ?

Shri Vidya Charan Shukla : The allegation levelled by the Hon. Minister is not correct. Cantonment Committee is under the charge of the Defence Ministry ; the Ministry of Home Affairs is not concerned with it.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, he is not replying to the questions properly.

Shri George Fernandes : Give a reply in regard to contonment cities.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that Home Ministry if not concerned with these questions.

Shri Madhu Limaye : Are Government concerened or not ? Is they are, then somebody should give a reply.

Shri Vidya Charan Shukla : During the question how the Minister to whom the questions are put resplies only those questions which come under the jurisdiction of qis

Ministry. If one replies on behalf of the Government it does not mean that he should reply all questions put to Government.

श्री म० ला० सोंधी : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें हैं, उदाहरणार्थ पर्यटन का विकास आदि, जिन्हें वे क्रियान्वित करना चाहती हैं ? इसके लिये नई दिल्ली में सहयोग और सरकार का रुख अपनाये जाने की आवश्यकता है । पर नई दिल्ली नगरपालिका एक जिम्मेदार संस्था नहीं है और उसने एक दुराग्रह की नीति अपना रखी है और वह व्यापारियों और अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ झगड़ों में उलझी रहती है । पर्यटन मंत्री ने मुझे लिखा है कि वे एक मामले में इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि नई दिल्ली नगरपालिका और व्यापारी आपस में लड़ रहे हैं । क्या माननीय मंत्री को यह सब ज्ञात है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस बात से सहमत हूँ कि सहकारिता का रुख अपनाये जाने की आवश्यकता है और हम यह भी देखते हैं कि नई दिल्ली नगरपालिका विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग कर रही है । इस प्रकार के झगड़ों से बचने के लिये ही तो हमने इसे नाम-निर्देशित सदस्यों की संस्था रखा है जिससे कि इस छोटे से क्षेत्र में कार्य सुचारु रूप से होता रहे ।

जहाँ तक व्यापारियों के साथ झगड़े का सम्बन्ध है वह झगड़ा नागरिक सुविधाओं के ऊपर नहीं है अपितु करों के बारे में है । नई दिल्ली नगरपालिका ने कुछ कर व्यापारियों पर लगाया है जिसे वे देना नहीं चाहते ।

श्री अटल बिहारी बाजपेई : जब उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं तो कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये ।

Shri Sitaram Kesri : May I know whether any Government employees out of the 85-86 percent living in this area could be elected to that body, in case it is made an elected body. and could work as such ?

Shri Vidya Charan Shukla ; No, Sir.

श्री बलराज मधोक : नई दिल्ली की कुल जनसंख्या में मुख्यतः बड़े-बड़े अधिकारी हैं और बहुत से भारत सरकार के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारी हैं जो उनके लिये बनाई गई बस्तियों में रहते हैं । क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका जो कि पूर्णतः नाम-निर्देशित सदस्यों की संस्था है केवल इन बड़े-बड़े अधिकारियों के हितों, उनकी सुविधाओं और आवश्यकताओं की ही पूर्ति करती है जो कि नई दिल्ली की जनसंख्या के मुश्किल से 10 प्रतिशत हैं और यह कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की वस्तियों की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है और वे बार-बार नागरिक सुविधाओं की मांग करते रहते हैं । मैंने स्वयं उन बस्तियों को देखा है और वहाँ देखा है कि सड़कों और पुलों की ठीक व्यवस्था नहीं की गई है और यही कारण है कि वे यह चाहते हैं कि नई दिल्ली नगरपालिका में उनके द्वारा

निर्वाचित उनके प्रतिनिधि हों जिससे कि उनकी शिकायतों की सुनवाई हो सके। इस समय इस संस्था में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है और कोई उनकी परवाह नहीं करता। इस स्थिति में सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है कि उनकी शिकायतों पर नई दिल्ली नगर पालिका ठीक तरह से ध्यान दे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : नई दिल्ली नगर पालिका का कार्य सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों के विभाजन के आधार पर नहीं किया जाता।

श्री बलराज मधोक : ऐसा कहना सच नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : असल में उपलब्ध साधनों से वे सभी क्षेत्रों की नागरिक सुविधाओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में कोई कमी रह जाती हो परन्तु जैसे ही उनका ध्यान इस ओर दिलाया जाता है वे उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस नगरपालिका के नामनिर्देशित सदस्यों की संस्था होने को उचित ठहराते हुए दो कारण बताये गये हैं, पहला यह कि इसके क्षेत्र में अधिकांश सरकारी कर्मचारी रहते हैं और दूसरा यह कि इस क्षेत्र में अनेकों दूतावास हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि यदि इसे निर्वाचित सदस्यों की संस्था बना दिया जाये तो इससे क्या हानि होने की आशा सरकार को है ? क्या सरकार को यह मालूम है कि आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबैरा में इसी प्रकार की स्थिति है और वहाँ की नगरपालिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह तो राय की बात है। हमारी राय है कि नई दिल्ली में जो स्थिति है उसमें नाम-निर्देशित सदस्यों की संस्था द्वारा ही सर्वोत्तम ढंग से काम किया जा सकता है। यह तो अपनी अपनी राय की बात है और हमारे पास इसके लिये तर्क मौजूद हैं कि हमने इसे इस प्रकार क्यों रखा है। माननीय सदस्य चाहे उस राय से सहमत न हों।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न यह था कि वह किस आधार पर यह कह रहे हैं कि यदि इस निकाय का निर्वाचन हुआ तो इसकी स्थिति खराब हो जायेगी ? इसमें कठिनाई क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह तो अपनी अपनी राय है। हमारा विचार यह है कि यदि नगरपालिका का चुनाव हुआ तो उसकी कार्य कुशलता उतनी नहीं रहेगी जितनी अब है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हम नीति की चर्चा कर रहे हैं या राय की ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह राय की बात नहीं है। वह यह जानना चाहते हैं कि एक निर्वाचित निकाय के अधीन प्रशासन की स्थिति कैसे खराब हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात से सहमत नहीं हैं। यह उनकी राय है, माननीय सदस्य उनके साथ सहमत न हों।

Shri Kanwar Lal Gupta: The Hon'ble Minister is aware that the Department of local Government is a transferred subject and Delhi Administration is dealing with it and Chief Executive Councillor, of Delhi has given a list of names to the Government for nomination to N. D.M.C. I want to ask whether it is a fact that the list of names which has been given by the Executive Councillor in Consultation with the Lt. Governor, Delhi, the Home Minister has said that the list was not correct. Another list was given to the Lt. Governor and he was asked to carry out instructions. Is it a fact? If so; whether Ministery of Home Affairs would continue to adopt this attitude in respect of the transferred subjects of Delhi and if so, why?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

माननीय सदस्य ने बहुत ही क्रुद्ध होकर यह प्रश्न पूछा है। परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि उन्हें इस सम्बन्ध में बिल्कुल गलत सूचना मिली है। हस्तांतरित विषयों के बारे में भी और विशेषकर सदस्यों के नामनिर्देशन के सम्बन्ध में उप-राज्यपाल के कुछ आरक्षित अधिकार हैं। मुख्य कार्यकारी पारिषद के साथ मेरी बातचीत हुई थी और कुछ समझौता हो गया था। यह तो स्वाभाविक ही है कि मैं उनकी सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकता था।

श्री कंवर लाल गुप्त: आपने आदेश दिये ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: यदि सुझाव देने का अर्थ आदेश देना है तो मैं नहीं जानता कि दो मित्रों में बात चीत कैसे हो सकती है। यह ठीक है कि कुछ चर्चा हुई थी और कुछ मतभेद भी थे, मैं इससे इन्कार नहीं करता।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि यदि इस निकाय का निर्वाचन हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा ? यही कि उसमें भी राजनीति चलेगी।

श्री बलराज मधोक: उसमे राजनीति चलेगी। यदि यही तर्क है तो फिर महानगर परिषद को हटा दीजिये, संसद को हटा दीजिये।

श्री कंवल लाल गुप्त: वहां केवल कांग्रेस की राजनीति है।

Shri Hardayal Devgun: The Hon'ble Minister has said in his reply that if New Delhi Municipal committee becomes an elected body then Government servants would not get same facilities. Does it mean that an elected body is not in a position to serve the people and he has no faith in democracy or he is in favour of bureuacracy and he feels that people can be served in bureaucray better than in democracy ?

Shri Vidya Charan Shukla: I have not said that it is allowed to be a nominated body in order to give more facilities to Government servants. As the hon'ble Minister of Home Affairs has stated that it is allowed to be a nominated body so that an element of politics is not introduced and there are special conditions prevailing in New Delhi.

क्षेत्रीय संगठन

*333. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री:** **श्री प्र० के० देव:**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: **श्री वी० चं० शर्मा:**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि शिव सेना की तरह की संस्थायें विभिन्न स्थानों पर संगठित की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रादेशिक भावनाओं को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) :

हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, नागालैण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि इन राज्यों में शिव सेना की तरह की कोई संस्था नहीं है। किसी संघ राज्य क्षेत्र में भी ऐसी कोई संस्था नहीं है। शेष राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: Whether Hon'ble Minister of Home Affairs is aware that just like Shiv Sena ?

अध्यक्ष महोदय : एक ही दिन पहले इस विषय पर चर्चा की गई थी। यदि वह समय को बेकार नष्ट करना चाहें तो अलग बात है। परन्तु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

Shri Raghubir Singh Shastri: Similarly in order to take advantage of regional feelings Nag Sena in Nagpur, Lachet Sena in Assam and Tamil Sena in Madras is being organised with the purpose of achieving their political ends?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये मुझे राज्यों द्वारा दी गई सूचना पर निर्भर करना पड़ता है। मुझे अन्य राज्यों से उत्तर नहीं मिला परन्तु मुझे समाचार पत्रों के पढ़ने से पता चला हैं कि समाचार पत्रों में इन संस्थाओं का उल्लेख किया जा रहा है।

Shri Raghubir Singh Shastri: Whether Shiv Sena had given their active cooperation to congress party at the time of election of late Shri Berve and Mrs. Sapre and other congress condidates during the elections and because of this reason the State Government and congress organisation is supporting Shiv Sena? How far this is correct?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे श्री बर्वे और श्रीमती सप्रे के चुनावों के ब्योरे की जानकारी नहीं है परन्तु मेरे पास इस सम्बन्ध में सूचना है क्योंकि मैंने राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया था। राज्य सरकार का इस संगठन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्र० के० देव : उन राज्यों के नाम का उल्लेख न होने से, जिन से हमें यह समाचार मिले हैं कि इस प्रकार की सेनाएं बनाई जा रही हैं गृह मंत्री का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। इन सेनाओं के आविर्भाव का मूल कारण चाहे सामाजिक, आर्थिक या कोई और हो परन्तु इन संगठनों का दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण है और यदि वे कार्य करती रहीं तो हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो जायेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या गृह-कार्य मंत्री राष्ट्रीय

एकता परिषद को फिर से सक्रिय करेंगे जो कुछ समय पूर्व कार्य करती रही है परन्तु अब समाप्त हो गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार में यह सब को पता है कि हमारा विचार इस राष्ट्रीय एकता परिषद को फिर से सक्रिय बनाने का है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने परसों इस सम्बन्ध में घोषणा की थी ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha : The Shiv Sena has come into being on the basis that only Marathas should be provided with the opportunities of employment. I want to know whether Government is aware that some State Governments have issued instructions that recruitment to the Class IV posts should be made from within the states concerned and these jobs are not given to the people outside the state ? In some states such instructions have been issued in respect of Class III posts also. If this is the attitude of these state Governments then does it not mean thot parochiol institutions are coming up ? I want to know the action Government propose to take to liquidate such institutions so that every body could get employment and a feeling of national integration could be developed.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ, जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है कोई भी भारतीय भारत में किसी भी स्थान पर जा सकता है और उसे रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है इस बारे में मुझे कोई संदेह नही है ।

श्री हेम बरुआ : चपरासियों के बारे में भी वे यह जानते हैं कि उन्हें अन्य राज्य से लोगों को बुलाने का अधिकार नहीं है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Please let us know whether such instructions have been issued.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक इन आदेशों का सम्बन्ध है मैंने उनका अध्ययन अभी नहीं किया । इसलिये मैं जब तक इनको पढ़ नहीं लेता मैं उनके संवैधानिक पक्ष के विषय में कुछ नहीं कह सकता । परन्तु इसके साथ हमें इस बात को तो स्वीकार करना चाहिये कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लोग अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते । कि यदि स्थानीय लोग रोजगार की आशा करते हैं तो यह स्वाभाविक ही है ।

श्री दी० च० शर्मा : मुझे इस बात का खेद है कि मंत्री महोदय ने सभा को जो सूचना दी हैं वह सरकारों से प्राप्त सूचना पर और समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना पर आधारित है परन्तु यह ठीक नहीं है । मेरे विचार में उन्हें अपनी विशेष पुलिस की सूचना पर निर्भर करना चाहिये । यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो मुझे विश्वास है कि वह यही कहते कि कई राज्यों में ऐसे संकीर्ण दृष्टिकोण वाले संगठन हैं । परन्तु क्योंकि उन्होंने ऐसा नही किया, मैं उनके प्राधिकार के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं उनसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ । क्या उनको इस बात का पता है कि भारत में विभिन्न राज्यों में ये जो शिव सेना, अकाली सेना जैसे अर्ध-सैनिक संगठन काम कर रहे हैं वे उसी प्रकार है जैसे कभी जर्मनी में काम कर रहे थे जिन्होंने

हिटलर के सैनिक अधिनायकत्व के लिये मार्ग तैयार किया था और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना पर निर्भर कर रही है या उसे उन खतरों की जानकारी है जो संकीर्ण दृष्टिकोण वाले संगठनों से हो सकते हैं और जो भारत में कार्य कर रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा । उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है । जहां तक उनके इस विचार का सम्बन्ध है कि ये संगठन अर्द्ध-सैनिक संगठन हैं, यदि वे निश्चय ही अर्द्ध सैनिक संगठन बन जायें, तो यह अवश्य ही खतरा बन जायेगा । जहां तक शिव सेना के सम्बन्ध में सूचना का प्रश्न है, मैं कई बार सभा को यह सूचना दे चुका हूँ ।

श्री त्रिविक्रम चौधरी : चाहे इन्हें सेना की तरह का संगठन कहा जाये या अर्द्ध सैनिक संगठन कहा जाये ये बात सब को मालूम है कि ये संगठन कुछ समुदायों को डराने, धमकाने के काम में लगे हुए हैं और जो उनके लिये अभिशाप समझे जाते हैं । (**व्यवधान**) दल भी इस प्रकार के काम करते हैं । क्या सरकार ने किसी अवस्था में इस प्रकार के संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात पर विचार किया है जो इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हिंसात्मक गतिविधियों के सम्बन्ध में मैंने सभा को परसों सूचना दी थी कि हिंसा के इन मामलों की जांच की जाती है, और विधि अनुसार उन पर कार्यवाही की जाती है । जहां तक प्रतिबन्ध लगाने की बात का सम्बन्ध है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिबन्ध लगाने से इन संगठनों की ही गतिविधियों में प्रभावशाली ढंग से कमी की जा सकती है । मैं स्वयं यह महसूस करता हूँ मैं इस सम्बन्ध में स्थायी रूप से अपनी धारणा व्यक्त कर रहा हूँ :—जैसे जैसे स्थिति सामने आती है उसके साथ निपटा जा सकता है । जैसे मैंने पहले कहा था मैं उसे फिर दोहराना चाहता हूँ । इस प्रश्न का सम्बन्ध विभिन्न भागों में मूल रूप से सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के साथ है और राजनीतिक कारणों तथा प्रान्तीयतावाद आदि के कारण इन संकीर्ण दृष्टिकोणों को विभिन्न भागों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है । अच्छा यह होगा कि हमें इस सामाजिक एवं आर्थिक पहलू पर रचनातमक ढंग से विचार करना चाहिये । इस समस्या के प्रति मेरा दृष्टिकोण यह है कि हमें रचनात्मक ढंग से इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिये । हम केवल इसी तरीके से इस प्रकार की परिस्थितियों पर नियंत्रण रख सकते हैं । बहुत ही चरम सीमा की कार्यवाही करने से मैं इस सम्बन्ध में चरम सीमा की बात कर रहा हूँ—हो सकता है कि हम इसे समाप्त करने के स्थान पर इसको और बढावा दे रहे हों । इसके साथ साथ हमें इन बातों के सम्बन्ध में काफी सतर्क रहना चाहिये । वास्तव में हम इसके विरुद्ध जनता की राय बनानी चाहिये । मुझे आशा है कि यह एक ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में सभा हमारी सहायता करेगी ।

श्री उमानाथ : पिछले शनिवार शिव सेना का सम्मेलन हुआ । इसके विरुद्ध किस प्रकार तत्काल संरक्षण मिल सकता है ।

श्री सोनावने : शिव-सेना संगठन के सामाजिक एवं आर्थिक पहलू के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या शिव सेना ने भारत की साम्यवादी पार्टी का विरोध करने का निश्चय किया हुआ है और इसलिये भारत की साम्यवादी पार्टी विशेषकर बम्बई तथा अन्य स्थानों पर शिव-सेना का विरोध कर रहे हैं और वे उसकी बुराई करना चाहते हैं। (**व्यवधान**) साम्यवादी शिव सेना के विरुद्ध है और वे अनावश्यक रूप से ही उस पर लांछन लगा रहे हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : किस व्यक्ति के लिये किसी विचारधारा विशेष का विरोध का यह कारण हो सकता है परन्तु इस विचारधारा का विरोध करने के लिये भी यदि हम देश में प्रादेशिक विवाद पैदा करें तो यह एक बुरी बात है ।

Shri Ram Sewak Yadav ; Whether hon'ble Minister is aware that consequent upon the views expressed by Shri S. K. Patil against Shiv Sena in Ahmedabad, Chappols and Tomatoes were thrown on him in Bombay on the day before Yesterday, police had to resort to lathi charge and Shri S. K. Patil and President of Bombay Pradesh Congress were removed from that place under police escort ? I would also like to know that whether it is a fact that when Shiv Sena came into being, many Congress leaders were had also joined in it and as the hon'ble Minister has said that this is a socio-economic problem, whether it is a fact that poor people of Maharashtra are not getting jobs ? What has been transpired from the reply of the hon'ble Minister, whether some thing would be done to liquidate these organisations and these people would be provided with jobs.

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर आधे घण्टे की चर्चा की थी और इस पर 45 मिनट लगाये थे ।

Shri Madhu Limaye : Please tell us about lathi charge and tomatoes.

Shri Y. B. Chavan : I had read it in the newspapers but I do not know whether it is correct or not.

श्री मनु भाई पटेल : यह ठीक है कि शिव सेना संकीर्ण विचार धारा वाला संगठन है और इस पर रोक लगानी चाहिये । परन्तु शिव सेना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कोई अन्तर नहीं है। संकीर्ण विचार धारा वाले इन सभी संगठनों पर रोक लगानी चाहिये (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के सदस्यों को अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा।

श्री राजा राम : उन्हें बुद्धि सेना का निर्माण करना चाहिये (**व्यवधान**)

श्री मनु भाई पटेल : एक भीम सेना पहले ही है । क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मंत्री महोदय भीम सेना पर रोक लगायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

श्री लोबो प्रभु : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व पर विचार किया है ? मैं इस सम्बन्ध में इस बात

की याद दिलाना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इस प्रकार के आन्दोलन के सम्बन्ध में किये गई ज़मानत योग्य अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। हालांकि इस बात का पता गृह-कार्य मंत्रालय ने नहीं लगाया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि केन्द्र सरकार का गृह कार्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के गृह-कार्य मंत्रालय ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं जो कानून और व्यवस्था बनाने में अपना कर्तव्य पूरा करने में असफल रहे हैं। जो एक ऐसा कर्तव्य है जिसका किसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से कोई सम्बन्ध नहीं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि बचाव की कार्यवाही क्यों नहीं की गई जो कानून के अनुसार पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेटों का कर्तव्य है जिससे शिव सेना तथा अन्य तोड़ फोड़ करने वाले संगठनों—मैं द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के आन्दोलन को इनमें सम्मिलित नहीं कर रहा। पर पहले ही रोक लगा दी जाये जिससे वे अपराध करने वाले संगठन न बन सकें? अन्त में मैं पूछ सकता हूँ कि क्या वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के बारे में अनुदेश जारी करेंगे?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: उन्होंने तीन बातें कही हैं। पहली बात यह कि सरकार ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो कानून और व्यवस्था लागू नहीं कर सके, विशेष कर उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनके विरुद्ध उच्च न्यायालय ने आक्षेप लगाये हैं। यदि इस प्रकार का कोई विशेष मामला मुझे बताया जाये तो मैं तथ्यों का पता लगाऊँगा और सरकार उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी जिन्होंने वास्तव में कानून और व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया।

श्री रंगा: जिनके विरुद्ध उच्च न्यायालय ने आक्षेप लगाये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: मैं निश्चित रूप से पता करूंगा। यदि इसमें किसी अधिकारी की गलती हुई तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकारों को इस बारे में क्या निदेश दिये गये हैं, इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि मैंने स्वयं शिव सेना के बारे में मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की है। नीतियाँ विफल रहने के बारे में कुछ आरोप लगाये गये हैं, अतः मैंने इस मामले में बम्बई के मुख्य आयुक्त से स्वयं मिल कर बातचीत की और मुझे आश्वासन दिया गया कि प्रत्येक अपराध अथवा हिंसात्मक कार्यवाही की, जिसकी ओर उनका ध्यान दिलाया गया, जांच की गई है। कुछ मामलों में तो उन्हे दोषी का पता लग गया और कुछ मामलों में नहीं। बम्बई जैसे किसी बड़े नगर में हुई प्रत्येक घटना के लिए शिव सेना को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। बम्बई जैसे नगर में अपराध होते ही हैं और हो सकता है कि कुछ अपराधों के पीछे कुछ गैर-मराठी या मराठी लोगों का हाथ हो। अतः इन सबके लिए शिव सेना को उत्तर दायी ठहराना बिल्कुल गलत है। तीसरे, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कौन सी निवारक कार्यवाहियां की गई हैं। निवारक कार्यवाही करने का काम सम्बन्धित

अधिकारियों का है। वह स्वयं भी प्रशासक रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह मालूम है कि ऐसे किसी आन्दोलन के विरुद्धवनिवारक कार्यवाही करना बहुत कठिन है। ऐसी विशिष्ट घटनाओं के बारे में निश्चय ही निवारक कार्यवाही की जा सकती है। मुझे बताया गया है कि बम्बई में कुछ मामलों में उन्होंने निवारक कार्यवाही भी की हैं।

Shri Chandrajeet Yadav : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state that in view of the fact that the member of such organisations in the Country as are based on local narrow feelings or communal feelings has increased concern threon has been expressed by all the parties in the House as well as outside and the Home Minister has also admitted that such tendencies are on the increase, whether it is not the only solution of this problem that a Conference on national integrity be convened.....

अध्यक्ष महोदय : उनका भी यही कहना है।

Shri Chandrajeet Yadav : Since it is an appropriate time, whether the Hon. Minister would give an assurance of convening such a conference?

Shri Y. B. Chavan : Yes, such efforts are being made.

श्री बी० कृष्णमूर्ति : जहाँ तक द्रविड़ मुनेत्र कषगम के हमारे समस्यों का सम्बन्ध है, हम किसी प्रकार की शिव सेना या बानर सेना के आक्रमण के बारे में परवाह नहीं करते। प्रादेशिकता के संकुचित विचारों को दबाने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनः स्थापित करने या आयोजित करने के बजाय यदि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप विधेयक में जो वह पेश करने जा रहे हैं, एक संशोधन किया जाये जिसके अनुसार उसके उद्देश्यों में एक बात यह भी जोड़ दी जाये कि जो कोई संगठन किसी अन्य राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध घृणा का प्रचार करेगा उसे दंडित किया जायेगा, तो आज जिसबात की जरूरत है वह पूरी हो जायेगी। क्या मंत्री महोदय विधेयक में इस प्रकार का संशोधन करने के लिए राजी हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले पर विचार सदन में विधेयक पर विचार करते समय किया जायेगा।

श्री बाकर अली मिर्जा : ये देखते हुए कि राष्ट्रीय एकता परिषद् साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त करने में असमर्थ रही है, जोकि चार राज्यों में हुई घटनाओं की जांच कर रही समितियों से प्रगट हुआ है, क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतायेंगे कि गृह-मंत्रालय का उन आन्दोलनों और संगठनों के प्रति इतना उदार दृष्टिकोण क्यों है जब कि जमायत इस्लामी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, शिव सेना जैसे संगठन तथा अन्य आन्दोलन देश को विभाजित तथा कमजोर बनाने में सहायक हैं ? क्या वे इनके विरुद्ध भी नक्सलबाड़ी में की गई जैसी कार्यवाही करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कठोर और उदार कहने का कोई प्रश्न नहीं है। ये जो विशेषण लगाये गये हैं मेरे विचार से बहुत गलत हैं। कुछ समस्याएं-ऐसी है जिन्हें हल करने के लिए यह सोचना पड़ता है कि उन्हें सुलझाने के लिए जो कार्यवाही हम करने जा रहे हैं क्या यह वास्तव में विधिसंगत, उचित और कारगर है। यह कार्यवाही हम किस रूप में करते हैं

यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । प्रश्न यह नहीं होता कि हर छोटे-छोटे मामलों में डंडे से काम लिया जाये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Attention of the Minister has been drawn to an organisation Sangram Sena being run in Kerala under the leadership of Shri Gopalan, the Member of this House and it is functioning for looting. Similarly a red army has been organised in Bengal and it is also functioning in the like manner. Whether Government propose to ban these organisations after making investigations into their activities ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हाँ, हम इन सभी संस्थाओं की गतिविधियों की जांच करेंगे जो कि इस तरह के कामों में संभवत : लगी हुई हैं ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली के शिक्षक संगठनों की संयुक्त परिषद द्वारा हड़ताल का नोटिस

*5. **श्री वी० चं० शर्मा** : **श्री श्रीधरन** :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री श्रीनिवास मिश्र** :

श्री म० ला० सौंधी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि दिल्ली के शिक्षक संगठनों की संयुक्त परिषद् ने 1 दिसम्बर, 1967 से हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के शिक्षक 5 मई, 1966 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन के अनुसार अपने वेतनक्रम बढ़ाये जाने की मांग कर रहे हैं, जिसपर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस ज्ञापन पर अब तक कोई कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार का कब कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार अध्यापकों के अपने वेतनक्रम बढ़ाये जाने की मांग से अवगत है । इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से फरवरी, 1967 में प्रस्ताव मिला था तभी से सरकार उस पर विचार कर रही है परन्तु वित्तीय कठिनाइयों तथा अन्य कारणों से कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

श्री दी० चं० शर्मा : कुछ शांतिप्रिय अध्यापकों को, जो शांतिपूर्ण ढंग से अपने शांतिमय कार्य में लगे हुए हैं क्योंकि उनका व्यवसाय ही ऐसा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ? क्या यह सच है कि किसी बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है ? यह अधिनियम समान रूप से उन लोगों पर लागू होता है जो कि कानून तोड़ते हैं और जिन्हें गुंडा कहा जाता है ?

डा० त्रिगुण सेन : श्रीमान्, वे क्यों गिरफ्तार किये जा रहे है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय को चाहिये कि वह उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यापक हड़ताल करने जा रहे है और कुछ अध्यापकों को यहाँ आने पर गुण्डा संबंधी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है क्या इस बारे में किये गये पश्न के उत्तर दिये जाने की आशा हम मंत्री महोदय से न करें ?

अध्यक्ष महोदय : वह अलग से प्रश्न या अपनी बारी आने पर अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : दिल्ली के अध्यापकों ने माननीय प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन 5 मई 1966 को दिया था । परिवहन का ऐसा कौन सा लम्बा सनधा अपनाया गया था कि यह ज्ञापन दिल्ली प्रशासन के पास इतने विलम्ब से पहुंचा और प्रशासन ने मई, 1967 में ज्ञापन के बारे में अपनी सिफारिशें दीं ? यदि इस ज्ञापन को प्रधान मंत्री के यहाँ से दिल्ली प्रशासन के पास और फिर शिक्षा मंत्रालय तक वापस पहुँचने में ही एक महीना लग गया है तो इस ज्ञापन को स्वीकार करने और शिक्षा मंत्रालय द्वारा उसे लागू करने में कितना समय लग जायेगा ? क्या शिक्षा मंत्रालय भी इसी प्रकार एक साल लगा देगी ?

डा० त्रिगुण सेन : प्रोफेसर शर्मा ने ठीक ही कहा है कि दिल्ली प्रशासन ने अध्यापकों के वेतन मानों के पुनरीक्षा की माँग पर विचार किया था और उसे शिक्षा मंत्रालय के पास 6 फरवरी 1967 को भेजा था यहाँ के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण पिछले वर्षों से नहीं हुआ जब कि अन्य राज्यों में ऐसा हो चुका है ।

श्री स० मो० बनर्जी : इन 20 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही है.....

डा० त्रिगुण सेन : "और तभी से सरकार इस पर पूरी तरह विचार कर रही है । दिल्ली अध्यापक संघ की संयुक्त परिषद् के सदस्य और संयुक्त सचिव मुझसे 23 सितम्बर, 1966 को मिले थे और हममें देर तक बातचीत हुई । चर्चा के बाद मैंने उन्हें जो लिखा था वह मैं यहां उद्धृत करता हूँ :—

"आपके तथा आपके साथियों के साथ आज सुबह जो मेरी बातचीत हुई थी उसके अनुसार ....."

श्री दी० चं० शर्मा : आपने मुझे भी लिखा था ।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने आपको भी एक प्रति भेजी थी ।

"मैं अनुभव करता हूँ कि दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर दो महीनों के अन्दर सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया जा सकेगा ।"

उसी समय से सरकार इस पर विचार कर रही है । यद्यपि वेतनमानों के पुनरीक्षण की बात को ही प्रश्न के उत्तर में मुख्य मांग बताया गया है परन्तु परिषद् ने अनेक शिकायतें पेश की थीं । मैंने संबंधित अध्यापकों को तथा अपने सहयोगियों को भी स्पष्ट कर दिया था कि मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि अध्यापकों के दर्जे तथा उनकी सेवा शर्तों में सुधार नहीं होगा तथा शिक्षा के स्तर में भी सुधार नहीं होगा ।

श्री स० कुंडू : अब इस पर अमल करिए ।

डा० त्रिगुण सेन : जैसा कि मैंने अध्यापकों से कहा है और जैसा कि मेरा विश्वास भी है कि अध्यापकों के दर्जे तथा उनकी सेवा शर्तों के बारे में जो सुधार मेरे विचार में हैं उन पर लगाया गया धन अत्यधिक उत्पादक विनियोजन रहेगा ।

श्री नाथ पाई : यही बाते तीनों पंचवर्षीय योजना में भी कही गई हैं आवश्यकता इस बात की है कि हमें कार्यवाही करने की घोषणा करें, न कि खोखली बाते ही करते रहें ।

डा० त्रिगुणसेन : हमें उनके आधारभूत बातों पर विचार करना पड़ेगा । पहली बात तो यह है कि देश के अन्य भागों के अध्यापकों के और दिल्ली के अध्यापकों के वर्तमान वेतनमानों की तुलना करनी होगी । दूसरे, दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और तीसरे इसके लिए कितने संसाधन हैं । हम प्रति दिन इस पर विचार कर रहे हैं । सभी राज्यों में विशेष रूप से महानगरों में जो वेतनमान हैं उनके बारे में मैंने सभी सूचना इकट्ठी की है । यह जानकारी मेरे पास है । कुछ कहने से पहले, मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अध्यापकों ने जो आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया हुआ है, मैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ । मेरा विचार है कि अध्यापक समुदाय अपने इस रवैये को किसी तरह उचित नहीं ठहरा सकता विशेषकर इस स्थिति में जबकि हम इस मामले पर समूची स्थिति को ध्यान में रखकर पूरी सहानुभूति के साथ, जो स्वयं अध्यापकों को मालूम ही है, विचार कर रहे हैं । मैं अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल तथा उन सदस्यों से भी, जिन्होंने इस अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी है, किसी भी दिन मिलने को तैयार हूँ ताकि उनसे बातचीत हो सके और उनके सामने तथ्य रखे जा सकें तथा उनसे मार्ग निर्देशन मिल सके ।

Shri Prakash Vir Shastri: Sir, I have asked a very clear question that what was the report submitted by the Delhi Administration and to what extent you agreed to it and the increase proposed to be made by you in the pay scales on its basis ?

डा० त्रिगुण सेन : जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि दिल्ली प्रशासन की सिफारिशें स्वीकार करना संभव नहीं हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : Please state what you have accepted so that teachers may withdraw the notice of their strike or they may have some reaction thereto?

डा० त्रिगुण सेन : दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न वेतनमानों की सिफारिश की है जो कि अध्यापकों के वर्तमान वेतनमानों से निश्चय ही अच्छे हैं। परन्तु उन्हें पूर्णरूपेण स्वीकार करना मुश्किल है.....(अन्तर्बाधा)

श्री श्रीनिवास मिश्र : डा० त्रिगुण सेन ने शिक्षा मंत्री होने पर कहा था कि यदि उन्होंने अध्यापकों की कठिनाइयाँ दूर नहीं कीं तो वाराणसी वापस चले जाएंगे। क्या यह सच नहीं है कि यह आश्वासन दिया तो गया पर पूरा नहीं किया गया है ? क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली के कालेजों और स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में अन्तर पिछले 20 वर्षों से बढ़ता ही गया जबकि उनकी योग्यताएं एकसी हैं और स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि नही की गई है ?

डा० त्रिगुण सेन : उन माननीय सदस्य से जो अध्यापकों के साथ बहुत सहानुभूति रखते है, मेरा निवेदन है कि वे इस जानकारी के देने के लिए मुझे बाध्य न करें। मैं बताचुका हूँ कि मैंने मद्रास, बम्बई, कलकत्ता तथा सभी महानगरों से आँकड़े इकट्ठा कर चुका हूँ। हमें इन सभी पर एक साथ विचार करना चाहिए। हमें केवल दिल्ली के अध्यापकों के बारे में ही नहीं सोचना है। इसी कारण से मैंने यह कहा है। मैंने उनसे किसी भी दिन एक साथ मिलकर विचार करने और एक सिद्धान्त निकालने के लिए तैयार हूँ (अन्तर्बाधा)

एक माननीय सदस्य : कल ?

डा० त्रिगुण सेन : जी हाँ, कल मिल लें।

श्री म० ला० सोंधी : राजधानी के अध्यापकों में असन्तोष का होना संसार की आँखों में हमें नीचे गिराता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होने अभी-अभी जो कुछ कहा है क्या उससे वह आश्वासन भंग नहीं हो जाता जोकि दिल्ली में शिक्षा के बारे में उपाय करने से सम्बन्ध में पिछली लोक सभा में चर्चा करते समय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने दिया था और उस समय स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दिल्ली में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जायेगी जोकि देश के बाकी भागों के लिए आदर्श सिद्ध होगा। इसके लिए वह लोक-सभा के वाद-विवाद की प्रति देखे। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि दिल्ली में अध्यापकों की सेवा शर्तें सुधारने के लिए उन्होंने अपनी ओर से क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं क्योंकि इस मामले का उत्तरदायित्व उन्हीं का है और वह इसे किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते।

डा० त्रिगुण सेन : यदि सरकार की यही नीति है कि जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है दिल्ली को एक आदर्श बनाया जाया तो मैं सरकार के इस निश्चय से सहमत हूँ।

Shri Prem Chand Verma : I want to ask the Hon. Minister that whether the teachers not in Delhi but also in rest of the country are engaged in anti-discipline activities.....

Shri A. B. Bajpayee : It is wrong.

Shri Prem Chand Verma : Please listen to me. It is badly hampering the studies of the students. Whenever time of examinations approaoh the teachers give the notice of strike. This is happening not only in one state but in all the states. More than fifty percent of the students are declared unsuccessful in the examinations. In view of this, whether the Education Minister would get the assurance from the teachers that they would never go on strike, before he accepts any of their demands ?....(interruptions)..... and besides this, Government should frame such a legislation or make such a rule so that the teachers may not participate in political activities, before any of their demands is accepted by Government.

डा० त्रिगुण सेन : मेरे विचार से इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए । मैं अध्यापक समुदाय के इस आन्दोलानात्मक रुख का पूरी तरह विरोध करता हूँ । मैं तो उनसे यही अपील करूगा कि यदि उन्हें कोई कठिनाई है तो वे मुझसे मिलें । मैं उनसे मिलकर विचार करने के लिए तैयार हूँ ।

श्री दत्तात्रय कुण्टे : क्या सरकार दिल्ली प्रशासन की कोई सिफारिश स्वीकार करने के लिए राजी है और यदि हाँ, तो वे सिफारिशें कौन सी है और सरकार को इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने में कितना और समय लगेगा ? चूँकि हड़ताल एक दिन बाद आरम्भ होने वाली है, इसलिए शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने आपके जरिये प्रस्ताव किया था कि यदि अध्यापक या उनके प्रतिनिधि मंडल मुझ से मिलना चाहते हों तो मैं कल उनसे मिलने के लिये तैयार हूँ । जिस किसी भी सदस्य ने अल्पसूचना प्रश्न की सूचना दी है वह भी मुझसे मिल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या परीक्षा 1 दिसम्बर से आरम्भ हो रही है ?

डा० त्रिगुण सेन : हाँ,

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह अध्यापकों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनेगे । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि पिछले 20 वर्षों से दिल्ली के अध्यापको के वेतन-क्रमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है जबकि कालेजों तथा विश्वविद्यायल के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन किया गया है । दूसरे अध्यापकों कालेज के अध्यापकों तथा दिल्ली विश्व-विद्यालय के अध्यापकों के वेतन मानों में 100 रु० से 380रु० तक वृद्धि कर दी गई है ।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय इस बात को भलीभाँति जानते हैं कि दिल्ली में खासकर प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक का वेतन दिल्ली में एक चपरासी या पुलिस के सिपाही से कम है। यह वास्तव में बड़ी अपमानजनक बात है । इस मामले में वह कांग्रेस के रूप में नहीं अपितु एक शिक्षा-शास्त्री के रूप में जो भी कुछ कहेंगे उसका मैं आदर करूगा । किन्तु मैं आशा करता हूँ कि एक शिक्षाशास्त्री होने के कारण उन्हें अध्यापकों से सहानुभूति होगी और वह देशहित की दृष्टि से

जो कुछ उनके लिये करना चाहते हैं उसकी यहां घोषणा कर देंगे । मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह घोषणा कर दें कि वेतन मानों में निश्चितरूप से वृद्धि की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी यहीं पर घोषणा करा देना चाहते हैं।

श्री स० कुन्डू : मैं चाहता हूँ कि वह सिद्धान्त रूप में इस बात को मान लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। वेतन मानों में संशोधन किया जायेगा इससे फायदा होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री नाथ पाई : क्या वेतनमानों में कटौती की जा रही है ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, there are 35 thousand teachers in Delhi and as the hon. Minister has said their pay scales have not been revised for the last 20 years, whereas the pay scales of the University teachers have been revised twice last year. I would like to know whether the Ministry of Education has impressed upon the Ministry of Finance that the demands of these teachers are reasonable and their pay scales should be revised and whether the Finance Ministry did not agree to this view point ? Secondly I would also like to know about the steps proposed to be taken to convince the Finance Ministry regarding these demands. The demands of the teachers are justifiable as the hon. Minister is also in the know that the difference which existed between the pay scales of the teachers in Delhi and Puujab 20 years back has also diminished now.

Thirdly, whether the hon. Minister propose to meet the representatives of teac hers, Members of Parliament from Delhi and the authorities concerned in the Ministry of Finance with a view to avert the strike.

डा० त्रिगुण सेन : मैंने सरकार का जिक्र किया है और उसमें शिक्षामंत्रालय, वित्तमंत्रालय तथा सभी संबंधित व्यक्ति आ जाते हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि हम इस मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं किन्तु वह मेरा ध्यान एक विशेष प्रश्न की ओर दिला रहे हैं । हम मामले को सुलझाने के विचार से इस संबंध में विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं अध्यापकों से अनुरोध करता हूँ कि वे हड़ताल करने की नोटिस को वापस ले लें और हड़ताल न करें । मैं कह चुका हूँ कि मैं कल, परसों या किसी भी समय उनसे मिलने को तैयार हूँ ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, I asked a particular question. Whether the Ministry of Education wrote to the Ministry of Finance for revising the pay scales ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि श्री गुप्त पहल करेंगे। मंत्री महोदय ने कहा है कि वह मिलने के लिये तैयार हैं। आप लोगों में से ही कोई पहल करें

श्री कंवर लाल गुप्त : हम पहल करेंगे किन्तु मेरा प्रश्न यह था कि क्या शिक्षा मंत्रालय ने पत्र लिखकर वित्तमंत्रालय से इस मामले की सिफारिश की है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि उन्हें अध्यापको से सहानुभूति

है किन्तु उनके सामने आर्थिक कठिनाई का प्रश्न है । क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली से कुल 80 करोड़ रुपये की आय होती है और वह दिल्ली प्रशासन को केवल 35 करोड़ रु० देती है । जब केन्द्रीय सरकार को दिल्ली से इतनी आय होती है तो वह दिल्ली प्रशासन को कुछ और धन क्यों नहीं दे देती है जिससे दिल्ली प्रशासन अध्यापकों को अधिक वेतन दे सके ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने इस आशय का सुझाव दिया है कि यदि उसे अपनी आय के उपयोग करने की छूट दे दी जाये तो वह अध्यापकों की कुछ मांगें पूरी कर सकता है, किन्तु इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है । दिल्ली प्रशासन से कह दिया गया है । "आपकी जो कुछ भी आय होती है वह हमारे पास पहुंच जानी चाहिये । आपको अपने ही ढंग से उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है" यदि ऐसी बात है तो क्या यह दूसरों को सताने की नीति नहीं है और इस नीति को छोड़ना उचित नहीं है ?

डा० त्रिगुण सेन: मैंने यह नहीं कहा है कि हम संसाधनों की कमी के कारण ही ऐसा नहीं कर पा रहे हैं । मैं इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता हूँ किन्तु एक साधारण व्यक्ति की भांति यह महसूस करता हूँ कि किसी स्थान विशेष के संसाधनों का उपयोग उस स्थान के लिये ही नही किया जाना चाहिये । हम इस संबंध में अखिल भारतीय दृष्टिकोण से विचार करते हैं । अतः उनके दृष्टिकोण से मैं सहमत नहीं हूँ ।

श्री बलराज मधोक: मेरे प्रश्न के उस दूसरे भाग का क्या उत्तर है जिसमें मैंने कहा था कि दिल्ली प्रशासन को अपनी आय के उपयोग करने की अनुमति दी जाये जिससे वह अध्यापकों के वेतन बढ़ा सके ।

डा० त्रिगुण सेन: मेरे विचार में इसका उत्तर वित्त मंत्री ही दे सकते हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa: Whether it is a fact that the teachers in Delhi are being arrested under goonda Act ? I have received a letter wherein it is stated that they are not being given the class A or B which they deserve and are being tortured. Why it is so? Whether the Home Minister have found out the reasons for their arrest, the class allotted to them and the facilities which they should get and are not getting ?

अध्यक्ष महोदय: जब मैं खड़ा हूँ तो श्री ओंकार लाल बेरवा को बैठ जाना चाहिये । प्रश्न किसी मंत्रीविशेष से पूछा गया है तो मैं दूसरे मंत्रियों को उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता हूँ । माननीय सदस्य बैठ जायें । यह दुःख की बात है कि वह मेरी बात नहीं समझ रहे हैं । यह ठीक है कि मंत्री यहां मौजूद हैं । किन्तु ऐसा कौन सा नियम है जिसके अधीन मैं उन्हें उत्तर देने के लिये बाध्य कर सकता हूँ । प्रश्न शिक्षा मंत्री से पूछा गया है और मैं उनसे ही उत्तर देने को कह सकता हूँ ।

आज 4 बजे नियम समिति की बैठक हो रही है और मैं नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे बैठक में जाकर मामले पर विचार-विमर्श करें । यदि सभा मुझे यह अधिकार दे कि मैं किसी को किसी भी समय किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिये कह सकता हूँ तो मैं नहीं समझता कि

कोई भी मंत्री उत्तर दे सकेगा। यदि ऐसा संभव हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। किन्तु मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी मंत्री किसी भी समय खड़ा होकर किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेगा।

Shri A. B. Vajpayee: Mr. speaker, Sir, I agree with you that you cannot compel a Minister to answer a question. But when the question is addressed to the Education Minister and he is not In a position to answer it, is it not obligatory for the Home Minister to assist the Education Minister? There is no Assembly in Delhi and the House wants the information. The teachers propose to go on strike from 1st December. If it is not possible for the Home Minister to answer the question today, this question may kindly be accepted as another short notice question for tomorrow.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यदि आप मुझे उत्तर देने के लिये कहें तो मेरे पास जो कुछ जानकारी है मैं वह सभा को दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि वह कुछ जानकारी दे सकें और इस विषय पर प्रकाश डाल सकें। हड़ताल परसों शुरू होने जा रही और कांग्रेसी सदस्यों सहित सभी सदस्य तथा शिक्षा मंत्री सहित सभी मंत्री इस बारे में चिन्तित हैं। शिक्षा मंत्री अध्यापकों से कल बात-चीत करने के लिये तैयार हैं। अतः यदि वह कुछ जानकारी दे सकें तो सभा को तथा मेरे को भी बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक अध्यापकों की गिरफ्तारी का संबंध है, यह कार्यवाही दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार या गृह मंत्रालय की सलाह के बिना की है। हम को उस धारा नियम या कानून की जानकारी नहीं है जिसके अधीन उन्हे गिरफ्तार किया गया है। जहांतक अध्यापकों के साथ तिहाड़ जेल में दुर्व्यवहार करने का संबंध है, मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है और मैं इस संबंध में अवश्य ही पूछ ताछ करूँगा।

श्री दी० चं० शर्मा : दिल्ली प्रशासन में जनसंघ का प्रशासन है।

श्री स० मो० बनर्जी : शिक्षा मंत्री को मालूम है कि हड़ताल की नोटिस देने के अलावा चार अध्यापक 23 नवम्बर, 1967 से भूख हड़ताल पर हैं और यह भूख हड़ताल 30 ता० तक जारी रहेगी तथा उसके बाद 1 दिसम्बर, 1967 को आम हड़ताल होगी। मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री उनसे मिलने को तैयार हैं। गृह मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि यह कार्यवाही दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई है और गृह मंत्रालय से इसका कोई संबंध नहीं है। बात-चीत शुरू करने से पहले क्या प्रधान मंत्री यह आश्वासन देंगी कि जिन 12 आध्यापकों को गुण्डा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है उनके विरुद्ध सभी मामले वापस ले लिये जायेंगे। अध्यापक राष्ट्र के निर्माता होते हैं और उनको ही गुण्डा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है क्या प्रधान मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी ? मैं प्रधान मंत्री से इस मामले में सहानुभूति-पूर्ण आश्वासन चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने कह दिया है कि वे इस मामले की छानबीन करेंगे।

श्री स० मो०बनर्जी : इसका सम्बन्ध मामलों को वापस लेने से है । उन्हें उत्तर देना चाहिये ।

श्री कंवर लालगुप्त : कृपया इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी वायदा नहीं कर सकता हूँ । इस सम्बन्ध में नोटिस दिया जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : वह उत्तर देने को तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह तैयार नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या शिक्षा मंत्री उत्तर दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की रिहाई के बारे में प्रश्न किया है और वह चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री स० मो० बनर्जी : ताकि बातचीत के लिये समुचित वातावरण तैयार किया जा सके ।

डा० त्रिगुण सेन : उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा है । मझे बताया गया है कि अध्यापक दिल्ली प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं । मैंने जब 25 तारीख सुबह को अखबारों में यह समाचार पढ़ा कि 4 अध्यापक भूख हड़ताल पर हैं तो मैं स्वयं उनसे मिलने और बातचीत करने वहां गया । वहां मुझे कोई नहीं मिला और मैं वापस चला आया । फिर मुझे बताया गया कि उन्हें दिल्ली प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है । अतः मैं उनसे बातचीत नहीं कर सका ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मामलों को वापस लेने की बात कर रहा हूँ ।

Shri Maharaj Singh Bharati: The Hon. Minister has said that the pay scales of the teachers should be revised and the teachers should be given a respectable status in the society. At the same time he has said that the Government have to consider this in the context of other departments. I would like to know whether the Government wants to further elevate the existing status of the teacher or not? If not, he should plainly state that the Government cannot accept their demand. The teachers never resort to strike. They went on strike for a day and atoned for that by taking classes on a Sunday. Whether the Hon. Minister thinks that unless they resort to strike their demands would not be accepted?

डा० त्रिगुण सेन : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि "पहले वे हड़ताल समाप्त करें और फिर मैं ऐसा करूंगा ।" बल्कि मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे हड़ताल समाप्त कर अपना सहयोग प्रदान करें । चाहे वे हड़ताल समाप्त करें या न करें मैं तो उनसे विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हूँ ।

Shri Shiv Kumar Shastri: Government generally intervenes in a matter when the situation has already assumed serious proportions. In fact the strike is going to start from day after tomorrow and it is essential that the ways and means are devioed to avert it right now. Will the Prime Minister try to see that the proposed strike is averted ?

श्री नाथ पाई : मेरा प्रश्न बहुत साधारण है । ऐसा प्रतीत होता है कि संसाधनों की कमी है और साथ ही अध्यापकों से सहानुभूति भी बहुत है । मैं नहीं समझता कि शिक्षा मंत्री महोदय ने झूठे आंसू बहाये हैं । मैं नहीं समझता कि उनकी अध्यापकों से वास्तविक सहानुभूति है । मैंने यह भी नहीं कहा है कि मुझे 'सन्देह' है । प्राध्यापक को 'सस्पेक्ट' और 'डाउट' शब्द के बीच का अन्तर मालूम होना चाहिये ।

सभा में सभी मंत्री अध्यापकों के प्रति जो अत्यधिक सहानुभूति दिखा रहे हैं उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिये उन्हें पहले ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रिहा किया जा सके । इसके लिये संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि उत्तर नहीं दिया गया तो मैं संविधान से उद्धरण दूँगा । यह उपयुक्त उत्तर नहीं है कि कार्यवाही दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई है क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखने का कार्य गृह मंत्रालय का है । इस संबंध में प्रधान मंत्री को या अन्य किसी को यह कह देना चाहिये कि इस अशुभ घटना को रोकने के लिये वे गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रिहा कर रहे हैं ताकि समुचित वातावरण तैयार किया जा सके ।

Shri George Fernandes: One of the demands of the teachers is that all the three types of institutions ie. the institutions running under Delhi Administration, Municipal Co rporation and aided institutions should be brought under Delhi Admistration. In this regard the question of paucity of funds does not stand in the way. I would like to know whether the Hon. Minister has made up his mind in this regard. So far as another demand of the teachers is concerned, I would like to know the amount likely to be required for meeting the demands of the teachers fully or the amount required for bringing their pay scales at par with the pay scales of the teacher in Punjab, Nagaland and Manipur. The money spent on the foreign visits of Prime Minister and other Ministers during the last three months would have been sufficient for meeting the demands of the teachers. Are not the Ministers aware of the expenditure incurred on their foreign visits?

अध्यक्ष महोदय : यह बात अनुपूरक प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती है ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker. Sir, these question should be answered. Have they taken all this into account during the last few months ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास सही आंकड़े नहीं हैं तो आप कह दीजिये ।

डा० त्रिगुण सेन : मुझे बता गया है कि यदि हम उन वेतनमानों को मान लेते हैं जिनकी सिफारिश दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई है तो इस पर 95 लाख रुपया खर्च होगा । प्रश्न केवल संसाधनों का ही नही अपितु देश के अन्य भागों के अध्यापकों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का भी है ।

Shri George Fernandes: My question as to why all the three types of institutions are not being brought under Delhi Administration has not been replied.

Shri Madhu Limaye: I raise a point of order.

डा० त्रिगुण सेन : इस सम्बन्ध में कुछ प्रशासनिक प्रश्न भी हैं। हम दूसरी बातों के अलावा वेतनमानों के प्रश्न को हल करना चाहते हैं और हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि अध्यापकों को किस अपराध के कारण और किस धारा के अधीन गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा मंत्री ने यह बताया है कि भूख-हड़ताल के दिन वह अध्यापकों से मिलने गए थे किन्तु पुलिस ने उससे पहले अध्यापकों को वहां से हटा लिया। क्या गृह मंत्री इस बात का पता लगायेंगे कि इसमें कुछ सत्ताधारी व्यक्तियों का ऐसा कोई षडयंत्र तो नहीं था जिससे अध्यापक शिक्षा मंत्री से बातचीत न कर सकें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं कह चुका हूँ कि हम मामले की छानबीन करेंगे।

श्री बेरो : जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो केन्द्रीय सरकार इसके कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार नहीं करती है। शिक्षा मंत्री ऐसी स्थिति में दिल्ली के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के बारे में इतने चिन्तित क्यों हैं जबकि इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ रहा है ? सिद्धान्त एक ही होना चाहिये।

डा० त्रिगुण सेन : जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमारा एक ही सिद्धान्त है और हम सम्पूर्ण भारत में अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में विचार कर रहे हैं। मैं यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ।

Shri S. M. Joshi: The Hon. Minister has stated that he is going to look into the cases of arrest of teachers. I would like to know whether the teachers would be released in case there is no allegation of voilence against them.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं कह चुका हूँ कि सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

श्री अ० बि० वाजपेयी : मंत्री महोदय ने बताया है कि सभी मांगों को स्वीकार करना संभव नहीं है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वह आधी मांगें मानने को तैयार हैं।

डा० त्रिगुण सेन : मैं नहीं कह सकता कि इसे आधा कहा जाये या चौथाई कहा जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह उनसे मिलने और बात करने के लिये तैयार हैं।

डा० त्रिगुण सेन : हां, मैंने यही कहा है।

श्री श्रीचन्द गोयल : शिक्षा मंत्री ने महसूस किया है कि अध्यापकों द्वारा मजदूर संघ के तरीकों का अपनाया जाना ठीक नहीं है। वह यह भी महसूस करते हैं कि परीक्षाओं के लिये बहुत कम समय रह गया है और ऐसी स्थिति में स्कूलों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन्हें हड़ताल की नोटिस कब मिली थी और हड़ताल को रोकने के लिये क्या कुछ कदम उठाये गये हैं ? वह इसे झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर मामले को अन्य व्यक्तियों पर क्यों छोड़ रहे हैं और अध्यापकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर स्वयं ही समस्या का हल क्यों नहीं निकाल लेते हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरी झूठी प्रतिष्ठा या लाभ उठाने की जैसी कोई भावना नहीं है । मैं श्री बनर्जी को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं स्वयं उनको मिलने और इस सम्बन्ध में उनसे विचार विमर्श करने गया था ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये हमने इस पर 45 मिनट तक चर्चा की है । अध्यापक कल या परसों से हड़ताल करना चाहते हैं । मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय उनसे मिलने को तैयार हैं ।

श्री अ० बि० बाजपेयी : वे जेल में बन्द हैं ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री कहते हैं कि वे भी इस मामले पर विचार करेंगे । मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ कि मंत्री सभा में ही कुछ कह दें । माननीय सदस्य उनसे बातचीत कर सकते हैं और कल तक कोई हल निकाल सकते हैं जिससे परसों कोई कठिनाई न उत्पन्न हो सके ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Fire To College Building At Aijal

*334. **Shri Ramji Ram:** **Shri Ram Avtar Shrama:**
Shri Shiv Kumar Shastri: **Dr. Surya Prakash Puri:**
Shri Bhogendra Jha:

Will the Minister of **Home Affairs be** pleased to state:

(a) Whether it is a fact that students put on fire a college building at Aijal racently;

(b) Whether it is also a fact that Chief Executive Member of the Mizo District Council has attributed it to insufficient security arrangements;

(c) the loss incurred by Government in this incident; and

(d) the steps taken by Government to tighten security arrangements and to safe-guard the life and property of the inhabitants?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) On the night of October 31st and November 1 st. 1967, Mizo hostiles entered the compound of Government College, Aijal and set fire to the office building of the college.

(b) There is no such information.

(c) The newly built office building of the College along with records, furniture, equipment, etc., was burnt. The main college building was unaffected.

(d) Security Forces have intensified patrolling and are continuing combing operations to locate and apprehend Mizo hostiles.

प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान कार्य

*335. **श्री न० कृ० साल्वे :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने इस आधार पर प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान कार्य आरम्भ करने से इन्कार कर दिया था कि वह अन्य कार्यों में बहुत व्यस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा और शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले संगठनों के कार्यों को उचित ढंग से समन्वित करने का है ताकि अनुसंधान से प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) अभी तक ऐसी किसी रक्षा अनुसंधान समस्या के लिए मना नहीं किया गया जिसको हल करने में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशाला समर्थ है ।

1960 में केवल एक बार ऐसा उदाहरण सामने आया था जिसमें केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने एक सुपरिचित और आम प्रयोग किये जाने वाले खाद्य मद को तैयार करने की असमर्थता व्यक्त की थी जबकि वह 3 सप्ताह में तैयार करके दिया जाना था ।

(ख) अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के बीच अनुसंधान और विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों के क्षेत्रों में आपस में निकट समन्वय है। 1962 में आपत्काल की घोषणा के तुरंत बाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं और विविध रक्षा विभागों तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक रक्षा समन्वय एकक की स्थापना की गई थी। एकक एक स्टीयरिंग समिति के मार्गदर्शन में जो रक्षा और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधियों से बनी है, कार्य करता है । समिति के कार्य में सहायता करने के लिए 10 उप समितियां हैं ।वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियामक निकाय ने भी इस आशय का निदेश किया है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थानों में रक्षा प्रायोजनाएं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

सीमांत क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

*336. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा, पंजाब और भारत के अन्य राज्यों के लाखों भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को नेफा, जम्मू और काश्मीर, सिक्किम तथा मिजो पहाड़ियों में बसाने के अनुरोध किये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण):

(क) भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना के अधीन क्रमशः पंजाब और हरियाणा राज्यों के 143 और 59 भूतपूर्व सैनिकों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों से भी नेफा की योजना के अन्तर्गत बहुत से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) नेफा के लिये स्वीकृत भूतपूर्व सैनिकों के 100 परिवारों के पुनर्वास की एक योजना चल रही है। अभी हाल ही में नेफा प्रशासन ने भूनपूर्व सैनिकों के 650 परिवारों को बसाने की एक और योजना का प्रस्ताव भेजा है। यह विचाराधीन है।

त्रिपुरा में आदिम जाति के लोगों से गैर-आदिम जाति के लोगों को भूमि का हस्तांतरण

*337. **श्री रमानी :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री गणेश घोष :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आदिम जाति के लोगों से गैर-आदिम जाति के लोगों की भूमि के हस्तांतरण के बारे में 4 अगस्त, 1967 को साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की त्रिपुरा राज्य समिति से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमान्। त्रिपुरा सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) मुख्य बातें ये हैं :—

(i) मुख्यतः आदिम जाति बहुल क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों के लिये बस्तियां बनाकर आदिम जाति लोगों को भूमि पर से विस्थापन।

(ii) गैर आदिम जाति सूदखोरों तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा हथियाई गई आदिम जाति लोगों की भूमि।

(iii) शरणार्थियों द्वारा सरकार की सांठ गांठ और मौन स्वीकृति द्वारा आदिम जाति लोगों की भूमि पर जरबदस्ती कब्जा।

(iv) बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा चालाकी और देर तक चलने वाली कानूनी कार्यवाहियां।

(v) आदिम जाति लोगों को चाय बगानों के प्रबन्धकों द्वारा भूमि से विस्थापन।

(vi) सरकारी आरक्षित बनों की भूमि से आदिम जाति के लोगों का विस्थापन।

(vii) त्रिपुरा में कोई भी रिफ्यूजी न बसाये जायं।

(viii) त्रिपुरा के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों को संविधान की 5वीं सूची के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाय ।

(ix) अनुसूचित जातियों तथा गैर अनुसूचित जातियों के लोगों के बीच भूमि के झगड़ों के सभी मामलों की जांच करने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रतिनियुक्त किये जायं ।

(x) आरक्षित बनों के अन्दर की सारी कृषि योग्य भूमि भूमियों और भूमिहीन आदिवासियों के पुनर्वास के लिये उपलब्ध कराई जाय ।

(xi) भूमियों और भूमिहीन आदिवासियों के पुनर्वास की योजनाओं में आमूल परिवर्तन किया जाय ।

(ग) आवश्यक पूछ-ताछ की जा रही है और मामले की त्रिपुरा सरकार द्वारा जांच की जा रही है । त्रिपुरा में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र घोषित करने का विचार नहीं है ।

Linguistic States

*338. **Shri Y. S. Kushwah:** **Shri Ram Avtar Sharma:**
Shri Mahant Digvijai Nath: **Shri Shiv Kumar Shastri:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Chief Minister of Mysore has put up a proposal for the abolilton of linguistic States; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) Government have not received any proposal from the Chief Minister of Mysore suggesting the abolition of linguistic States.

(b) Does not arise.

आयातित दुग्ध चूर्ण का बरामद किया जाना

*339. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने 21 अगस्त, 1967 को कलकत्ता स्थित एक वाणिज्यिक फर्म पर छापा मार कर आयातित दुग्ध चूर्ण के 414 थैले बरामद किये;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने फर्म के एक डायरेक्टर के निवास स्थान की भी तलाशी ली और उसके पास से कुछ चीनी मुद्रा बरामद की ;

(ग) क्या उक्त फार्म ने पश्चिम बंगाल से बाहर स्थित अपने कारखानों में शिशु आहार तैयार करने के लिये दुग्ध चूर्ण के 968 थैलों का आयात किया था ;

(घ) क्या शिशु आहार तैयार करने के स्थान पर, फर्म के मालिकों ने 554 थैले दुग्ध चूर्ण कवर तथा पहचान के चिन्हों को नष्ट करने के बाद बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेच दिया; और

(ङ) इस फर्म का नाम क्या है और इसके निदेशक कौन-कौन हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) और (ङ) प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय जांच विभाग ने कलकत्ते में पी 38 इंडिया ऐक्सचेंज प्लेस स्थित मैसर्स अरुन इमपोर्टरस (पी०) लिमिटिड तथा उसकी सम्बन्धित संस्था मैसर्स इन्दौदन मिल्क प्रोडक्टस (पी०) लिमिटिड की तलाशी ली और 21-8-67 को आयातित दुग्ध चूर्ण के कुछ थैले बरामद किये।

उपरोक्त फर्मों के डायरेक्टरों के नाम इस प्रकार बताये जाते हैं--सर्वश्री जे० एन० अग्रवाल, पी० एन० अग्रवाल, सी० एम० जाजोडिया और एम० एम० गौड ।

(ख) डायरेक्टरों के निवास स्थानों की भी तलाशी ली गई और दो करंसी नोट जो चीनी मुद्रा के दिखाई देते हैं एक डायरेक्टर के निवास स्थान से बरामद हुए थे।

(ग) कहा जाता है कि यह दुग्ध चूर्ण पश्चिमी बंगाल से बाहर की दो फैक्टरियों में कन्डैंस्ड मिल्क आदि के निर्माण के लिये आयात लाइसेंसों पर आयात किया गया था।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

Soviet Visit By Education Minister

*340. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Mayavan:
Shri Bhogendra Jha:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Shiva Chandra Jha:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Ramji Ram:
Shri Mohan Swarup:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) Whether he visited Soviet Union recently;

(b) Whether he got certain assurances from the Russian Government for assistance in the field of education and science; and

(c) if so, the time by which such assistance is likely to be extended to India?

The Minister Of Education (Dr. Triguna Sen): (a) Yes, Sir.

(b) The Soviet authorities expressed keen interest in our developmental plans and agreed to give assistance to specific projects of science and technology.

(c) No precise timing was indicated but the details of Soviet assistance will be settled after the necessary project reports have been prepared.

सिल्चर-इम्फाल राजपथ

*341. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इकाफे की सहायता से सिलचर तथा इम्फाल के बीच पहाड़ी जंगल के इलाका से होकर जाने वाला एक राजपथ बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य पहलू क्या हैं;

(ग) उक्त राजपथ पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) इस सम्बन्ध में 'इकाफे' से क्या तथा कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (घ) सिलचर से इम्फाल तक की सड़क अंशतः आसाम में और अंशतः मणिपुर में पड़ती है। आसाम में सड़क का भाग सिलचर से जिरीबाम तक का अस्तित्व में है। उसका और सुधार करने में लगभग 25 लाख रुपये की लागत प्राक्कलित की जाती है। मणिपूर में जिरीबाम से इम्फाल तक एक नई सड़क मणिपुर योजना के भाग के रूप में 508 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर निर्माणाधीन है। चूंकि इस सड़क के पूरा हो जाने से सैंगाँव से तुर्की। ईरान क्षेत्र को मिलाने वाला एशियन हाई वे रूट संख्या ए-1 पर लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा दूरी में कमी हो जायेगी, इकाफे अध्ययन दल जिसने इस मार्ग के एक भाग का सर्वेक्षण कलकत्ता और बैंकाक के बीच 1962 में किया, सिफारिश की थी कि इस सड़क को पूरा करने में शीघ्रता की जाय तथा उसे और विकसित करने के लिये इकाफे को भारत के लिये किसी सहायता देने वाली एजेंसी द्वारा या दाता देश द्वारा 1 मिलियन डालर के सड़क निर्माण यंत्र सहायता के रूप में दिये जांय। इकाफे सचिवालय इस तथ्य का पता लगा रहे हैं कि इस उपस्कर की सप्लाई के लिये किस प्रकार सहायता का प्रबन्ध किया जा सकता है।

सुरसन्द में साम्प्रदायिक दंगे

*342. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नैपाल सीमा पर स्थित सुरसन्द में हुए साम्प्रदायिक दंगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;

(ग) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि कुछ निहित-स्वार्थी लोग साम्प्रदायिक झगड़ों को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(घ) क्या इस घटना के बारे जाँच करने का आदेश राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने दिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 15 अक्तूबर, 1967 के दंगों में 19 व्यक्ति मारे गये।

(ग) सरकार ने इस बारे में प्रेस समाचार देखे हैं।

(घ) भारत सरकार ने 1 अगस्त, 1967 से अब तक होने वाले प्रमुख साम्प्रदायिक उपद्रवों में से कुछ के कारणों तथा घटनाक्रमों की जांच करने के लिये जांच आयोग 1952 (1952 का 60 वां) के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री रघुबर दयाल की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया है ।

दिल्ली में सह-शिक्षा

343. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली प्रशासन ने सारी दिल्ली में सह-शिक्षा आरम्भ करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह परिवर्तन कब तक होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्रतिलिप्यधिकार

*344. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और भारत समेत बहुत से विकासशील देशों के बीच प्रतिलिप्यधिकार के मसले के सम्बन्ध में शीत युद्ध आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत बर्न अभिसमय का त्याग करके सभी दायित्वों से मुक्त होने का विचार कर रहा है ;

(ग) क्या इस समस्या को हल करने के लिये ब्रिटेन ने कुछ सुझाव दिये हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि विदेशी लेखकों को भारतीय मुद्रा में रायल्टी देने के प्रस्ताव का देश में पूरी तरह से समर्थन नहीं किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी, नहीं, जहाँ तक भारत सरकार को ज्ञात है ।

(ख) फिलहाल नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) विदेशी लेखकों को भारतीय मुद्रा में रायल्टी देने के लिए भारत सरकार की ओर से अभी ऐसी कोई बात नहीं चली है । यह केवल तभी सम्भव होगा जब बर्न-संघ के सदस्य देश स्टाक होम के मूल भाग का समर्थन करते हैं अथवा उसे स्वीकार करते हैं ।

नौवहन तथा बन्दरगाह सम्बन्धी समस्यायें

*345. **श्री यशपाल सिंह : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय नौवहन परिषद ने नौवहन तथा बन्दरगाह सम्बन्धी समस्याओं का, जिनके कारण निर्यात में कमी हो रही है तथा विदेशों में भारतीय माल का मूल्य बढ़ रहा है, उल्लेख करते हुए सरकार को एक टिप्पणी प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं, और

(ग) सरकार की उनके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

अखिल भारतीय जहाज परिषद ने नौपरिवहन और पत्तन सुविधाओं के बाबत निम्न लिखित मुख्य-मुख्य समस्याएं बतायी हैं :—

(1) **नौपरिवहन की समस्याएँ :**

(क) उच्च भाड़ा प्रभाव ।

(ख) मालों की अपर्याप्तता ।

(ग) उचित जगह का उपलब्ध न होना या माल को स्वीकार न करना ।

(2) **पत्तन की समस्याएँ :**

(क) पत्तन पर जहाजों का रुका रहना ।

(ख) माल लादने-उतारने की अपर्याप्त सुविधाएँ ।

(ग) बर्थों में भीड़ ।

(घ) यात्रिक साधनों की कमी ।

(ङ) भारी पत्तन-प्रभार ।

(च) गोदामों में स्थान की कमी ।

(छ) माल उठाने के नवीन तरीकों के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ ।

इसमें से अधिकांश समस्याएँ भली प्रकार से जानी पहचानी है तथा कुछ मामलों में उचित कार्यवाही शुरू कर दी गयी है और अन्य मामलों में विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है । अखिल भारतीय जहाज परिषद ने आश्वासन दिया है कि इस विषय में वह अपने विस्तृत अध्ययनों के पूरा होने पर व्यापक प्रस्ताव भेजेंगे ।

साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जांच आयोग

* 346. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री बलराज मधोक :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री मयाबन :
श्री मरण्डी :
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री बसवंत :
महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में हुए मुख्य साम्प्रदायिक दंगों के कारणों तथा क्रम की जांच करने के लिये एक आयोग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) :

(क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । जांच आयोग की नियुक्ति से सम्बन्धित अधिसूचना की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रखी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1779/67]

(ग) और (घ) भारत सरकार को जांच आयोग अधिनियम 1952 के अधीन ऐसा आयोग नियुक्त करने का अधिकार है । राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने की कानूनन आवश्यकता नहीं है । इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया गया क्योंकि परामर्श करने में समय लगता और साम्प्रदायिक स्थिति इस प्रकार की थी कि आयोग की स्थापना अविलम्ब आवश्यक थी । हां आयोग की नियुक्ति की घोषणा से पहले सम्बन्धित राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया था।

निजी थैलियां

*349. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों में से किसी ने स्वेच्छा से अपनी निजी थैली न लेने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या उनमें से किसी ने अपनी वर्तमान निजी थैली में वृद्धि किये जाने की मांग की है ; और

(ग) क्या उन में से किसी ने अथवा सभी ने अपने विशेषाधिकार छोड़ने की सहमति व्यक्त की है परन्तु वह अपनी थैलियां छोड़ने को सहमत नहीं हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) हैदराबाद के निजाम ने अपनी निजी थैली में वृद्धि की मांग की थी किन्तु सरकार उनकी निजी थैली में कोई वृद्धि करने के बारे में विचार नहीं कर रही है । सरकार को अभी हाल ही में काला हंडी के भूतपूर्व शासक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि उनकी निजी थैली की राशि में वृद्धि की जाय ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

दिल्ली पुलिस

* 350. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों को जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जिन पर अब मुकदमें चल रहे हैं पुनः नौकरी पर ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्हें विभागीय जांच होने के पश्चात नौकरी पर लेने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मामले अभी तक न्यायालयों के पास निर्णय के लिये शेष हैं ।

विज्ञान तथा टेक्नोलोजी की राष्ट्रीय अकादमी

* 351. **श्री योगन्द्र शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में विज्ञान तथा टेक्नोलोजी पर हुए गोल मेज सम्मेलन ने सुझाव दिया था कि देश में सभी पेशेवर वैज्ञानिक संस्थाओं तथा अकादमियों को एक साथ लाकर विज्ञान तथा टेक्नोलोजी की एक राष्ट्रीय अकादमी बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हां, गोल मेज सम्मेलन ने सिफारिश की है कि या तो मौजूदा चारों मुख्य वैज्ञानिक संस्थाओं का एकीकरण होना चाहिए अन्यथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की एक अलग राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की जानी चाहिए ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

हथियारों के लिये परमिट

* 352. **श्री समर गुह** ; क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चुनाव के बाद राइफलों साधारण बन्दूकों तथा छोटे हथियारों के लिये राज्यवार कितने नए परमिट दिये गये हैं तथा गत चुनाव से पहले वर्ष में उक्त हथियारों के कितने परमिट दिये गये थे ;

(ख) क्या किसी राज्य में बन्दूकों और छोटे हथियारों के लिये परमिट देने में असाधारण वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या चीन और पाकिस्तान से लगे हुए भारत के सीमान्त क्षेत्रों में तथा विद्रोही

नागा और मिजो लोगों से त्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बिना परमिट हथियार देने की सरकार की कोई योजना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) से (ग) हथियारों के परमिट (लायसेंस) देने का काम राज्य सरकारों का है। उनसे सूचना मांगी गई हैं। प्राप्त होने पर सूचना सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) जी नहीं श्रीमान्।

जम्मू के लिये स्वायत्तता

* 353. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के जम्मू-प्रदेश में स्वायत्त शासन के लिये एक शक्तिशाली आन्दोलन इस समय जोर पकड़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन से सम्बद्ध संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस मांग के पीछे क्या कारण है ; और

(घ) इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) ऐसा कोई जोर पकड़ता हुआ अथवा शक्तिशाली आन्दोलन नहीं है। वास्तव में तो मुख्य राजनीतिक दलों ने इस सुझाव का विरोध किया है। किन्तु जम्मू के कुछ नागरिकों से प्राप्त एक अभ्यावेदन में अधिक सौहार्द की वृद्धि की दृष्टि से राज्य के ढांचे के अन्दर रहते हुए जम्मू के लिये क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई थी। सरकार के विचार में स्वायत्तता की मांग उचित नहीं है ।

जम्मू और काश्मीर में जासूसों के गिरोह

* 354. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताशकन्द समझौते के बाद से अब तक जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में जासूसों के कितने गिरोह पकड़े गये हैं तथा खत्म किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन क्षेत्रों में लाखों-पाकिस्तानी घुसपैठिये अब भी तोड़-फोड़ की कार्यवाही में लगे हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें पकड़ने तथा देश से निकाल बाहर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) जम्मू तथा काश्मीर की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 35 जासूस गिरोह पकड़े गए हैं ।

(ख) इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिये अपने आप को छिपा कर रह रहे हों और उन्हें पहिचाना न जा सका हो, किन्तु उनकी राज्य में कोई बड़ी संख्या नहीं है ।

(ग) सरकार सतर्क है और जब कभी पाकिस्तानी घुसपैठियों का पता चलता है तब उचित कार्यवाही की जाती है ।

आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

*355. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री निहाल सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सब है कि पाकिस्तान ने घुसपैठियों प्रशिक्षण देने के लिये, जो आसाम में पहले की अपेक्षा अब अधिक संख्या में घुस रहे हैं, स्थायी शिविर लगाये हैं ;

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान कितने घुसपैठियों को बन्दी बनाया गया है ; और

(ग) उनमें से कितनों पर मुकदमे चलाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार के पास पाकिस्तान में स्थित ऐसे किसी प्रशिक्षण शिविर की सूचना नहीं है । पिछले छः महीनों के दौरान अवैध रूप से आसाम में प्रविष्ट होते हुए जिन पाकिस्तानी नागरिकों का पता चला उनकी संख्या में पिछले छः महीनों की अपेक्षा कमी हुई है ।

(ख) ऐसे 617 व्यक्तियों का पता चला है ।

(ग) अब तक 383 पर मुकदमे चलाये गये हैं ।

डेनियल वालकाट का स्काईमास्टर विमान

* 356. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कथित तसकर व्यापारी डेनियल वालकाट, का स्काईमास्टर विमान जो दिल्ली के एक मेजिस्ट्रेट के आदेशानुसार कुछ वर्षों से अदालती हिरासत (जूडिशियल कस्टडी) में है, खुले में पड़े रहने से बहुत क्षतिग्रस्त तथा खराब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिस समय विमान को पकड़ा गया था उस समय उसका अनुमानित मूल्य कितना था और इस क्षति के कारण कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या विमान की नीलामी की गई थी और कोई इसे लेने को तैयार नहीं हुआ तथा नीलामी में यदि इसका कोई मूल्य लगाया गया, तो कितना ; और

(घ) इस हानि के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) स्काईमास्टर वायुयान के अदालत के आर्डर पर जब्त होने और विमान-क्षेत्र अधिकारी की कस्टडी में रखे जाने से पहले ही कैप्टन वालकाट द्वारा उसका इंजन निकाल लिया गया था और देश के बाहर भेज दिया गया था । इसके बाद जो कुछ बचा हुआ था वह फ्यूजीलेज और विमान के ढांचे थे। ये हैंगर में, जहां कि जगह अत्यन्त सीमित थी, रखे जाने के लिए पर्याप्त मूल्यवान नहीं थे ।

ऐसा करने से काम के योग्य और अन्य मरम्मत हो रहे वायुयानों को जो कि कहीं अधिक मूल्य के हैं, हैंगर में नहीं रखा जा सकता था ।

(ख) वायुयान के पकड़े जाने के समय उसकी कीमत का कोई अनुमान नहीं लगाया गया था, लेकिन वायुयान इंजनों के आयात किये बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था । इसके अलावा, स्काईमास्टर परिचालन की दृष्टि से अलाभप्रद समझे जाते हैं । बाहर रखे रहने से वायुयान के बचे हुए हिस्से किस हद तक खराब हो गये, इसका तकनीकी तौर पर मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) अदालत द्वारा 28 सितम्बर, 1967 को की गयी नीलामी पर बोली लगाने वाला कोई नहीं आया ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बलगेरिया के प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा

*357. **श्री मरंडी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि हाल में बलगेरिया का एक शिष्टमण्डल भारत आया था और उसने दोनों देशों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक सम्बन्धों को व्यापक बनाने के अग्रेतर प्रयासों से बारे में भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमण्डल के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत हुई थी ;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने के बारे में कोई समझौता किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी हां ;

(ख) जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें शिक्षा, विज्ञान और टेक्नौलोजी, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और खेल, प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्रों में सहयोग तथा आदान-प्रदान से संबंधित विषय थे ।

(ग) जी हां । दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 1967-69 वर्ष के लिए एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(घ) कार्यक्रम में, जिसमें 35 विषय शामिल हैं, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, कलाकारों, विज्ञानों, अनुसंधान विद्यार्थियों, प्रकाशनों, कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान, छात्रवृत्तियों का प्रदान, डिग्रियों और डिप्लोमाओं को पारस्परिक मान्यता, रेडियो कार्यक्रमों वैज्ञानिक प्रकाशनों और प्रतिरूपों की व्यवस्था है ।

आसाम का पुनर्गठन

*358. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कछार जिले का सात व्यक्तियों पर आधारित एक प्रतिनिधि मण्डल मंत्री महोदय से सितम्बर में दिल्ली में मिला था और उसने एक ज्ञापन दिया था जिसमें आसाम के पुनर्गठन के समय बंगाली भाषायी जिलों के साथ उचित व्यवहार करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या विशिष्ट बातें कही गयी हैं ; और

(ग) उस बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। उस ज्ञापन में उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि आसाम का संघीय आधार पर पुनर्गठन किया जाय और कछार को उसमें सम्मिलित एक इकाई बना दिया जाय। यदि ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर से इस बारे में आपत्ति हो तो, उन्होंने सलाह दी थी कि, शेष आसाम को एक पृथक संघीय राज्य के रूप में संगठित किया जाय जिसमें कछार एक सम्मिलित इकाई हो, और यदि पहाड़ी जिलों को आसाम से अलग किया जाय तो कछार को अलग संघ राज्य क्षेत्र बना दिया जाय।

(ग) सरकार आसाम राज्य के पुनर्गठन का एक ऐसा आधार ढूंढने के बारे में प्रयत्नशील हैं जो जनता के सभी वर्गों को स्वीकार हो।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

*359. **श्री राम चरन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार को स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना करने वाले उस सरकारी संकल्प का उल्लंघन नहीं होगा जिसमें स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गयी है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग का संघ सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों पर क्षेत्राधिकार होगा ; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग को इस बात के लिए राजी करने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है कि वह भी लेखा परीक्षा के महा-निदेशक, चुनाव आयोग आदि जैसे समनुरूप निकायों की तरह संघ के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करें ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने क्षेत्राधिकार के प्रश्न को संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष रखा है; और उसके औपचारिक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

कोचीन पत्तन

*360. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **परिवहन तथा नौहवन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन का एक जापानी फर्म के सहयोग से विकास किया जाना है,

(ख) यदि हां, तो जापानी फर्म का नाम क्या है और समझौते की शर्तें क्या हैं, और

(ग) कोचीन पत्तन का विकास कब तक पूरा किये जाने की योजना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के०आर० वी० राव) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटक होटल

2211. **श्री नारायण दांडेकर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1967 में समाप्त हुई 18 माह की अवधि में आगरा में (पर्यटकों के लिये अनुमोदित) होटलों में प्रति मास कमरे वार तथा शय्यावार औसतन कितने यात्री ठहरते रहे ;

(ख) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को छोड़कर अन्य मुख्य पर्यटन केंद्रों पर होटलों में ठहरने वाले यात्रियों के तुलनात्मक औसत आंकड़े क्या हैं ;

(ग) उपर्युक्त पर्यटक होटलों में ठहरने वालों की संख्या में न्यूनता के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार के पर्यटन केन्द्रों पर सरकारी क्षेत्र में और अधिक होटल स्थापित करना कहां तक उचित है, विशेषकर उन पर्यटन केन्द्रों पर जहां दो या अधिक अनुमोदित होटल पहले से विद्यमान हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है। उसे सभापटल पर रख दिया जायगा ।

आग्नेयास्त्रों का निर्माण

2212. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करने तथा डाकुओं से आत्म रक्षा करने के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयुक्त आग्नेयास्त्र बनाने के लिए गैर-सरकारी उपक्रमों को लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की आम नीति क्या है; और

(ख) आग्नेयास्त्रों के गैर सरकारी निर्माता कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं; वे किन नगरों में इन्हें बनाते हैं, जिन आग्नेयास्त्रों को वे बनाते हैं उनका ब्यौरा क्या है, प्रत्येक निर्माता का वार्षिक उत्पादन कितना है और एक तैयार आग्नेयास्त्र का औसत मूल्य कितना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देश में शस्त्रास्त्रों को बनाने सम्बन्धी भारत सरकार की वर्तमान नीति 1956 के उनके औद्योगिक नीति संकल्प में प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार इन मदों का निर्माण केवल सरकारी क्षेत्र में रखा गया है। तदनुसार, भारत सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में शास्त्रास्त्रों के निर्माण के लिए कोई नये लाइसेंस जारी नहीं कर रही है । तथापि एयर राइफलों। एयर गनों और परकुशन कैपों का निर्माण इस समय इस नीति के क्षेत्र से बाहर रखा गया है ।

(ख) जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नक्सलबाड़ी संग्राम समिति

2213. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान नक्सलबाड़ी संग्राम समिति द्वारा जलपाईगुडी में आयोजित की गई एक सार्वजनिक सभा के बारे में यू० एन० आई० के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें एक प्रमुख वक्ता ने कहा था कि भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए माओ की विचारधारा ही एक मात्र संभव मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं और नक्सलबाड़ी में इनको अपनाया गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं तथा जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धन

2214. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :

क्या परिवाहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 तथा 1967-68 में अब तक केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात के लिए कितना धन नियत किया गया;

(ख) 1966-67 में इस धन का उपयोग किस प्रकार किया गया; और

(ग) 1967-68 में इस धन का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1966-67 में 51 लाख 34 हजार रुपये की राशि नियत की गई थी । 1967-68 के आयव्ययक में 22 लाख 30 हजार रुपये का उपबन्ध है । यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष पूरा होने से काफी पहले दे दी जायेगी ।

(ख) और (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमे

2215. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1967 को गुजरात उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मूल मुकदमों तथा अपीलों की संख्या, पृथक पृथक कितनी थी; और

(ख) इन मामलों को निपटाने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) मूल मुकदमे	20·4
अपील वाले मुकदमे	14·943

(ख) अनिर्णीत मुकदमों को निपटाने में देरी होने का मुख्य कारण न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या बताया गया है ।

गुजरात में विदेशी पर्यटक

2216. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्धारित करने का कोई उपक्रम किया है कि प्रतिवर्ष कितने विदेशी पर्यटक गुजरात में पर्यटक रुचि के स्थानों को देखने आते हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात आने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उसका कारण पता लगाने का प्रयत्न किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस विषय में सुधार के क्या प्रयत्न किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) आने वाले पर्यटकों की संख्या मालूम करने का कार्य गुजरात सरकार करती है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात आने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत उस संख्या में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है :—

वर्ष	पर्यटक रुचि के स्थानों पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या
1964-65	2,887
1965-66	3,989
1966-67	4,072

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में इंजीनियरी कालेज

2217. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन इंजीनियरी कालेजों की संख्या क्या है जिनको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने की सम्भावना है; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ ये कालेज खोले जाने हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी, कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेवानिवृत्ति की आयु

2219. **श्री दामानी** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में सेवा-निवृत्ति की आयु भिन्न-भिन्न है;

(ख) किन-किन राज्यों में सेवा-निवृत्ति की आयु में हाल में परिवर्तन किया गया है;

(ग) क्या सेवा-निवृत्ति की आयु में परिवर्तन केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से किया गया था अथवा उस परिवर्तन का निर्णय किये जाने के बाद ही उसकी सूचना केन्द्र को दी गई थी;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने सेवा-निवृत्ति की आयु एक निश्चित स्तर पर निर्धारित करने का आदेश दिया है; और

(ङ) किन-किन राज्यों ने उस आदेश का पालन नहीं किया है और इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु हाल में 58 वर्ष से कम करके 55 वर्ष कर दी गई है ।

(ग) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 से प्रभावित न होने वाली राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु निर्धारित कर सकती हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी जरूरी नहीं है । जहाँ तक पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा प्रभावित राज्यों के सम्बन्ध है उनके बारे में अधिनियम में यह उपबन्ध है कि सम्बन्धित राज्यों के लिए नियत किन्हीं भी कर्मचारियों पर 1 नवम्बर 1961 से तुरन्त पहले लागू सेवा की शर्तें केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लिये बिना उनके अहित में नहीं बदली जायेगी ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Assistance To Political Sufferers

2220. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications received from political sufferers of Madhya Pradesh for allotment of land and provision of financial assistance;

(b) the number of applicants to whom land has been allotted;

(c) the number of applicants to whom financial assistance has been provided and the total amount paid and the amount allocated to the Government of Madhya Pradesh for this purpose; and

(d) whether Government propose to provide additional assistance to the Government of Madhya Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (d) : According to the information made available by the Government of Madhya Pradesh in November, 1966 they had allotted 3919.34 acres of land to 414 political sufferers. Financial assistance to the extent of Rs. 14,750/- has been given to 84 political sufferers of Madhya Pradesh from the Home Minister's Discretionary Grant. The relief and rehabilita

tion of political sufferers is primarily the responsibility of the State Government. The question of giving any amount to the State Government from this Fund does not arise.

Rural Institutes

2221. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of rural institutes in the country State-wise;

(b) the State-wise number of rural institutes to whom grant is paid by the Central Government;

(c) the total amount of grants paid by the Central Government every year;

(d) whether Government propose to enhance the amount of grant given to rural institutes located in a backward State like Bihar; and

(e) if so, the extent to which the amount will be increased and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) to (c) A statement giving information about Rural Institutes of Higher Education is attached. **[Placed in Library. See No. Lt-1780/67]**

(d) and (e) Grants to Rural Institutes are paid by the Central Government every year according to a prescribed pattern for approved activities. There is no proposal to change this pattern in respect of the Institute in Bihar (Rural Institute, Birouli) alone.

Students in Delhi Colleges

2222. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the total student population of Delhi;

(b) the total number of students (boys and girls) studying in colleges of Delhi;

(c) the number of students studying in the colleges affiliated to Delhi University; and

(d) the number out of them studying for technical and medical courses ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) The enrolment during the current academic session is as follows :

(i)	Primary. Middle, Higher Secondary and Teachers Training School :	7,68,000 (estimated)
(ii)	Colleges of Delhi University	39,883
(iii)	Deemed universities & institutions of national importance	4,864
	Total	8,12,747

(b) 39,883, in so far as the recognized colleges are concerned.

(c) 39,883.

(d) 1,202 and 1,393 in Medical and Technical courses respectively.

Grants to Kashi Vidyapeeth

2224. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the year from which Government have been giving grants to Shri Kashi Vidyapeeth. Varanasi ;

(b) the total amount given to Shri Kashi Vidyapeeth so far ;

(c) whether some grant due to the Vidyapeeth is also lying undisbursed with the Government ; and

(d) if so, the amount thereof and the action being taken by Government to disburse that amount ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) The Ministry of Education has been giving grants to the Vidyapeeth since 1953-54,

(b) Rs. 27,13,939.20 upto March 1967.

(c) and (d) A maintenance grant of Rs. 2 lakhs has been paid during 1967-68. Some further adjustments on account of previous years' grants are pending. These will be made on receipt of audited accounts and the required information from the Vidyapeeth.

तमिल भाषियों के लिये अण्डमान में स्कूल

2225. **श्री किरुत्तिमन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान निकोबार द्वीपों में रहने वाले तमिल भाषियों ने इन द्वीपों में तमिल माध्यम स्कूल खोलने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितने स्कूल अब तक खोले गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन द्वीपों में और अधिक तमिल माध्यम स्कूल खोलने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) से (ग) अण्डमान व निकोबार द्वीप प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रियों की कलकत्ता यात्रा का रद्द किया जाना

2226. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने दो केन्द्रीय मंत्रियों को 24 अगस्त 1967 को अपनी कलकत्ता की प्रस्तावित यात्रा रद्द करने की सलाह दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री को पश्चिम बंगाल के तत्समय के मुख्य मंत्री से तार मिला था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि मैं आपका यहां आना हमेशा पसन्द करता हूँ तथापि 24 अगस्त को कलकत्ता आना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हड़ताल के कारण परिवहन के सभी साधनों, सरकारी एवं गैर-सरकारी, पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान

2227. **श्री यशदत्त शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ने एक कैमरा 35000 रु० में एक फर्म नवनीत कारपोरेशन से बिना टेंडर मंगाए खरीदा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अदायगी फौरन खरीद के 24 घंटे के भीतर ही जल्दी में चेक द्वारा की गई थी । यदि ऐसा है ता क्या ऐसे कैमरे की कीमत बाजार में इसकी आधी कीमत से भी कम थी; और

(ग) बिना टेंडर मंगाए अत्यधिक कीमत पर इस इस प्रकार की खरीद के क्या कारण थे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) कैमरा, जिसके साथ एन्लार्जर और आवश्यक उपसाधन भी थे, 35000 रुपये में सर्वश्री नवतीत ट्रेडिंग कम्पनी, सिकन्दराबाद से खरीदा गया था और खरीदने से पहले दर के सम्बन्ध में सर्वश्री एग्फा गैवर्ट इंडिया लिमिटेड, बम्बई से जो कि निर्माताओं के अधिकृत भारतीय एजेंट हैं, से पूछ कर तसल्ली कर ली गई थी ।

(ख) सर्वश्री एग्फा गैवर्ट इंडिया लिमिटेड, बम्बई ने 30,000 रुपये की दर प्रस्तुत की थी ।

(ग) सर्व श्री एग्फा गैवर्ट इंडिया लिमि०, बम्बई ने संस्थान के खुद के लाइसेंस पर आयात करने के लिए कहा था और वास्तविक प्रयोक्ता के आयात लाइसेंस के प्राप्त होने की तारीख से 5 महीने की अवधि में माल सुपुर्दगी के लिए लिखा था जबकि कैमरा स्थानीय संभरक के यहां पहले से ही उपलब्ध था ।

मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

2228. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किए गए केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर कोई विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो देशवार कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नागा क्षेत्रों का विलय

2229. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड सरकार ने मनीपुर और आसाम के नागा क्षेत्रों का नागालैण्ड में विलय करने के लिये सरकार को कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नागालैण्ड सरकार ने आसपास के ऐसे क्षेत्रों का जहां नागा लोग रह रहे है, नागालैण्ड में विलय करने के लिये कहा है और उन्होंने इस मसले को निपटाने के लिए एक सीमा आयोग बनाने का सुझाव दिया है । यह मामला विचाराधीन है ।

Bengal Bandh on 24th August, 1967

2230. **Shri Bibhuti Mishra** : **Shri Parthasarathy** :
Dr. Surya Prakash Puri : **Shri R. S. Vidyarthi** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the loss incurred by Government due to the suspension of Railways services, closure of Post Offices, suspension of Air Services and closure of other Central Government Offices on account of Bengal Bandh on the 24th August, 1967 ; and

(b) the steps taken by Government to avoid such losses ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) Ministry of Railways have estimated their loss at about thirty lakh rupees. Information from other offices of the Government of India is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) A letter has been addressed to all State Goevrnments clarifying the constitutional obligations of the State Government to ensure compliance with Central laws and to use their executive powers so as not to impede the exercise of the executive powers of the Union.

योजना की परियोजनाओं का मूल्यांकन

2231. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधर आयोग के केन्द्र-राज्य सम्बन्ध सम्बन्धी अध्ययन दल ने योजनाबद्ध परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिये एक विस्तरीय व्यवस्था का हाल में प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरणशुक्ल) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त केन्द्र-राज्य सम्बन्ध सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें आयोग को प्रस्तुत की गई । उस दलकी रिपोर्ट में दी गई हैं जिसकी प्रति संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई है । उन पर विचार करना आयोग का काम है । आयोग ने इस बारे में अपनी सिफारिशें अभी सरकार को प्रस्तुत करनी हैं । अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार की छुट्टियां

2232. **श्री दामानी** : क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की छुट्टियों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम

2233. **श्री मुहम्मद इस्माइल:** **श्री गणेश घोष:**
श्री राममूर्ति : **श्रीमती सुशीला गोपालन:**
श्री रमानी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापतनम के प्रबन्धकों ने अनुशासन संहिता के अधीन एक विवाद को पंच फैसले के लिये भेजने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुशासन संहिता के अधीन उस विवाद को पंच फैसले के लिये भेजने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख) सच्चाई तो यह है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और उसके कर्मचारी संघ के बीच विवाद की बातों पर समझौता कार्यवाही समझौता अधिकारी श्रम के स्थानीय सहायक आयुक्त, विशाखापतनम द्वारा की गई थी तथा एक स्थान पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया था कि इस मामले को स्वैच्छिक मध्यस्थ निर्णय के लिये सौप दिया जाय। किन्तु प्रबन्धकों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि भारत सरकार द्वारा नियुक्त इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड को इस मसले की मुख्य बातों का पहले ही पता था।

इस मामले की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद भारत सरकार ने भी इस मसले को न्याय निर्णय के लिये सौंपना आवश्यक नहीं समझा और उसने कर्मचारी संघ को हड़ताल वापिस लेने की सलाह दी।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की समन्वय समिति, बंगलौर का परिपत्र

2234. **श्री प० गोपालन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री अ० क० गोपालन:**
श्री चक्रपाणि : **श्री नम्बियार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण, बंगलौर शाखा के तृतीय श्रेणी सेवा संगठन के अध्यक्ष, श्री तिरुनारायणन की मृत्यु के संबंध में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी-संघ व संस्था की समन्वय समिति का कोई परिपत्र प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है ;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष और उस पर की गई कार्रवाही क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क) जी, हां ।

(ख) श्री तिरु नारायणन की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते समय समिति ने संकल्प किया कि यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उनपर क्षेत्रीय काम पर जाने के नृशंस कार्य के लिए दबाव न डाला जाता, तो कामरेड तिरु नारायणन के जीवन को बचाया जा सकता था। इस सहानुभूति तथा प्रारम्भिक औचित्य की कमी के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग निन्दा के योग्य है।'

(ग) और (घ) श्री तिरु नारायण का काम क्षेत्रीय काम करना था और सेवा की शर्तों के अनुसार उन्हे वर्ष में छः महीने के लिए क्षेत्रीय काम करना आवश्यक था। तीनों क्षेत्रीय मौसमो 1964-65 और 1965-66 1966-67 के, दौरान श्री तिरु नारायणन क्षेत्रीय कार्य के लिए बाहर नहीं भेजे गए थे क्योंकि डाक्टरी आधार पर क्षेत्रीय काम करने के लिए उन्होंने अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। इस वर्ष के क्षेत्रीय मौसम में श्री तिरु नारायणन ने स्वयं फील्ड कार्य के लिए स्वेच्छा प्रकट की और क्षेत्रीय दल के कार्यभारी अधिकारी से कहा कि उनकी हालत में सुधार है । इसके बावजूद, उन्हे केवल एक महीने की प्रत्येक अल्पाविध का क्षेत्राय काम दिया जाता था । इस अल्पकालिक क्षेत्रीय कार्य के लिए भी उन्होंने अपनी देखभाल के लिए अपनी पत्नी को क्षेत्र पर ले जाने की अनुमति मांगी थी और अनुमति दे दीं गयी थी, हालांकि सामान्य नियमोंके अनुसार, क्षेत्रीय कर्मचारियों के परिवारों को क्षेत्र पर जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री तिरुनारायण अपनी पत्नी के साथ विमान द्वारा बंताए रास्ते से न जाकर उससे लम्बे रास्ते से 28 अगस्त, 1967 को क्षेत्रीय काम पर चले गए, रास्ते में वह बीमार पड़ गए, पहली सितम्बर, 1967 को अस्पताल में दाखिल करा दिए गए और 8 सितम्बर, 1967 को उनकी मृत्यु हो गई।

इन वास्तविकताओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार कर्मचारी-संघ की समन्वय समिति द्वारा लगाए गए आरोप ठीक नहीं हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायती राज संस्थायें

2235. **श्री कं० हाल्दर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त किये गये जिला प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थाओं को जिला तथा स्थानीय योजनाओं को बनाने तथा उनकी क्रियान्विति के लिये और जिले में केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं की क्रियान्वित के लिये पूर्णतः जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये ;

(ख) क्या उक्त दल ने यह सिफारिश की है कि विकास कार्यों के प्रशासन में कलेक्टर का बिल्कुल हाथ न रहे ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को क्रियान्वित करने का है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क)से (ग) सिफारिशें जिला प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन दल की रिपोर्ट में दी गई हैं जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है । उन सिफारिशों पर विचार करना प्रशासनिक सुधार आयोग का काम है। आयोग ने इस बारे में अपनी सिफारिशें अपनी सरकार को प्रस्तुत करदी हैं। अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

Employment for Students During Vacations

2236. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have made arrangements to provide employment to the Indian Students during their vacations with a view to inculcate in them a habit of self-dependence, physical work and the will to work, so that they may not become a burden on their parents and be able to earn in order to meet their educational expenses as in the Western countries ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri Triguna Sen) :

(a) No, Sir.

(b) The Education Commission has recommended that vacations should, inter-alia, be utilised for "earning for maintenance", The problem has large financial and administrative implications. However, this recommendation of the Commission alongwith others has been brought to the notice of the State Governments and the Universities to consider them in the context of their own conditions.

विदेशी धर्म-प्रचारक

2237. **श्री रमानी** : **श्री प० गोपालन** :

श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री उमानाथ** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में विदेशी धर्म-प्रचारकों के विरुद्ध सरकार की कार्यवाही का मद्रास में कैथोलिक संस्था ने विरोध किया है.

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस विरोध के परिणामों पर विचार किया हे ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) मद्रास की कैथोलिक संस्था ने 31 अगस्त, 1967 को हुई बैठक में कार्यकारी समिति द्वारा पास किये गये संकल्प की एक प्रति भेजी थी जिसमें यह कहा गया था कि या तो सरकार को कैथोलिक धर्मप्रचारकों को नेफा में कार्य करना बन्द करके बाहर जाने सम्बन्धी आदेश को वापिस ले लेना चाहिये अथवा उसे अपराधी धर्मप्रचारको पर ही लागू करना चाहिये । उन्हें निष्कासन के बारे में कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया गया है परन्तु कुछ विदेशी धर्मप्रचारकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

पांडीचेरी में केन्द्रीय अधिनियमों को लागू करना

2238. **श्री कृष्ण मूर्ति :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यवहार प्रक्रिया संहिता, सम्पत्ति स्थानान्तरण अधिनियम तथा एडवोकेट अधिनियम को पांडीचेरी में लागू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) चालू सत्र में सभा में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जिस के अन्तर्गत इन अधिनियमों तथा बहुत से अन्य केन्द्रीय अधिनियमों को पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने की व्यवस्था की गई है ।

Foreign Missionaries

2239. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Ramavtar Sharma : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to issue orders asking foreign Christian missionaries to leave India after the period of their visa has expired ;

(b) whether Central Government have directed the State Governments not to extend the period of their visas ;

(c) the number of Christian missionaries expected to leave the country within the next two/three years as their visas would not be extended ; and

(d) the number of those missionaries whose visas have already expired and by when are they expected to leave the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Expenditure On Education Commission Report

2240. **Shri Rajdeo Singh**: Will the Minister of **Eduation be** pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had to incur heavy expenditure on the translation of the Report of the Education Commission on account of indiscriminate action taken by certain senior officials in the Central Hindi Directorate;

(b) whether Government propose to recover the remuneration paid to the concerned officials of this Directorate for translation and vetting or not to pay the remuneration in case it has not been paid so far; and

(c) whether Government propose to take steps to prevent such mismanagement in future?

The Minister Of Education (Dr. Triguna Sen): (a) The amount of remuneration to be paid to the officers of the Central Hindi Directorate is still to be determined.

(b) and (c) Do not arise.

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये केन्द्रीय आयोग

2241. **श्री न० कु० साल्वे :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक ने मंत्री महोदय को उनके मुख्य मंत्री के कल के दौरान उनके विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये केन्द्रीय आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा जाँच आयोग स्थापित किये जाने के सुझाव को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है ।

भारत-पाक विमान सेवा वार्ताएं

2242. **श्री सी० के० भट्टाचार्य : श्री मरंडी :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच अपनी राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों की विमान सेवायें समाप्त करने का फैसला किया है ;

(ख) क्या इसका कारण दोनों देशों के बीच बातचीत की असफलता है ;

(ग) यदि हाँ, तो बातचीत बंद होने का क्या कारण है ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में बातचीत पुनः प्रारंभ होने की कोई संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिह) :

(क) से(घ) सितम्बर, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने से भारत पाकिस्तान की एयरलाइनों ने दोनों देशों के बीच अनुसूचित विमान सेवाएँ चलाना बन्द कर दिया था । ये सेवाएँ अभी तक पुनः चालू नहीं की गयी हैं, लेकिन एक दूसरे के देश के क्षेत्र के ऊपर से होकर उड़ान करने के बारे में हुए दोनों देशों के पारस्परिक समझौते के अनुसार 10 फरवरी, 1966 से पाकिस्तान या भारत के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान तक या इन दोनों देशों में से किसी के एक स्थान से किसी तीसरे देश में किसी स्थान तक अनुसूचित विमान सेवाएँ चलाने की अनुमति दे दी गई है ।

दोनों देशों के बीच सिवल हवाई उड़ानों के पुनः शुरू किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है लेकिन इस विषय पर अभी तक अलग से कोई बातचीत नहीं हुई है ।

अतिथि गृह, चंडीगढ़

2243. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ के अतिथि गृह को हरयाना राज भवन में परिवर्तित कर दिया गया है ;

(ख) महत्वपूर्ण विदेशी महानुभावों तथा देश के विभिन्न राज्यों के अन्य महानुभावों के ठहरने के लिये, जिन्हें कई बार चंडीगढ़ आना-जाना पड़ता है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सरकार पर्यटकों के लिये एक नया अतिथि एवं विश्राम-गृह बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(घ) क्या सरकार ने इस भवन के निर्माण के लिये चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को धन उपलब्ध किया है ;

(ङ) क्या पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में अतिथि गृह बनाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से धन देने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हाँ, तो इस विषय में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ।

(ख) सेक्टर 7 में एक उपमंत्री का मकान संख्या 67 तथा सेक्टर 18 में स्थित पंचायत भवन के एक हिस्से को अतिथियों के रहने के लिये काम में लाया जा रहा है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Increase in Non-Hindu Population

2244. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of non-Hindus have considerably increased in India during the last 20 years;

(b) if so, the extent of increase and whether Government have ascertained the causes thereof; and

(c) whether any steps have been taken in this connection under the Family Planning Scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):

(a) The Census figures of 1951 and 1961 show that there has been considerable increase in the population of non-Hindus in India during the decade. The 1941 Census figures are not comparable since the areas covered during this and subsequent Censuswere different and there was also considerable movement of population after the partition of India.

(b) The increase referred to above is of the order of 30.03% (Jammu and Kashmir,

Pondicherry and NEFA, tor which population figures for 1951 are not available, are excluded from the calculations). The main causes seem to be excess of births over deaths and migrationh

(c) The Family Planning Scheme is a voluntary programme, the target of which is to reac. all people irrespective of caste, creed or religion as quickly and widely as possible. The question of special programmes for certain sections of the society does not, therefore, arise.

भारतीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वाणिज्यिक फर्मों के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा

2245. **श्री देवकी नन्द पाटोदिया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के एक अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि उन वाणिज्यिक तथा औद्योगिक फर्मों के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महा लेखा-परीक्षक द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें पर्याप्त सरकारी पूंजी लगाई हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सुझाव पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त लेखा तथा लेखा परीक्षा-कार्य में सुधार सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें उस प्रतिवेदन में हैं जो आयोग को प्रस्तुत किया गया है और उसकी प्रति संसद् पुस्तकालय में रखी गई है । इस विषय पर आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करनी है । इस प्रक्रम पर इस अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सड़कें

2246. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली की सड़कें आमतौर पर खराब हालत में रहती हैं और खासकर बरसात में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता ;

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली की ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें कौन-कौन सी हैं जिनकी साल में एक बार से अधिक मरम्मत करना जरूरी समझा गया है ;

(ग) पिछले चार वर्षों में, वर्षवार, सड़कों की मरम्मत पर कुल कितना खर्च आया है ;

(घ) क्या राजधानी में घटिया किस्म की बनी सड़कों के सम्बन्ध में जिम्मेदारी ठहराने के लिये सरकार ने एक जाँच आयोग नियुक्त करने का कभी विचार किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली तथा नई दिल्ली में सड़कों की हालत सन्तोषजनक है, अलबत्ता, जब कभी-कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है, तो कहीं-कहीं पर सड़कें खराब हो जाती हैं ।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण सड़कें इस प्रकार हैं :--

(एक) मथुरा रोड

(दो) पटेल रोड

(तीन) देश बन्धु गुप्ता रोड

(चार) एस० पी० मार्ग

(पांच) श्रद्धा नन्द बाजार

(छः) रानी झाँसी रोड

(सात) ग्रांड ट्रंक रोड

(आठ) नजफगढ़ सड़क

(नौ) पुरानी रोहतक सड़क

(दस) नईरोहतक सड़क

(ग्यारह) लिंक रोड (लोधीरोड तथा रिंग रोड को मिलाने वाली)

(बारह) पचकुंयाँ रोड

(तेरह) मेन गाँधी नगर रोड

(चौदह) महरौली-बदलपुर रोड

(पन्द्रह) डाइवर्सन टू गुड़गांव रोड

(सोलह) करनाल रोड इनमाइल 627

(सत्रह) लोअर बेला रोड

(अठारह) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2 इन्द्रप्रस्थ इस्टेट में उप सड़क

(ग) पिछले चार वर्षों में दिल्ली में सड़कों के रख-रखाव तथा सड़कों की मरम्मत पर कुल खर्च इस प्रकार है :

(एक) **दिल्ली में राष्ट्रीय राजपथ लिंक्स सड़कें**

1963-64	2.90 लाख
1964-65	3. 43 लाख
1965-66	4.47 लाख
1966-67	4. 36 लाख

(दो) **दिल्ली में राष्ट्रीय राजपथों के अलावा अन्य सड़कें**

1963-64	64.79 लाख
1964-65	66.19 लाख
1965-66	56.87 लाख
1966-67	79.72 लाख

(घ) और (ङ) हाल के वर्षों में दिल्ली में सड़कों पर यातायात अत्यधिक बढ़ गया है और प्रारम्भ में ये सड़कें इतने ज्यादा यातायात से लिये नही बनाई गई थी। इसलिये तथा कथित घटिया किस्म की सड़कों के लिये जिम्मेदारी ठहराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Working Hours OF Class IV Staff

2249. **Shri Ram Avtar Shastri**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 8 hours a day has been prescribed ao duty hours for all Government servants throughout the country and overtime wages are not paid for working more than this time; and

(b) if so, the justification for taking work continuously for 12 hours trom class iv Staff (Gate-keeper, Watchman) daily at Patna airport without grant of any overtime wages?

The Minister Of Tourism And Civil Aviation (Dr. Karan Singh).

(a) The working hours prescribed for the staff in the Civil Aviation Department vary from category to category as under :-

(i) Ministerial staff.	—	7 hours per day.
(ii) Operational staff	—	42/48 hours per week.
(iii) Chowkidars:		
(a) Continuous	—	54 hours a week,
(b) Intermittent	—	75 hours a week.
(c) Casual	—	No fixed hours.

Over time Allowance is paid to the staff for working beyond the prescribed hours, and for this purpose the working hours are computed on daily basis in the case of Ministerial staff and on weekly basis in the case of other categories.

(b) The daily working hours of Class IV staff in Civil Aviation Department vary from place to place, but in no case are the total prescribed hours of work per week exceeded without payment of overtime allowance.

छात्रों के उपद्रवों के कारण केन्द्रीय सरकारी सम्पति की हानि

2250. **श्री जो० ना० हजारिका:**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 से अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में छात्रों के उपद्रवों के कारण विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय सरकार की क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुई सम्पत्ति के बारे में सरकार को कोई जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई गैर-सरकारी सम्पत्ति भी नष्ट हुई है अथवा उसे क्षति हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो कितने मूल्य की सम्पत्ति की क्षति हुई है; और

(ङ) क्या गैर-सरकारी पक्षों द्वारा कोई मुआवजा मांगा गया है, तथा क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है अथवा अस्वीकृत किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ङ) जनवरी, 1966 से अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में मनीपुर पांडिचेरी, नेफा, अन्डमान तथा निकोबारदीप समूह, गोआ, दमण, दीव, दादरा तथा नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, ल० म० और अ० द्वीप समूहों में केन्द्रीय सरकारी सम्पत्ति अथवा गैर-सरकारी सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उड़ीसा की सरकार ने बताया है कि 10 नवम्बर, 1966 को गंजाम जिले के बरहामपुर नगर में विद्यार्थियों ने आग लगाकर चार गिरजाघरों यथा रोमन कैथोलिक चर्च, व्याप्टिस्ट चर्च, सेन्ट स्टीफैन्स चर्च, तथा व्याप्टिस्ट तेलगू चर्च को क्षति पहुंचाई थी। गिरजाघरों के पुनर्निमाण के लिये राज्य सरकार ने गिरजाघर अधिकारियों को 1,07,700 रुपये मुआवजा दिया है। उड़ीसा तथा अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी सम्पत्ति को पहुँचाई गई क्षति के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायगी।

Freedom Fighters

2251. **Shri Y. S. Kushwah:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to issue a certificate of "Soldiers of the Indian Independence Struggle" to all the freedom fighters who are alive; and

(b) the steps taken by Government to bring about uniformity in the rules under which facilities are being provided by the various States to the said freedom fighters ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No, Sir.

(b) Relief and rehabilitation of Political Sufferers is primarily the responsibility of the State Government. The conditions for treating a person as political sufferer followed by the Government of India have been communicated to the State Governments.

Hindustan Shipyard

2253. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1647 on the 8th August, 1967 and state :

(a) whether Government have considered the recommendations made by the Hindustan Shipyards' technical consultants regarding certain items of machinery and components required for the shipyard;

(b) if so, the decision taken in the matter; and

(c) if not, the time likely to be taken?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) to (c) The consultants, M/s Daya Shanker & Associates, have recommended the acquisition of certain items of machinery and equipment by the Shipyard. The proposals of the consultants are under the consideration of the managements in meantime, the management

of the Shipyard submitted proposals to Government for acquisition of certain urgently needed items of machinery and equipment estimated to cost Rs. 28.5 lakhs.

Govt. have approved expenditure of Rs. 8.5 lakhs being incurred for the purchase of certain items at a cost of Rs. 8.5 lakhs. Detailed proposals in regard to the acquisition of a 45 ton crane at a cost of Rs. 20 lakhs are awaited from the Shipyard.

बम्बई मारीशस विमान सेवा

2254. **श्री स० च० सामन्त :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की बम्बई और मारीशस के बीच चलने वाली पक्ष में एक बार की विमान सेवा जिसका उदघाटन इस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस को किया गया था, लाभ पर चल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो अक्तूबर, 1967 के अन्त तक प्रति उड़ान औसत हानि कितनी हुई; और

(ग) उद्घाटकीय उड़ानों में भाग लेने के लिए आमंत्रित व्यक्तियों की संख्या व उनके नाम क्या थे औ उनमें से कितने व्यक्ति उद्घाटकीय उड़ानों में गये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) अक्तूबर, 1967 के अन्त तक औसत हानि प्रति 'राउण्ड ट्रिप' 1.09 लाख रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) एयर इंडिया ने 15 अगस्त, 1967 को बम्बई से मॉरीशस के लिए केवल एक उद्घाटकीय उड़ान परिचालित की । 44 व्यक्ति आमंत्रित किये गये (सूची संलग्न है) [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 1781/87] जैसा कि सूची में बताया गया है केवल 37 आमंत्रित व्यक्तियों ने आमंत्रण से लाभ उठाया ।

उच्चतम न्यायालय की भाषा

2255. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी को लागू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

2256. **श्री मेघचन्द्र :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीपुर आसाम के वेतन और महंगाई

भत्ते के ढांचे का अनुकरण करता है और चूंकि आसाम सरकार ने दास आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दर बढ़ाने के लिये सहमत हो गई है, सरकार मनीपुर सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और मंहगाई भत्ता किस तरीख से बढ़ाया जायेगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को आसाम सरकार के तत्सम पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के समान वेतन तथा भत्ते मिलते हैं; आसाम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में आदेश अभी जारी नहीं किये हैं । इसलिये वर्तमान प्रक्रम पर मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

कोट्टयम-वेतचूर सड़क

2258. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अब्राहम :

क्या **परिवहत तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल में कोट्टयम-वेतचूर सड़क बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सड़क के निर्माण पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन): (क) से (ग) कुमारकोम तथा वेतचूर से होकर कोट्टयम-वैकोम सड़क से सम्बन्धित दो योजनाएं एक-सड़क निर्माण कार्य की और दूसरी पुलों सम्बन्धी-नवम्बर, 1958 तथा दिसम्बर, 1960 में स्वीकृत की गई थी और प्रत्येक योजना पर 4 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान था । इन दो योजनाओं में से प्रत्येक पर कुछ काम पूरा हो चुका है । जो काम पूरा हो चुका है, उस पर लगभग 3.07 लाख रुपये खर्च आया है ।

राज्य सरकार ने अब यह सूचित किया है कि दोनों योजनाओं पर शेष काम पूरा करने के के लिये 9.42 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी और उन्होंने इसकी स्वीकृति माँगी है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ जानकारी मांगी गई है और जवाब की प्रतीक्षा है ।

विश्वविद्यालय में अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष

2259. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में अभी भी अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष का पद विद्यमान है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए निर्देश को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) जी नहीं।

(ख) इन विश्वविद्यालयों में अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाठ्य पुस्तकें

2261. **श्री रणधीर सिंह:**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के सभी स्तरों की इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा और कृषि सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकों को आधुनिक भारतीय भाषाओं में तैयार करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) भारत सरकार का वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि सम्बन्धी आयोग उसके द्वारा तैयार की गई शब्दावलि का प्रयोग कर रहे विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री कक्षाओं के लिये आधुनिक भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग, विज्ञान चिकित्सा तथा कृषि सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। अब तक जो पुस्तकें तैयार की गई हैं उनमें अधिकतर हिन्दी में हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें अन्य भारतीय भाषाओं में भी हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में हुई प्रगति इस प्रकार है:

अनुवाद/मौलिक रूप से लिखने के लिये ली गई	
पुस्तकें	229
प्रकाशित पुस्तकें	30
मुद्रण में	9

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के मार्गों पर प्राइवेट बसें

2262. **श्री एस्थोस :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री अब्राहम :**
श्री नायनार : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम के मार्गों पर चलने वाली प्राइवेट बसें सन्तोषजनक सेवा नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) उनकी सेवा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (घ) इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि यह व्यवस्था कैसी चल रही है।

नीन्दकारा पुल

2263. **श्री एस्थोस :** **श्री चक्रपाणि :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री नायनार :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर केरल में नीन्दकारा नामक स्थान पर सड़क का नया पुल बनकर तैयार हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह निर्माण कार्य संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) निचली मिट्टी की क्षमता के बारे में विस्तृत रूप से जाँच करनी पड़ी थी और इस काम में काफी समय लगा, अतएव पुल को पूरा करने में विलम्ब हो गया है लेकिन इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ थी वे अब हल हो गई हैं ।

(ग) ऐसी आशा है कि यह निर्माण कार्य आगामी काम के सीजन में अर्थात् वर्ष 1968-69 के दौरान पूरा हो जायेगा ।

क्विलोन में उपमार्ग का निर्माण

2264. **श्री एस्थोस :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री अब्राहम :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन नगर से राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 तक एक उपमार्ग के निर्माण के बारे में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस उपमार्ग के बनाने पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस अभ्यावेदन का अध्ययन किया गया है और यह मान लिया गया है कि उपमार्ग बनाने की आवश्यकता है । लेकिन वर्तमान वित्तीय कठिनाई के कारण, इस कार्य को उच्च वरीयता देना संभव नहीं है ।

(ग) इस उपमार्ग पर कुल खर्च 100 रुपये आने का अनुमान है ।

Vikram Jayanti

2265. **Shri Y. S. Kushwah : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Sita Ram Kesari :**

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the crew of the Indian Oil tanker "Vikram Jayanti" had abandoned the ship in the bay of Biscay after it had caught fire there;

(b) if so, the cause of the fire; and

(c) the estimated loss of life and property as a result of this accident?

The Mininter of Transport and Shipping (Dr. V.K.R.V. Rao):

(a) to (c) No Sir, the crew did not abandon the tanker. Fire was observed at 04.00 hours in the engine room on 5. 11. 1967. Various flaps provided to shut off air supply to the engine room were closed. The crew made fast the tanker to a towing tug and thereafter left the tanker at about 1200 hours, as the Master felt it dangerous to remain aboard. The Master who was in the towing tug observed at 23.00 hours that no smoke was coming out and reboarded and stayed on the tanker till she arrived at Brest. There was no loss of life. The extent of damage and cause of fire are under investigation.

Standard of Sports in India

2266. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the comments of Raja Bhalinder reported in Press to the effect that the standard of sports in India is declining due to the policy of indifference of the Ministry; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Bombs Recovered During Ranchi Riots

2267. **Shri Y. S. Kushwah: Shri Beni Shankar Sharma:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that firearms and powerful bombs were recovered from some persons when search was made at the time of riots in Ranchi;

(b) if so, the number of bombs, guns, rifles and bullets recovered;

(c) whether those lethal weapons bore the markings of certain foreign ordinance factories and if so, the name of those countries; and

(d) the number of persons arrested in this connection and the action being taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) The following explosives and fire-arm were recovered:—

(i)	Live small bombs looking like hand grenades ...	3
(ii)	Small hand grenades ..	41
(iii)	Gun ...	1
(iv)	Bullets ...	81
(v)	Some material for manufacturing explosives were also recovered.	

(c) No, Sir.

(d) 14 persons have been arrested and cases against them are under investigation.

चंडीगढ़ में सरकारी रिहायशी क्वार्टर

2268. **श्री ओंकार गोयल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ में सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले लोगों से लॉनों तथा बाड़ की झाड़ियों आदि के रख-रखाव के लिये कुछ राशि ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यह राशि कब से वसूल की जा रही है;

(ग) इससे प्रतिमास लगभग कितनी राशि प्राप्त होती है और सरकार प्रतिमास वस्तुतः लॉनों तथा बाड़ की झाड़ियों आदि के रख-रखाव पर लगभग कितनी राशि खर्च करती है;

(घ) इस राशि को वसूल करने का कानूनी औचित्य क्या है ;

(ङ) क्या सरकारी कर्मचारियों ने इस शुल्क की वसूली पर आपत्ति उठाई है; और

(च) इन आपत्तियों पर सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है; तो क्या ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ये राशियाँ 6 जनवरी, 1967 से वसूल की गई हैं और उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

मकान की किस्म		प्रतिमास ली जाने वाली राशि
III	3000 रुपये से अधिक वेतन	15 रुपये
IV	(2000-3000)	12 रुपये
V	(1500-2000)	10 रुपये
VI	(1000-1500)	8 रुपये
VII	(750-1000)	6 रुपये
VIII	(500-750)	5 रुपये

(ग) प्रतिमास लगभग 1695 रुपये वसूल होते हैं और सरकार इन मकानों पर जिनकी संख्या लगभग 250 है, प्रतिमास वस्तुतः 7127 रुपये खर्च करती है ।

(घ) ये राशियां एफ० आर० 45 बी के पैरा VI के अन्तर्गत वसूल की जाती हैं ।

(ङ) और (च) सात अभ्यावेदन मिले थे जिन्हें अस्वीकृत किया गया है ।

India-Mauritius Air Service

2269. **Shri Shri Chand Goel:** **Shri Sharda Nand:**
Shri N. S. Sharma: **Shri A. B. Vajpayee:**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Air India started new Mauritius and Kuala Lumpur air services on the 14 and the 18th August, 1967 and at the time of inaugural flights invited some press representatives;

(b) Whether it is also a fact that press representatives of six English dailies some with less than ten thousand circulation were invited whereas the representatives of a number of Indian language dailies, with more than one lakh circulation, were not invited;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the policy of Government in this regard?

The Minister Of Tourism And Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) Yes, Sir. Air India operated an inaugural flight to Mauritius on August 15, 1967 and one to Kuala Lumpur on August 18, 1967. Seventeen newspaper men were invited for the Mauritius Inaugural and twelve for the Kuala Lumpur Inaugural by the corporation.

(b) While there were no representatives from language press on the Mauritius inaugural, representatives from 'Kalki' and 'Swadesamitran' were invited as Air India's guests on the Kuala Lumpur inaugural. There were only 4 representatives of the publications with a circulation of less than 10, 000 among the guests. Of these, two represented publication on aviation.

(c) Invitations to inaugural flights are determined by the Corporation basically on commercial considerations. The Corporation generally invites only those newspapers whose readers are potential air travellers. Circulation is not the only criterion for selecting newspaper guests on inaugurals.

(d) Air India is an autonomous body under the Air Corporation's Act, and inaugural flights are organised by them in terms of an International Air Transport Association resolution on this subject. As this is a matter entirely within their competence, Government leave the decisions about the guests to be invited to them, unless advice in regard to any particular category of guests is sought.

पश्चिम बंगाल में सेना की सहायता ली जाना

2270. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1967 के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल में आसनसोल में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये सेना को बुलाना पड़ा था, और

(ख) किन परिस्थितियों में ऐसा कदम उठाना पड़ा था ?

गृहकार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) और (ख) 6 सितम्बर, 1967 को आसनसोल में, जहाँ बस कर्मचारियों तथा छात्रों के बीच झगड़ा हो जाने के कारण दंगा हो गया था, विधि तथा व्यवस्था कायम रखने में सिविल अधिकारियों की सहायता करने का सेना से अनुरोध किया गया था। 12 सितम्बर, 1967 को सेना वापस बुला ली गई थी।

Translation Work in Scientific and Technical Terminology Commission

2271. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the total number of standard works being translated and written under the scheme the Scientific and Technical Termilogy Commission at present;

(b) the number of those out of them which are being translated by the staff of the commission;

(c) the number of those out of them, which have been published so far; and

(d) the number of additional standard works whose translation the aforesaid Commission propose to undertake ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) 716

(b) 86

(c) 124 out of the 716

(d) 900.

Central Hindi Directorate

2272. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state: the number of Research Assistants and Technical Assistants separately in the Central Hindi Directorate as on the 1st March, 1967 and the 1st October, 1967 respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

The number of sanctioned posts of Research and Technical Assistants in the Central Hindi Directorate as on the 1st March and 1st October, 1967 were as follows:—

	1st March, 1967	1st October, 1967
Research Assistants	43	24
Technical Assistants	12	10

Technical Staff In Hindi Directorate

2273. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Minister of Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ministerial staff employed to meet the service requirements of technical staff in the Central Hindi Directorate is about double the strength of technical staff; and

(b) tf so, the reasons therefor and whether action is being taken to balance this ratio ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shai Sher Singh) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Translation of Standard Books

2274. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Scientific and Technical Terminology Commission is getting standard books translated by various translation agencies at present;

(b) if so, the total number of such agencies working at present;

(c) whether there is any scheme to get the standard books translated by experienced staff of the commission as well; and

(a) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) there are 47 translating agencies working at present.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

Soviet visit by Education Minister

2275. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Mohan Swarup:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether during his visit to Russia, he also studied the manner in which the Russian Government solved the language problem; and

(b) if so, the main findings of the study ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) and (b); Although I did not make a special study of the language problem in the Soviet Union, I was much impressed by the care and deliberation with which the Soviet authorities had promoted the use of regional languages as media of education in their different Republics.

त्रिपुरा के आदिम जातीय क्षेत्र

2276. **श्री रमानी : श्री गणेश घोष :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा के सुसंहत आदिम जातीय क्षेत्रों को संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत "अनुसूचित क्षेत्र" घोषित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग (ढेबर आयोग) प्रतिवेदन, 1961 में त्रिपुरा में कोई अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश नहीं की गई थी। वास्तव में अपने प्रतिवेदन के अध्याय 8 में आयोग ने यह सिफारिश की थी कि संविधान के बाद बदली हुई

परिस्थितियों में आदिम जातियों को आदिम जाति विकास खण्डों के अन्तर्गत रखना अधिक लाभकारी होगा ताकि आदिम जाति जनसंख्या सघन विकास के अन्तर्गत लाई जा सके ।

Location of a Division Bench of Allahabad High Court at Meerut

2277. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Dr. Surya Prakash Puri** :
Shri Ramji Ram : **Shri Raghuvir Singh Shastri** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to locate a Division Bench of Allahabad High Court at Meerut; and

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) and (b) It is understood that the question of locating a Bench of the Allahabad High Court at Meerut has been raised by some persons with the Government of Uttar Pradesh and that the matter is under consideration of the State Government. There is no such proposal pending before the Allahabad High Court.

मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों के लिये सुविधाएं

2279. **श्री य० अ० प्रसाद** : **श्री वेदव्रत बरुआ** :
श्री न० कु० संघी : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव** :
श्री मयावन : **श्री मोहन स्वरूप** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्यम आय वर्ग के विदेशी पर्यटकों के लिये सस्ते भोजन, आवास तथा परिवाहन का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मोटी-मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के प्रबन्ध किये जाने के किये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं या चुने जाने के प्रस्ताव हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ग) पर्यटन बंगले बनाये गये हैं, तथा अधिक सस्ते किस्म के होटल–तीन स्टार होटल–मौजूद हैं जो मध्यम आय वर्ग के विदेशी यात्रियों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं । अधिक मंहगे होटल–चार और पाँच स्टार होटल–भी ऐसे मूल्यों पर सुविधायें प्रदान करते हैं जो सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले साधारण हैं, और विकसित देशों से आने वाले मध्यम आय वर्ग के यात्रियों के लिये बहुत ऊँचे नहीं हैं ।

बिहार के इंजीनियर

2280. **श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 5 करोड़ रुपये के कथित गबन तथा दुरुपयोग के

सम्बन्ध में बिहार के कई प्रमुख इंजीनियरों को निलम्बित किया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बिहार सरकार से प्राप्त हुए एक पत्र से यह प्रतीत होता है कि इलैक्ट्रिक वर्क्स सर्किल, पटना के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और तीन इलैक्ट्रिकल एक्जिक्यूटिव इंजीनियरों को, जो पहले पटना, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर जिलों में तैनात थे, निलम्बित किया गया है और कि उन पर सरकार को बहुत बड़ी राशि का धोखा देने का सन्देह है । हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का सुझाव दिया है, उन्होंने अभी तक इस मामले को अपने हाथ में नहीं लिया है क्योंकि राज्य सरकार से प्राप्त पत्र से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने बिहार के महालेखापाल से विशेष लेखा परीक्षा करने के लिये कहा है और कुछ भण्डार जांच दलों का भण्डारों की जांच करने के लिये विशेष रूप से गठन किया गया है। यह महसूस किया जाता है कि फौजदारी जांच पड़ताल आरम्भ करने से पहले इस जांच तथा लेखा-परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा करना वांछनीय होगा ।

दिल्ली परिवहन द्वारा बस के किराये में वृद्धि

2282. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में घाटे को पूरा करने के लिये दिल्ली परिवहन ने बस का किराया बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली परिवहन को कुल कितनी राशि का घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात की जांच करने का है कि यह घाटा किस प्रकार हुआ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली परिवहन के बजट अनुमानों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 91·29 लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन की वित्तीय स्थिति तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के अध्ययन के लिये नियुक्त किये गये कार्य अध्ययन दल ने जून, 1967 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस दल द्वारा की गई सिफारिशों पर यह उपक्रम विचार कर रहा है ।

विद्रोही मिजो लोगों द्वारा हाई स्कूल जलाया जाना

2283. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 सितम्बर, 1967 को एजल सिलचर सड़क पर कोलोसिब में सेंट जान हाई स्कूल को विद्रोही मिजो लोगों ने जला दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ईसाइयों का यह तीसरा स्कूल है, जिसे विद्रोही मिजो लोगों ने जलाया है; और

(ग) इन क्षेत्रों में इन स्कूलों तथा ईसाइयों को सरकार क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 19 सितम्बर, 1967 की रात को सेंट जान हाई स्कूल, कोलोसिब को मिजो विद्रोहियों ने आग लगा दी थी । स्कूल के दो कमरे क्षतिग्रस्त हुये । सुरक्षा सेनाओं ने आग को बुझा दिया था ।

(ख) हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) मिजो विद्रोहियों से सभी व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है और ऐसा करने में किसी धर्म विशेष का ख्याल नहीं रखा जाता ।

पाकिस्तान से भारत आये हिन्दू

2284. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री मयावन** :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा सेना द्वारा 12 हिन्दुओं को जिनमें स्त्रियां भी थीं, पाकिस्तान से 16 सितम्बर, 1967 को जम्मू के रायगढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते समय पकड़ लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन हिन्दुओं ने यह बताया है कि उन्हें इस बात के लिये बाध्य किया जा रहा था कि यदि वे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) दो हिन्दू परिवारों ने जिनमें प्रत्येक में 9 सदस्य थे 11 और 15 सितम्बर, 1967 को हमारी सीमा में प्रवेश किया गया था । उनका कहना है कि वे पाकिस्तान में आगे तभी रह सकते हैं जबकि वे अपना धर्म परिवर्तन कर लें । सरकार ने समय समय पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न पाकिस्तान के साथ उठाया है ।

चम्पाई में विद्रोही मिजो लोगों द्वारा गोली चलाया जाना

2285. **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 सितम्बर, 1967 को बर्मा की सीमा के साथ लगने वाली मिजो पहाड़ियों के पश्चिम में चम्पाई नगर में विद्रोही मिजो लोगों के एक बड़े दल ने कुछ मकानों पर अंधाधुंध गोली चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुये;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कुछ सम्पत्ति को लूटा तथा कुछ व्यक्तियों को उठा ले गये; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सुरक्षा सेना ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 9 सितम्बर को चम्पाई में विद्रोही मिजोओं के एक गिरोह ने गोली चलाई थी ।

(ख) एक व्यक्ति मरा और चार घायल हुये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय हिन्दी समिति

2286. **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी समिति बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति का स्वरूप क्या होगा और वह क्या काम करेगी; और

(ग) उसका अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन-कौन होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 सितम्बर, 1967 के संकल्प संख्या 8/2/67-एच एस एस, जिसके द्वारा केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1782/67]

Place of Revolutionaries in History

2287. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have given appropriate place to the life-history of revolutionaries like Madan Lal Dhingra, Bhagat Singh, Ram Prasad Bismil, Ashafaqulla in the history books prescribed in School and Colleges; and

(b) if so, the names of those revolutionaries and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr, Triguna Sen) :

(a) and (b) In the model textbooks of history for Schools that are now under preparation, the Editorial Board proposes to refer to the role of famous revolutionaries in the making of modern India.

Christian Population in India

2288. **Shri O. P, Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the percentage of increase in the number of Christians in each State and Union Territory according to the Census of 1961 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):

A statement giving percentage increase in the number of Christians in each State and Union Territory between 1951 and 1961 is attached. (**Placed in Library. See. No. Lt-1783/67**]

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का विकेन्द्रीकरण

2289. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनुभाग अधिकारी के स्तर तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा का विकेन्द्रीकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अनुभाग अधिकारी के स्तर तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा का 1 अक्तूबर, 1962 से विकेन्द्रीकरण किया गया था।

भारत में हिल्टन्स के सहयोग से होटल

2290. **श्री म० ला० सोंधी** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हिल्टन्स के सहयोग से होटलों की एक शृंखला स्थापित करने के लिये कोई निर्णय किया गया है;

(ख) ऐसे पर्यटक केन्द्र कौन-कौन से हैं जहाँ ऐसे होटलों की स्थापना किये जाने की संभावना है; और

(ग) देश में इस प्रकार के होटलों के लिये मंजूर की गई शर्तों के मुकाबले नये सहयोग की शर्तें कहाँ तक अनुकूल अथवा प्रतिकूल रहेंगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी नहीं। शिव सागर एस्टेट्स द्वारा हिल्टन होटल्स इन्टरनेशनल, यू० एस० ए० के सहयोग से बम्बई में एक होटल के निर्माण का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(ख) फिलहाल, विदेशी सहयोग के केवल एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है जो कि बम्बई में इंडियन होटल्स कम्पनी लि० (टाटाज) के साथ इन्टर-कांन्टिनेण्टल होटल कारपोरेशन (यू० एस० ए०) के सहयोग का है बम्बई के लिये ही दूसरा प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Vacancies in Scientific and Technical Terminology Commission

2291. **Shri Raj Deo Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it a fact that at present there are several vacancies of members in the Scientific and Technical Terminology Commission; and

(b) if so, the action being taken to fill up these vacancies and the reasons for which it has been delayed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Yes; Sir.

(b) Some reorganization of the working of the Commission is under consideration. Pending this some posts of members are being kept vacant.

Scientific and Technical Terminology Commission

2292. **Shri Raj Deo Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) Whether attention of Government has been drawn to the news item published under the caption 'Jahan Shabd bante hain' (where the words are coined) in 'Navbharat Times' dated the 29th August, 1967;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken to improve the State of affairs in the Scientific and Technical Terminology Commission ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The criticism is exaggerated. It is incorrect that senior officers have been provided with stenographers who do not know Hindi. There are some difficulties of accommodation and sales of commission's publications, but steps are being taken to remove them.

सूखी गोदी की सुविधायें

2293. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजों की मरम्मत के लिये भारतीय पत्तनों में सूखी गोदियों की उचित सुविधायें नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो बड़े बन्दरगाहों में सूखी गोदियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस काम पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) देश में वर्तमान सूखी गोदियां भारतीय व्यापारी जहाजों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अपर्याप्त हैं। सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सहायक के रूप में पूर्वी तट पर विशाखपत्तनम में 57000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों को आश्रय देने योग्य $800' \times 125' \times 38.7'$ आकार की एक बड़ी सूखी गोदी का निर्माण करने के लिये अभी हाल ही में एक योजना स्वीकार की है और इस परियोजना पर काम हो रहा है। कोचीन स्थित दूसरे शिपयार्ड में भी 85000 डी० डब्लू ० टी० तक के जहाजों की मरम्मत के लिये एक सूखी गोदी बनाने का विचार है। बम्बई तथा कलकत्ता के पत्तन प्राधिकारी भी पत्तन विकास योजनाओं के अंग के रूप में अतिरिक्त सूखी गोदियां बनाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं ।

(ग) विशाखापत्तनम में सूखी गोदी के निर्माण के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 5 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

राजनैतिक पेंशनें

2294. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत की भूतपूर्व अंग्रेजी सरकार द्वारा अनेक भूतपूर्व शासकों के साथ किये गये करारों के अनुसार उन्हें अब भी बराबर राजनैतिक पेंशन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो किन व्यक्तियों को अब भी राजनैतिक पेंशन मिल रही है;

(ग) प्रत्येक को कितनी पेंशन दी जाती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह पेंशन देना बन्द करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता के समय भूतपूर्व शासक परिवारों को अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई राजनैतिक पेंशनों की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1784/67**]। ये पेंशनें अब भी कुछ व्यक्तियों को दी जा रही हैं। हालांकि ये पेंशनें केन्द्रीय राजस्व में से दी जाती हैं, प्रत्येक मंजूरी की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनका हिसाब-किताब रखा जाता है। इस समय प्रत्येक पेंशन भोगी को दी जा रही राशि के आंकड़े, यदि इनकी आवश्यकता है, राज्य सरकारों से इकट्ठे करने होंगे। 8 जून, 1962 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2625 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु 3683 राजनीतिक पेंशन-भोगियों की सूची तथा प्रत्येक को दी गई राशि दर्शाने वाला विवरण 21 अगस्त, 1963 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

(घ) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

2295. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री मरंडी :**
श्री महाराज सिंह भारती : **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयीय विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) योजना फिलहाल तैयार की जा रही है।

अन्दमान द्वीप समूह

2296. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अन्दमान द्वीप समूह का हाल ही में दौरा किया था ;

(ख) इन द्वीपों के विकास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में उनका क्या अनुमान है ;

(ग) क्या उस क्षेत्र के लोगों ने केन्द्रीय सहायता के लिए कहा है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) भौतिक तथा भूगोलिक कठिनाइयों के बावजूद विकास कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से चल रहा है स्थानीय लोगों का विकास कार्यक्रम में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं :

(ग) और (घ) चूंकि यह क्षेत्र एक संघ राज्यक्षेत्र है इसलिये अपनी समग्र सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर ही देखता है और उन्हें यह सहायता अधिक से अधिक सीमा तक दी जाती है ।

डोकरीनाला पुल

2297. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 के करेली नर्बदा सैक्शन पर डोकरीनाला पुल पर अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ;

(ख) नये पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव किस अवस्था में हैं ; और

(ग) जनता के इस्तेमाल के लिये नये पुल के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावन है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) इस पुल पर हुई तीन दुर्घटनाओं में दो व्यक्ति मरे।

(ख) इस पुल के निर्माण के लिये एजेंसी तै की जा रही है और एक ठेकेदार का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के पश्चात इस पुल के लगभग 2 वर्ष में पूरे हो जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12

2298. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने नरसिंह पुर जिले में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 के निर्माण के लिए वनों के वृक्ष काटने पर कितना धन व्यय किया है ;

(ख) क्या यह खर्च स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री **(श्री भक्त दर्शन)** : (क) नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण के सम्बन्ध में वृक्षों को काटने, घने तथा अर्द्ध-घने वन को साफ करने पर 1,52,206 रुपये खर्च किये गये हैं ; इसमें से 15,267 रुपये वृक्षों को गिराने पर खर्च किये गये हैं।

(ख) और (ग) स्वीकृत प्राक्कलन में उपबन्धित राशि से अधिक व्यय हुआ है। यह प्राक्कलन कुछ क्षेत्रों को साफ करने के अनुमान पर तैयार किया गया था जिसमें कुछ निर्दिष्ट संख्या में वृक्षों के काटे जाने का अनुमान था और वन का कुछ विशिष्ट क्षेत्र प्रति वर्ग फुट के आधार पर साफ किया जाना था इस कार्य को करने पर ये अनुमान गलत पाये गये। ये कम थे और स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक व्यय इसी कारण से हुआ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

2299. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री 21 जून, 1967 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3141 के उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशकों की सेवाएं राज्यों को सौंपने के संबंध में अन्तिम रूप में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशकों को खपाने के संबंध में अपनी सम्मति और वहन करने की अपनी वित्तीय क्षमता जाहिर की है ; और

(ग) किसी राज्य सरकार द्वारा उन्हें खपाने में असमर्थ होने पर उनके वेतन, वरीयता और सेवा सम्भावनाओं की सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) केवल उन्हीं अनुदेशकों के सेवाए राज्यों को हस्तान्तरित की जाएंगी जो अनुदेशक उन्हें स्वीकार्य होंगे।

(ख) निम्नलिखित राज्य सरकारें अनुदेशकों के स्थानान्तरण से सिद्धान्त रूप में सहमत हैं : आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और काश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, (असम भी मामले पर विचार कर रहा है) निम्नलिखित संघीय क्षेत्र भी सहमत है: अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह गोआ, दमन और दीव; हिमाचल प्रदेश; मणिपुर ; नेफा; पान्डिचेरी; और त्रिपुरा।

अनुदेशकों के स्थानान्तरण के लिए जो राज्य सहमत नहीं हुए है वे हैं : केरल-जिसने राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को ही स्वीकार नहीं किया है ; मध्य प्रदेश और मद्रास, जहां राज्य में केवल चार अनुदेशक हैं। दिल्ली प्रशासन के उत्तर की प्रतीक्षा है।

भारत सरकार, स्थानान्तरित अनुदेशकों के वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्च को चौथी आयोजना की अवधि के दौरान वहन करने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) उनके वेतन तथा अन्य हितों के यथासम्भव संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयरलाइन्स के भूतपूर्व कर्मचारी

2300. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 'पाकिस्तान इण्टरनेशनल' के ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों की ओर से जो कि भारतीय राष्ट्रिक है, कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें आई० ए० सी० या एयर इंडिया में उपयुक्त खाली जगहों में खपा लेने के बारे में कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) : जी, हां । एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशनों को इन कर्मचारियों को यथासम्भव अधिक से अधिक संख्या में लेने की सलाह दी गयी है, और वे इन कर्मचारियों को इनके योग्य होने व रिक्तियों के उपलब्ध होने की शर्त पर खपा लेने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

भारतीय नौवहन निगम

2301. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय नौवहन निगम को बहुत भारी मुनाफा हुआ था ;

(ख) इतना अधिक मुनाफा होने में रुपये का अवमूल्यन कहां तक सहायक रहा ; और

(ग) आगामी वर्ष में इस निगम को अतिरिक्त नौभार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वित्तीय वर्ष 1966-67 में भारतीय नौवहन निगम ने 4.70 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है । इतना अधिक मुनाफा पहली बार ही हुआ है ।

(ख) रुपये के अवमूल्यन का इस मुनाफे में काफी योगदान है । परन्तु इस योगदान का सही अनुपात बताना संभव नहीं है ।

(ग) निगम के पास इस समय 5.51 लाख जी० आर० टी० के 33 जहाज बनाने के आदेश हैं । इसमें तीसरी योजना अवधि में आए आदेश भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध अभी जहाज सप्लाई नहीं किये गये हैं । निगम ने हाल ही में यूगोस्लावियों में तीन अयस्क/अनाज/तेल वाहकों का क्रयादेश दिया है; इनमें से प्रत्येक माल वाहक जहाज की क्षमता 85000 डी० डब्लू० टी० होगी । निगम को वित्तीय वर्ष 1968-69 में यूगोस्लाविया से 40,000 डी० डब्लू० टी० क्षमता के तीन मालवाहक जहाज, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, विशाखपतनम से 12,500 डी० डब्लू०टी० क्षमता के चार जहाज और मजगांव गोदी, बम्बई से 320 डी० डब्लू० टी० क्षमता का एक जहाज प्राप्त होने की आशा है ।

राजनैतिक बन्दी

2302. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये राजनैतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राजनैतिक बन्दी नहीं माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें भविष्य में राजनैतिक बन्दी मानने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों के जेल नियमों में राजनैतिक बन्दियों के रूप में प्रथम श्रेणीकरण का उपबन्ध नहीं है । उनको दोषी ठहराने वाली अदालतों की सिफारिश पर सभी बन्दियों को जेल में व्यवहार के लिये सामान्यतः दो या तीन श्रेणियों में बांटा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

शिक्षा के लिए समान आधार

2303. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कई अध्यापक संगठनों ने इस बात की माँग की है कि देश में शिक्षा के लिए समान आधार हों ;

(ख) क्या उन्हें ने पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की माँग भी की है; और

(ग) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद):

(क) और (ख) समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से समूचे देश में एकरूप शिक्षा प्रणाली प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सुझाव और पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ।

(ग) भारत जैसे विशाल देश के लिए शिक्षा में कठोर एकरूपता न तो वांछनीय है और न व्यावहारिक ही है । इस विचार का समर्थन शिक्षा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में भी किया है । पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का निश्चय अभी तक सरकार द्वारा नहीं लिया गया है ।

मेसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल

2305. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा**: क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री 8 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स अमीन चन्द्र प्यारे लाल के प्रबन्धक भागीदार और कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कलकत्ता के पोर्ट कमिश्नर को धोखा देने के लिये इस बीच मुकदमा चलाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय जाँच विभाग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) अभी नहीं ।

(ख) मुकदमा दायर करने के लिये केन्द्रीय जांच विभाग ने औपचारिक कार्यवाही पूरी कर ली है और आशा है कि अगले कुछ दिनों में मुकदमा दायर कर दिया जायेगा ।

D. T. U. Buses

2306. **Shri Kanwar Lal Gupta**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of D. T. U. buses on road at present and their number seven months before, separately;

(b) the number of buses required in Delhi and the additional amount needed therefor;

(c) whether it is a fact that the D. T. U. has asked the Central Government for funds for buses but the Government have provided inadequate funds; and

(d) if so, the reasons therefor and whether Government propose to provide additional funds to D. T. U. specially for replacement of old buses?

The Deputy Minister in the Ministry of Tranport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) :

(a) On 20.11.1967, there were 1058 buses (including 187 buses belonging to private operators) on road as against 921 buses (including 55 buses belonging to private operators) on 20.4.1967.

(b) The requirement is estimated by the D.T.U. at 1100 buses on road with a fleet strength of 1375 buses. At present the fleet strength is 1174 buses excluding 187 buses belonging to private operators. The amount required for the additional buses is estimated at Rs. 166.83 lakhs.

(c) and (d) A sum of Rs. 140 lakhs has been provided in the Budget for 1967-68 for advancing loans to the Delhi Transport Undertaking for meeting its capital expenditure, including purchase of buses. Out of this, a sum of Rs. 110 lakhs has already been sanctioned and a request for further loan of Rs. 30 lakhs is under consideration. A request of the Undertaking for additional loan of Rs. 110 lakhs during the current financial year is also under consideration.

आई० ए० सी० द्वारा वहन किये यात्री

2307. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने इस वर्ष अब तक पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक यात्री वहन किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1967 में यात्रियों के लिये कौन सी सुविधाएं चालू की गयीं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हां । आई० ए० सी० ने जनवरी-अक्तूबर, 1967 की अवधि में 12,97,287

यात्री वहन किये । इसके विपरीत 1966 की इसी अवधि में 10,65,375 यात्री वहन किये गये थे ।

(ख) 1967 में (अक्तूबर तक) आई० ए० सी० ने 9 मार्गों पर और अधिक क्षमता वाले वायुयानों को चलाना शुरू किया और 6 नये मार्ग आरंभ किये ।

व्यवसाय उन्मुख शिक्षा

2308. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों के मौजूदा बी० ए० तथा बी० एस-सी० (सामान्य) पाठ्यक्रम लिपिकीय कार्यों के सिवाय कोई और व्यवसाय करने के लिए छात्रों को तैयार नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा इन पाठ्यक्रमों को व्यवसायोन्मुख करने का है;

(ग) क्या इस मामले में विश्वविद्यालयों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी नहीं, मौजूदा बी० ए० तथा बी० एस० सी० (सामान्य) पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए, तकनीकी तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अथवा शिक्षण या कुछ अन्य सेवा कार्य करने के योग्य बनाते हैं ।

(ख) सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में वार्षिक उत्पादन

2309. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में अब तक प्रति वर्ष केवल दो या तीन जहाज बनाये जाते हैं हालाँकि इस कारखाने की क्षमता अधिक जहाज बनाने की थी ; और

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० राव) : इस समय शिपयार्ड प्रति वर्ष 12,500 डी० डब्लू० टी० की क्षमता के 2 से तीन जहाज बना रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 3–4 जहाज प्रति वर्ष करने लिये शिपयार्ड ने हल एण्ड ब्लैक स्मिथ विभागों में उत्पादन नियन्त्रण उपाय लागू किये हैं और माल उतारने चढ़ाने की सुविधाओं में सुधार करने के लिये भी कदम उठाये हैं ।

पाकिस्तानी एजेन्ट

2310. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :**
श्री विश्वम्भरन :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 सितम्बर, 1967 को सूघन चौकी के निकट चार पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वे अभी हवालात में हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) सरकार के पास केवल यही जानकारी है कि 4 सितम्बर, 1967 को गुजरात में सूघन नाम की चौकी के निकट 4 पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था । भारतीय पारपत्र नियमों के नियम 3 और 6 और वैदेशिक अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाया गया है । मामला न्यायालय के विचाराधीन है । तथापि अभियुक्तों को पाकिस्तानी एजेंट नहीं समझा जाता है और वे जमानत पर हैं ?

निवारक निरोध अधिनियम और भारत प्रतिरक्षा नियम

2311. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन राज्यों द्वारा गत आम चुनावों के बाद निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग किया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) गिरफ्तार किये गये इन व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं;

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से राज्यवार (एक) सामान्य व्यापार, (दो) व्यवसाय (तीन) खाद्य उत्पादन, (चार) खाद्य व्यापार (पांच) राजनैतिक दलों और (छ) समाज विरोधी तत्वों से सम्बन्धित कितने व्यक्ति हैं ;

(घ) आम चुनावों के बाद किन राज्यों ने किस-किस प्रयोजन के लिये भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया तथा भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) निवारक निरोध अधिनियम तथा भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियों के विरुद्ध कितनी लेख याचिकाएं दायर की गईं और कितने मामलों में न्यायालय ने गिरफ्तार किये गये-व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश दिये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क), (ख), (ग) और (ङ) 1 मार्च, 1967 से 31 अक्तूबर, 1967 तक की

जानकारी बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1785/67]

(घ) भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत 174 व्यक्ति आसाम में तथा 3 त्रिपुरा में गिरफ्तार किये गये थे। भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जम्मू तथा काश्मीर और नागालैण्ड के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

Employees on Deputation to The Ministry of Home Affairs.

2312. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees on deputation to his Ministry and the number of Gazetted and Non-gazetted employees among them separately; and

(b) whether complaints have been received that discrimination has been made in giving promotions to these employees ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) 65 employees are on deputation to the Ministry of Home Affairs proper of these 47 are gazetted and 18 non-gazetted officers.

(b) No, Sir.

D. A. To Employees on Deputation At Centre

2313. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Gazetted and Non-Gazetted employees on deputation to his Ministry from various States are paid Dearness Allowance at State Government rates; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No Sir, no gazetted or non-gazetted officer on deputation to the Ministry of Home Affairs proper is paid dearness allowance at State Government rates.

(b) Does not arise.

Hoisting of Pak Flag in M. P.

2314. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani flag was hoisted on a tamarind tree in the Chowk Locality at Shahjapur in Madhya pradesh;

(b) if so, the action taken by the Government in this connection;

(c) whether it is also a fact that there are certain Pakistani spies who have been encouraging such activities in the city; and

(d) the number of Pakistani agents who have been apprehended in this area during the last two years?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) No Pakistani agent has been apprehended during the last two years.

Enquiries Against Government Employees.

2315. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of departmental enquiries which have been conducted into the charges levelled against Central Government employees during the last two years;

(b) the number of employees who have been removed from service and number of those against whom cases are pending; and

(c) the number of gazetted employees amongst them and the particulars of the cases in which they were found guilty?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) Out of 6415 public servants against whom departmental action was initiated in C.B.I. cases, against 2556 public servants were finalised by Ministries/Departments, etc. during the years 1965 and 1966.

(b) 247 public servants were dismissed/removed from service in those cases, during the years 1965 and 1966. Cases against 3859 public servants were pending at the end of the year 1966.

(c) Out of 247 public servants dismissed/removed from service, 14 were Gazetted Officers, who were punished on the following charges :—

(1) Possession of disproportionate asssets and/or not furnishing information about properties held.	—	4
(2) Acceptance of illegal gratification	—	1
(3) Causing pecuniary advantage or showing favours to income-tax assessees, contractors, firms, or obtaining undue pecuniary advantage	—	6
(4) Claiming false allowance	—	1
(5) Making interpolations in discharge certificate, mentioning false qualifications and getting false date of birth recorded in service records.	—	2

Ladakh Higher Institute, Delhi

2316. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that two lakhs of rupees are spent annually on the Ladakh Higher Institute at Bela Road in Delhi;

(b) if so, the nature of education imparted and the number of students who are receiving education there; and

(c) the reasons for incurring such a huge expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) In 1966-67 the Ladakh Institute of Higher Studies, Delhi was given by the Delhi Administration a grant of Rs. 1, 26,075/. a provision of Rs. 1,85,000/—has been made for 1967-68.

(b) The Institute prepares students upto Uttar Madhyama Course of the Sanskrit University, Varanasi, to which it is affiliated. The number of students upto that course is 93.

(c) The main object of the Institute is to enable select students of border areas to imbibe nationalism through modern education so that on their return they can help actively in the integration of their regions with the rest of the country. The expenditure is comparatively higher because the Institute has to be residential, the number of students is small and all their expenses are to be defrayed by the Government. This is justified in view of the importce of the Institute.

Transfers of Prisoners From Tihar Jail

2317. **Shri Raghubir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that some of the life term prisoners of Tihar Jail in Delhi have been transferred to other jails in Punjab;

(b) Whether the chakkar munshi, who was involved in the attack on anti-cow slaughter satyagrahis, is also one of the prisoners who have been transferred;

(c) whether some arms have been recovered from a large number of prisoners recently; and

(d) if so, whether Government propose to institute an enquiry into this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Six life term prisoners were transferred on 28th October, 1967.

(b) No, Sir.

(c) and (d) As a result of searches carried out of the persons and belongings and also of barracks 141 improvised patras, knives. takoras and chhenies have been recovered. These articles are not covered by the term 'arms' as given in the Arms Act 1959, read with Schedule I (item V) of the Indian Arms Rules, 1962. Enguiry is being conducted.

Schools For Tibetan Students

2318. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether some schools are being run for Tibetan students by the Central Government ;

(b) whether Government have received any complaints about their management particularly about the schools in Delhi and Darjeeling; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) Yes, Sir. A few such schools are being run by the Tibetan Schools Society, which is an autonomous organization registered under the Societies Registration Act, 1860.

(b) Neither Government nor the Tibetan Schools Society has received any complaint. There is no school for Tibetan refugee children in Delhi.

(c) Does not arise.

विदेशी लोग

2319. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पकिस्तान में पैदा हुए ऐसे कितने-कितने पठान, बलोच अथवा काबुलीवाल 31 मार्च, 1967 को भारत में थे जो चौकीदार के रूप में नौकर थे अथवा ठेकेदार या महाजन के रूप में व्यवसाय कर रहे थे तथा उनके पास किस प्रकार के पारपत्र थे ;

(ख) 31 मार्च, 1967 को भारत में पेशेवार, कितने ईरानी राष्ट्रजन थे, जो रेस्टोरेंट अथवा अन्य व्यवसाय कर रहे थे ;

(ग) दिल्ली में और भारत के अन्य नगरों में बोहेमी प्रतीत होने वाले राष्ट्रीयतावार कितने विदेशी खानाबदोश लोग हैं जिन्हें बीटनिक और हिप्पी कहा जाता है तथा भारत में उनके राष्ट्रीयतावार, बहुत समय तक रुकने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से बहुत से बीटनिक कैमरे और स्कैच बुक लेकर ऋषिकेश और देहरादून के उत्तर में नाजुक सीमावर्ती क्षेत्रों में घूमते हुए देखे गये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) बीटनिक और हिप्पी भारत में सामान्यतः पर्यटक 'विजा' पर आते हैं । वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत विदेशी पर्यटकों को विदेशियों के पंजीपन सम्बन्धी नियम, 1939 के अन्तर्गत तब ही पंजीयित कराना पड़ता है जब वे भारत में 10 दिन से अधिक ठहरें । अतः इन विदेशी पर्यटकों की वास्तविक संख्या और राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) ऐसी कोई सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजनीतिक पीड़ित

2321. **श्री अदिचन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1967 तक कितने राजनीतिक पीड़तों ने वित्तीय तथा अन्य सहायता के लिये आवेदन दिये थे ;

(ख) विभिन्न राज्यों में कितने आवेदकों को सहायता दी गई है;

(ग) कितने आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं;

(घ) क्या राजनीतिक पीड़ितों को बसाने और रोजगार दिलाने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार कोई वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या और कितनी सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जनवरी से सितम्बर, 1967 तक की अवधि के दौरान 321 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 229

(ग) 48

(घ) और (ङ) राजनीतिक पीड़ितों को बसाना और सहायता देना सम्बन्धित राज्य सरकार की सीधी जिम्मेदारी है । भारत सरकार इस प्रयोजन के लिये उनको कोई वित्तीय सहायता नही देती है।

परिवहन करारोपण जांच समिति

2322. **श्री स० च० सामन्त** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन करारोपण जांच समिति के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) समिति किस विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रही है तथा इसका प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की संभावना है; और

(ग) उस समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप- मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) समिति ने दो अन्तरिम प्रतिवेदन दिये हैं—एक अन्तर्राज्य परिवहन पर और दूसरा "चुँगी और निरीक्षण चौकियों" पर । आशा है कि समिति का अन्तिम प्रतिवेदन नवम्बर, 1967 के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा।

(ख) और (ग) समिति के निर्देशपद और उसके सदस्यों के नाम सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1786/67]

उड़ीसा के मुख्य मंत्री

2323. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :

क्या गृह-कार्य मंत्री 9 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8562 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के कांग्रेस जनों द्वारा भेजे गये ज्ञापन पत्र पर विचार किया है जिसमें उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) उड़ीसा के मुख्य मंत्री को ज्ञापन पत्र भेजा गया था और उन्होंने उत्तर दिया है कि 1964 से पूर्व जो भी मत्री थे उनमें से किसी के भी विरुद्ध ज्ञापन पत्र में लगाये गये आरोपों में किसी में भी कोई प्रत्यक्षतया मामला नहीं था परन्तु सार्वजनिक जीवन में इमानदारी के हित में कहीं भी सन्देह के लिये कोई

गुंजाइश नहीं होनी चाहिये और इस लिये उन्होंने फैसला किया कि, यदि केन्द्रीय सरकार मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्देशित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपना चाहे तो वे उनको सभी कागजात उपलब्ध करायेंगे ।

मार्च, 1965 में हुए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन द्वारा पारित किये गये एक संकल्प की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया था कि साधारणतया वर्तमान न्यायाधीश को जांच करने के लिये राजी नहीं होना चाहिये जब तक कि यह जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत न हो और उनको यह सूचना दे दी गई हो कि केन्द्रीय सरकार की राय में यह एक स्वस्थ सिद्धान्त है और यह कि इन परिस्थितियों में इस मामले को केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश को सौंपना संभव न होगा । उनको यह सुझाव दिया गया है कि वह यह पता लगाने के लिये इन आरोपों की प्रारम्भिक जाँच के काम को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को सौंपने पर विचार कर सकते हैं, कि क्या कोई प्रत्यक्षतया मामला है या नहीं । उड़ीसा के मुख्य मंत्री से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

2324. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में दिल्ली में बच्चों के अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस अवधि में बच्चों के अपहरण की कितनी घटनाएँ हुई हैं; और

(ग) कितने बच्चे उनके संरक्षकों को वापस दिला दिये गये हैं तथा कितने मामलों में अपराधियों अथवा बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है ?

गृह-कार्य मंत्री मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) 17 मामले, जिनमें 19 बच्चे अपहरित किये गये थे ।

(ग) 14 बच्चों को उनके संरक्षकों को वापस दिला दिया गया है और एक अब भी बच्चा गृह में है । शेष चार बच्चों का सुराग लगाने के लिये गहन खोज जारी है ।

राजस्थान जाने वाले विदेशी पर्यटक

2325. **श्री न० कु० संधी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1967 में कितने विदेशी यात्री राजस्थान गये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना

के अनुसार सितम्बर, अक्तूबर, 1967 में राजस्थान जाने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

सितम्बर, 1967	..	1,095
अक्तूबर, 1967	..	1,866

नवम्बर, 1967 के लिये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

जीव विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना

2326. **श्री हेमराज :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इक्कीस लाख रुपये के मूल्य की भूमि पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में सोवियत रूस के सहयोग से एक जीवविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए खरीदी गई थी ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या उस प्रायोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उस भूमि को किस उपयोग में लाया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) पहले की पंजाब सरकार ने पालमपुर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोग शाला की स्थापना के लिये इक्कीस लाख रुपये के मूल्य की भूमि का अधिग्रहण किया था । सोवियत रूस के सहयोग से प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था ।

(ख) वै० औ० अ० प० के चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर नये सिरे से विचार करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियामक निकाय द्वारा नियुक्त की गई चौथी योजना समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि समिति वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के नियोजन पर वर्तमान प्रयोगशालाओं । संस्थानों का सबसे पहला उत्तरदायित्व होना चाहिए और चौथी योजना के अतर्गत कोई नया संस्थान तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक कि कोई विवशतायें न हों । फिर भी इस संबंध में अभी कोई अंतिम निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) भूमि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के कब्जे में है ।

पर्यटकों पर विमान-क्षेत्र प्रभार

2327. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर देश पर्यटकों पर विमान-क्षेत्र प्रभार लगाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार का भी इसी प्रकार का एक अल्प सा विमान-क्षेत्र प्रभार लगाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इन्टरनेशनल यूनियन ऑफ आफिशियल ट्रैवल आर्गेनाइजेशन्ज (आई यू ओ टी ओ) के 69 सदस्य-देश विमान यात्री परिवहन पर कर लगाते हैं । ये कर तीन प्रकार के हैं ;

1. विमान-क्षेत्र कर जो कि यात्रियों की सेवा के प्रभार हैं ।
2. विमान परिवहन टिकटों की बिक्री पर लगने वाले कई प्रकार के 'फिस्कल लेवी' ।
3. अधिक सामान वाले टिकटों पर कर ।

सामान्यतया विदेशी पर्यटकों और देश के अपने राष्ट्रकों के बीच कोई भेद नहीं रखा जाता है ।

(ख) मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन

2328. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को चालू वित्तीय वर्ष में भारी हानि उठानी पड़ेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस हानि का अनुमान क्या है, और इस बात का निश्चय करने के लिये कि भविष्य में कार्पोरेशन मुनाफे पर कार्य करेगा क्या कदम उठाये गये हैं ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के 1967-68 के लिये बजट प्राक्कलन ने 3.50 करोड़ रुपये की हानि दिखायी, जिसका कि कारण मुख्यतया भारतीय रुपये का अवमूल्यन है। इस परिस्थिति पर काबू पाने के लिये तुरंत उपाय रूप में कार्पोरेशन के किरायों का 1 अगस्त, 1967 से पुनरीक्षण किया गया । इससे हानि काफी कम हो जायेगी, और यदि याता-यात अच्छा रहता है तो कार्पोरेशन की चालू वित्तीय वर्ष में आय-व्यय की दृष्टि से संतुलन की स्थिति भी हो सकती है ।

कार्पोरेशन की लाभप्रदता में सुधार करने के लिये निम्नलिखित और कदम दृष्टि में हैं :—

(i) विमान बेड़ों का आधुनिकीकरण एवं तर्कसंगतीकरण,

(ii) मुख्य मार्गों की क्षमता को बढ़ाना,

(iii) डकोटों और स्काईमास्टरों के अलाभप्रद बेड़ों के बदले दूसरे विमान लेना ।

Andaman Jail

2330. **Shri R. K. Sinha** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the persons who were arrested and convicted and kept in the Andamans Jail, with the details of their conviction, State-wise during the period from 1907 to 1922 and 1930 to 1941;

(b) whether the records of all these persons are available in the National Archives; and

(c) if not, whether Government are considering to keep them in the National Archives ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (c) All the records of the Andamans Administration including those relating to political and other prisoners incarcerated in the Andaman Cellular Jail were destroyed during the Japanese occupation of the Islands. In the absence of records, it is not possible to give a complete list of the prisoners, details of their convictions or the period during which they were imprisoned. However, from available sources including the records of State Governments, a list of such political prisoners has been compiled and is attached [**Placed in Library see No.LT.-1787/67**] The list is not exhaustive. The records of some such prisoners are available in the National Archives.

कलकत्ता/जापान व्यापार प्रणाली

2331. **श्री देवकी नन्द पाटोदिया :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय जहाजी व्यापारी परिषद ने सुझाव दिया है कि कलकत्ता/जापान व्यापार में आस्थगित छूट प्रणाली के स्थान पर तुरन्त दोहरी संविदा प्रणाली लागू की जाये, क्योंकि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत बहुत बड़ी धनराशि रुकी रहती है और उससे भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ाने में बाधा पड़ती है;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री(डा० वी० के० आर वी० राव):(क) अखिल भारतीय जहाजी व्यापारी परिषद से सरकार द्वारा इस विषय पर अभी कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि 17 अक्तूबर, 1967 को दिल्ली में हुई इस परिषद की बैठक में; जिसमें जहाज भाड़ा जाँच विभाग का प्रतिनिधि भी उपस्थित था, इस विषय पर विचार किया गया था । अधिकांश व्यक्तियों का मत, दोहरी दर संविदा प्रणाली को न केवल कलकत्ता/जापान मार्ग अपितु उन सभी जहाज रानी मार्गों पर लागू करने के पक्ष में था जहाँ पर कि इस समय आस्थगित छूट प्रणाली लागू है ।

(ख) और (ग) इस समय नहीं उठते । यदि परिषद दोहरी दर प्रणाली के पक्ष में और आस्थगित छूट प्रणाली के विरुद्ध स्पष्ट सिफारिश करे तो मामले की जाँच की जाएगी ।

एयर इंडिया के लिए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट

2332. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने एंग्लो-फ्रेंच कन्कार्ड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट न खरीदने का फैसला किया है;

(ख) क्या इस एयरक्राफ्ट के लिए दिये गये आर्डर रद्द कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो रद्द करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इन जैसे ऐंग्लों-फ्रेंच विभाग खरीदने का कोई फैसला किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) और (ख) एयर एंडिया ने कन्कार्ड सुपरसौनिक एयरक्राफ्टों की खरीद के कोई आर्डर नहीं दिये हैं, अपितु दो विमानों की वितरण के लिये उपलब्धता मात्र आरक्षित की है। कार्पोरेशन ने इन उपलभ्यता के आरक्षणों को रद्द करने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

Illegal entry of Pakistanis

2333. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistanis who have entered India illegally since January, 1967;

(b) the number of those out of them who have been sent back to Pakistan and the number of those who have heen served with notices to leave India immediately; and

(c) the number of underground Pakistanis and the steps proposed to be taken to send them back ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): Information from the period from January, 1967 to October, 1967, in respect of Assam, Haryana, Madhya Pradesh, Mysore, Kerala, Uttar Pradesh, Manipur, Delhi and Dadara and Nagar Haveli, is:—

(a) 1060.

(b) 1029 were sent back to Pakistan and 5 were served with notices to leave India.

(c) 960. Look-out notices have been issued and special drives have been organised to trace them. There was no such Pakistani in Orissa, Pondicherry, Goa, Nefa, A.& N. Islands, L. M. & A. Islands and Chandigarh. Information in respect of the remaining States will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Unauthorised Distilleries in Delhi

2334. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6028 on the 19th July, 1967 and state :

(a) the progress since made in respect of doing away with unauthorised distillerie running in Delhi; and

(b) in case no progress has been made, the further time likely to be taken therein?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) Since illicit distilleries are mobile in nature, measures to assess the problem as well as to deal wiht it become difficult. The Excise Enforcement Staff and the police, however, have been asked to be vigilant in the matter and steps have been taken to tighten the enforcement machinery. No time limit can be laid down about the complete eradication of illicit distillation.

Escape of a Tripura Constable to Pakistan

2335. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6796 on the 26th July, 1967 and state :

(a) the details of the reply received from Pakistan in connection with a constable of Tripura Police who crossed over to Pakistan; and

(b) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No reply has so far been received from Pakistan.

(b) The matter is being pursued with the Government of East Pakistan.

Grant of Scholarships to Students of Government Polytechnic Institutes in Delhi.

2336. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of applications received for scholarships for the year 1966-67 from the students of I Year, II Year and III year respectively in the Government Polytechnic Institutes in Delhi;

(b) the number of those applicants (i) whose income was meagre and who were selected in order of merit; (ii) whose income was high and who were also selected in order of merit; (iii) whose income was also low and who were not selected in order of merit;

(c) the number of the students of the classes mentioned above who applied for scholarship and the number of those out of them whose applications were rejected; and

(d) whether Government propose to introduce such a scheme under which the students of all the three polytechnic institutes would be granted scholarships irrespective of their order of merit and if so, the details thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a)	I year	—	594
	II year	—	132
	III year	—	93
(b)	(i) I year	—	227
	II year	—	61
	III year	—	31

(ii) No student whose parent's income is more than Rs. 7500/—has been awarded a scholarship.

(iii) 302.

(c) 621 students were eligible and out of these 302 were rejected.

(d) No, Sir.

Records Of Freedom Fighters

2337. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have any information to the effect that an army unit was deployed by the British Government at Peshawar to open fire with a view to suppress the freedom movement in 1930 but the unit refused to open fire on unarmed persons;

(b) whether it is also a fact that Chandra Singh and several other soldiers were prosecuted and were sentenced to imprisonment;

(c) The number of persons sentenced to imprisonment, the term of their imprisonment and their names and addresses;

(d) whether these records are available in National Archives; and

(e) whether any monetary assistance has been given to the families of these persons by Government?

The Minister of State in the Ministary of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c) Information is being collected and will be pleaced on the Table of the House.

Records Of Freedom Fighters

2338. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the leaders of freedom movement worked in several Military Units posted in Uttar Pradesh in 1915-16 and Havildar Jaleshwar Singh S/O Mohinder Singh and Puran Singh S/O Sohan Singh were arrested as they promised to co-operate with this movement;

(b) whether it is also a fact that after having been sentenced to imprisonment they were sent to Delhi on the 20th March, 1916; and Jaleshwar Singh was hanged on the 21st March, 1916;

(c) whether the records regarding this case are available with Government and whether it is proposed to keep them in National Archives; and

(d) whether any monetary assistance was given by Government to the families of those persons?

The Minister Of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) to (d) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Development Of Tourism In Himachal Pradesh

2339. **Shri Prem Chand Verma**. Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the funds provided for in the Fourth Plan for the development of tourism in Himachal are less than those for Jammu and Kashmir;

(b) if so, the basis, on which the plan expenditure has been arived at ; and

(c) Whether it is also a fact that neither the survey of Himachal Pradesh hill stations

was done nor the Members of Parliament and local representatives consulted to make the correct appraisal of the funds required ?

The Minister Of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) The plan allocations have been based on the following criteria:

(i) Concentration of resources on the integrated development of selected areas/resorts and routes which have the highest potential for tourist promotion and are capable of yielding quick returns.

(ii) Development of tourist infrastructure and strengthening and expansion of the tourist facilities through Public Sector investment.

(iii) Incentives to the Private Sector for improvement and expansion of the existing tourist facilities.

(c) State Governments were requested to forward their proposals based on the questionnaire (copy enclosed) [**Placed in library. see No. LT-1788/67**] which was circulated to them last year. On the basis of the information received and the resources available, tourist centres in Himachal Pradesh were selected for development in consultation with the State Government.

कांगड़ा घाटी में होटल

2340. **प्रेमचन्द शर्मा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी में सरकारी क्षेत्र में होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का गैरसरकारी पार्टियों को कांगड़ा घाटी होटल बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) कांगड़ा घाटी में पर्यटकों के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त आवास-व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (घ) जी, नहीं। भारत सरकार का कांगड़ा घाटी में कोई होटल स्थापित करने अथवा गैर-सरकारी पार्टियों को होटल निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) भारत सरकार ने पर्यटकों के लिए उचित आवास व्यवस्था करने के लिए कुल्लू और मनाली में पर्यटक बंगले स्थापित किए हैं। यदि कांगड़ा में कोई गैर-सरकारी पार्टी 'नवीन होटल विकास निधि' से ऋण के लिए आवेदन करती है तो उस आवेदन पर ध्यानपूर्वक गौर किया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भ्रष्टाचार सम्बन्धी समिति

2341. **श्री मरंडी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्बन्धी संथानम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) समिति ने अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दे दिया है।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों को दिखाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1789/67]

समिति की उपपत्तियों और सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों की राय जानने के लिये समिति का प्रतिवेदन विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया है।

सतर्कता सम्बन्धी मामले

2342. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1967 तक पिछले तीन वर्षों में सतर्कता सम्बन्धी कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श किया गया था ;

(ख) इनमें से कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह से भिन्न थी;

(ग) विभागों ने संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार की थी अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की; और

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की बजाय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1790/67]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

2343. **राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न साधनों से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 अक्तूबर, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वर्षों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अधिकारियों से सम्बन्धित कुल कितने मामलों पर विचार किया था :—

(एक) लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन ;

(दो) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन ;

(तीन) प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन ;

(चार) उत्तरदायी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : केन्द्रीय सतर्कता आयोग संसद की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों और उत्तरदायी समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले आरोपों की जाँच करता है। ऐसे मामलों में जिनमें आयोग को सतर्कता का पहलू प्रतीत होता है, आयोग, जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध की गई या प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में मंत्रालयों। विभागों से प्रतिवेदन मांगता है। तथापि, आयोग के पास उन मामलों के अलग आंकड़े नहीं होते हैं, जिनमें संसदीय समितियों की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप अनुशासनीय कार्यवाही आरम्भ की गई है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

2344. **श्री राम चरण**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-67 (30 सितम्बर, 1967 तक) के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई;

(ख) इनमें से कितने मामलों को सलाह के लिये केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया;

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह नहीं ली गई; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) से (घ) 1964-67 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी और इन सभी मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श प्राप्त किया गया था।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

2345. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकायों जैसी भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसन्धान परिषद आदि पर भी लागू होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन निकायों को सरकार से वित्तीय अनुदान के रूप में बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है, क्या सरकार इनको केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में लाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) संस्था पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है और इसलिये, वे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्दर नहीं आते हैं। तथापि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद तथा कुछ अन्य स्वायत्तशासी संगठन, जो सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त करते हैं, अपने कर्मचारियों की ईमानदारी सम्बन्धी मामलों में आयोग से परामर्श करते रहे हैं।

(ख) इन संगठनों के कर्मचारियों को 'सरकारी कर्मचारी' घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पारादीप पत्तन के कर्मचारियों का सेवा छोड़ कर जाना

2346. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 और अक्तूबर, 1967 के बीच अनेक कर्मचारी पारादीप पत्तन छोड़ गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) क्या इसके बारे में कोई जांच की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) अगस्त, और अक्तूबर, 1967 के बीच 7 कर्मचारी पारादीप पत्तन प्रशासन को छोड़ गये थे। कारण नीचे दिये गये हैं :—

(एक) जिन्हें उनकी प्रार्थना पर उनके मूल कार्यालयों को भेज दिया गया है ।2

(दो) जिन्हें प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर मूल कार्यालय को भेज दिया गया। 1

(तीन) जिन्हें फालतू पाये जाने पर मूल कार्यालय को भेजा गया ।1

(चार) जिन्हें पदोन्नति पर मूल कार्यालय को भेजा गया।1

(पांच) जिन्हें राज्य सरकार के अधीन अन्य पद पर नियुक्ति के लिये भेजा गया ।1

(छ) जिन्होंने अन्य स्थान पर नियुक्त करने पर इस्तीफा दे दिया ।1

कुल = 7

(ग) जिन परिस्थितियों में कर्मचारी गये हैं वे कोई असाधारण नहीं हैं और इसलिये कोई जांच आवश्यक नहीं समझी जाती।

पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

2347. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से 15 नवम्बर, 1967 तक की अवधि में पारादीप पत्तन से कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) पारा दीप पत्तन चालू होने से अब तक कुल कितने लोह अयस्क का निर्यात वहाँ से किया गया; और

(ग) अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) :

(क) 4.44 लाख टन।

(ख) 4·65 लाख टन ।

(ग) पत्तन के चालू होने से लेकर अब तक 347·57 लाख रु० ।

पारादीप पत्तन

2348. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अगस्त, 1967 और अक्तूबर, 1967 के बीच 14 जहाजों का मार्ग परिवर्तन करके उन्हें पारादीप पत्तन से विशाखापत्तनम पत्तन के मार्ग से भेजा गया था, क्योंकि पारादीप पत्तन के द्वार पर मिट्टी जमा हो गई थी,

(ख) यदि हाँ, तो इस पत्तन के तल से मिट्टी निकालने के लिये क्या व्यवस्था की गई ; और

(ग) क्या पारादीप पत्तन का अनुरक्षण तल कर्षक वहां पहुंच गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) अगस्त और अक्तूबर, 1967 के दौरान 9 जहाजों को नये रास्ते से भेजा गया था, जिनमें से एक को विशाखा-पत्तनम, चार को मद्रास, तीन को काकीनाडा और एक को बेलीकेरी भेजा गया था।

(ख) और (ग) आशा है कि पत्तन के लिये एक अनुरक्षण तलकर्षक इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा । इस बीच 7.9.1967 से 1.10.1967 तक कलकत्ता पत्तन से प्राप्त किये गये एक तलकर्षक से काम लिया गया था। पारादीप की तलकर्षक आवश्यकता को तुरन्त पूरा करने के लिये अन्य स्थान से तलकर्षक प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Security Force for Ports

2349. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to form a security force for ports also on the lines of Railway Security Force ;

(b) if so, when the aforesaid force would be formed and police would be withdrawn from ports?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V.K.R.V. Rao) :

(a) The proposal to constitute a separate Port Protection Force for the major ports on the lines of the Railway Protection Force has not been found feasible.

(b) Does not arise.

जम्मू और काश्मीर में पुलिस की ज्यादतियां

2350. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और काश्मीर में पुलिस की ज्यादतियों के कारणों की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति वाला आयोग नियुक्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस उच्च शक्ति वाले आयोग के निर्देश पद क्या हैं और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने वहाँ पर उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये अत्यधिक बल प्रयोग के बारे में पुलिस पर लगाये गये आरोपों की अथवा हिन्दू लड़की के तथाकथित अपहरण के सम्बन्ध में अगस्त, 1967 के दौरान हुई गंभीर घटनाओं की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक श्री डी० पी० कोहली को नियुक्त किया है ।

Clashes With Mizo Hostiles

2351. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) The number of security troops killed in the clash between Mizo hostiles and security forces during the last three years; and

(b) The amount of financial assistance provided to the families of the dead and the amount given to each family?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) Between March 1, 1966 when the disturbances started and upto the end of October, 1967, 250 security personnel have been killed in clashes with Mizo hostiles in the Mizo Hills District.

(b) In all such cases compensation is paid to the families of the deceased as per rules on the subject.

Schools Run By Foreign Religious Missions

2352. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) The number of schools being run by foreign religious missions in U. P. and Madhya Predesh; and

(b) Whether any financial assistance is being received by these schools from foreign countries?

The Minister of State in the Ministry Of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)

(a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Obscence Posters

2353. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.6027 on the 19th July, 1967 and state:

(a) The number of persons against whom action has been taken by Government for selling obscene posters and literature at Qutab Road and Jama Masjid areas in the capital during the last two years;

(b) The number of nude statues installed in Public places in the capital; and

(c) Whether Government have decided to remove them?

The Minister of State In The Ministry Of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Nine persons (3 in 1965 and 6 in 1966).

(b) None has come to the notice of the Government.

(c) Does not arise.

Foreigners In Delhi

2354. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) the number of Chinese, Pakistani, Russian and American nationals registered in Delhi during the last two years;

(d) how many of them have gone back; and

(c) the number out of them whose visa periods have been extended ?

The Minister of State In the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (c) A statement containing the information asked for in respect of Chinese Russian and American nationals in given lelow. The information in respect of Pakistani nationals is not available since they are not subject to registration under the Registration of Foreigners Rules, 1939.

Statement Showing the Number of Foreigners Registered, Gone Back and on Extension of Visa in Delhi During the Last Two Years (20-11-65 to 19.11.67)

Nationality	Number Registered	No. of Those Who Have Gone Back	No. Still in Delhi on Extension of Visas
1	2	3	4
Chinese	47	9	23
Russian	564	122	265
American	1,170	312	444

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर

2355. **डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर को शीघ्र ही समाप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) और (ख) सरकार का इरादा; राष्ट्रीय स्वस्थता कोर योजना के अन्तर्गत स्कूलों में कार्य कर रहे अनुदेशकों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास स्थानान्तरित करने का रहा है, क्योंकि योजना का विकेन्द्रीकरण किया जाना था तथापि, सरकार योजना पर पुनर्विचार कर रही है।

कलकत्ता में पानी के नलों की हालत

2356. **डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से सम्बद्ध संक्षारण सलाहकार समिति, कलकत्ता में पानी के नलों की हालत के बारे में जाँच कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो संक्षारण के क्या मुख्य कारण पाए गए तथा उसे दूर करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संक्षारण सलाहकार ब्यूरो ने कलकत्ता निगम के मुख्य इंजीनियर को, कलकत्ता में पानी के नलों के फेल होने के कारणों की जांच के लिए प्रयोगशाला और क्षेत्र अध्ययन का एक प्रस्ताव पेश किया है । अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Foreign Missionaries

2357. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any group of Christian missionaries met him recently in connection with Government's policy towards foreign missionaries;

(b) if so, the details of the talks held with the missionaries in this connection; and

(c) the demands of the missionaries that have been acceeded to ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (c) Cardinal Gracias, Archbishop of Bombay, met the Home Minister in september 1967 and had general discussions as to whether there had in fact been any change in Government's policy. It was explained that there was no change in the basic policy laid down in 1954, an essential element of which was the progressive Indianization of Christian missions in India.

भूतपूर्व नरेश

2358 **श्री शिव चन्द्रा झा** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व नरेशों को निजी थैलियां दी जाती हैं और प्रत्येक थैली की धनराशि क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उनको क्या अन्य सुविधायें दी जाती हैं; और

(ग) प्रत्येक भूतपूर्व नरेश की भूमि, उद्योग अथवा बैंक आदि में अथवा तीनों में कुल आस्तियाँ कितनी हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) :

(क) 279 नरेशों को निजी थैलियां दी जाती हैं । निजी थैलियों की धनराशि बताने

वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल० टी० 1791/67]।

(ख) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल० टी० 1791/67]

(ग) यह जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है।

उच्चतर अध्ययन के ग्राम संस्थान, सुन्दर नगर (बिहार)

2359. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतर अध्ययन ग्राम संस्थान, सुन्दर नगर, निरोली, जिला दरभंगा (बिहार) तथा अन्य ग्राम संस्थानों के ग्रेजुएट छात्रों को रोजगार के लिए अन्य विश्वविद्यालय डिग्रीधारियों के बराबर मान्यता नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दरभंगा ग्राम संस्थान से ऐसे ग्रेजुएट छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें उचित रोजगार दिया जा चुका है और उनकी संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक अपने देशों में रोजगार नहीं दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी, नहीं, राष्ट्रीय ग्राम उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा किए गए ग्राम सेवाओं के डिप्लोमे को नागालैंड की सरकार के सिवाय-जिसके साथ इस मामले पर पत्र-व्यवहार जारी है, केन्द्रीय सरकार से था। सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने अधीन रोजगार के लिए विश्वविद्यालय की प्रथम उपाधि के बराबर मान्यता दी गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उन 188 विद्यार्थियों में से, जिन्होंने उच्चतर अध्ययन ग्राम संस्थान, विरोली से 1962 से1967 तक के वर्षों में ग्राम सेवा में डिप्लोमा पास किया था, 32 उच्चतर अध्ययन के लिए गए, 66 को उचित रोजगार मिल गया, 28 अन्य रोजगार में लग गए और 47 के रोजगार हैं।

संघ लोक सेवा आयोग

2360. **श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ स्थान रिक्त हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो रिक्त स्थानों को भरने की क्या प्रक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) अध्यक्ष सहित संघ लोक सेवा आयोग में स्वीकृत पदों की संख्या नौ है। अध्यक्ष के अतिरिक्त पांच सदस्य हैं।

(ख) इस समय 3 स्थान रिक्त हैं, जिनमें से दो इसी महीने रिक्त हुये हैं ।

(ग) आयोग के सदस्यों की नियुक्ति गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

विमान दुर्घटना की जांच

2361. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछली 15 फरवरी को पालम पर आई० ए० सी० के कारवेल विमान की दुर्घटना के कारणों के बारे में जांच न्यायालय के, जिसने उन कारणों की पड़ताल की थी, जांच परिणामों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिये गये हैं, और जो व्यक्ति दुर्घटना के लिये उत्तरदायी पाये गये क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने जी० सी० आर्यी के, जो कि उक्त जाँच न्यायालय के सदस्य थे असहमति नोट को ध्यान में नहीं रखा ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) सरकार ने 15 फरवरी, 1966 को पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस कार्पोरेशन के कारवेल विमान वी० टी० डी० पी० पी० की दुर्घटना के बारे में जांच न्यायालय के जांच परिणामों तथा सिफारिशों को इस विषय में 5 अक्तूबर, 1967 को जारी किये गये प्रेस नोट में निर्दिष्ट कुछ प्रतिबन्धों (रेजर्वेशन्स) के अधीन स्वीकार कर लिया है ।

5 अक्तूबर, 1967 को जारी किये गये प्रेस नोट तथा रिपोर्ट की प्रतियां जिसमें न्यायालय के जांच परिणाम तथा सिफारिशें और उन पर सरकार के निर्णय दिये गये हैं पहले ही संसद के पुस्तकालय में रखी जा चुकी है । न्यायालय की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है ।

(ख) न्यायालय ने दुर्घटना का उत्तरदायित्व पृथक् पृथक् व्यक्तियों पर नहीं निर्धारित किया है ।

(ग) और (घ) सरकार ने न्यायालय के जांच परिणामों को स्वीकार करने से पहले श्री जी० सी० आर्य, असेसर, के असहमति नोट पर पूरी तरह विचार कर लिया था ।

पश्चिम जर्मनी से जहाज

2362. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी जर्मन यात्रा के फलस्वरूप पश्चिम जर्मनी से 1,50,000 टन भार जहाजों के मंगाने के लिए आदेश दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने टनभार के जहाजों के लिए आदेश दिया गया है, और

(ग) भुगतान की क्या शर्तें हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी नहीं। पश्चिम जर्मनी शिपयार्डों को आर्डर देना सप्लायर के 8 वर्ष से अधिक अवधि के क्रेडिट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह मामला जिस पर मैंने अपनी यात्रा के दौरान विचार विमर्श किया, अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में अतरिक्त विश्वविद्यालय

2363. **श्री राने** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना के दौरान दो अतिरिक्त विश्वविद्यालय आरम्भ करने का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृत न करने के कारण क्या हैं और क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का है; और

(घ) इन दो विश्वविद्यालयों के लिए अतिरिक्त व्यय क्या होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजा मन्नार आयोग

2364. **श्री रवि राय** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामन्नार आयोग ने कलिंग एयर वेज और भारत सरकार के बीच व्यवसाय के बारे में जांच पूरी करली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

डा० पी० वी० राजामन्नार ने, जिनको भारत सरकार तथा कलिंग एयरलाइन्स (प्रा०) लिमिटेड के बीच नेफा। नागालैंड में हवाई जहाज द्वारा सामान भेजने के विवाद के बारे में मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, दोनों पक्षों को अपने-अपने मामलों के बारे में विवरण पेश करने के लिये 22 दिसम्बर 1967 तक का समय दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मणिपुर स्कूल के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर

2365. **श्री मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर बाहर भेजती है ;

(ख) 1966–67 और 1967–68 वर्षों के दौरान कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए ; और

(ग) क्या मणिपुर सरकार उन शिक्षकों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए उनके वेतन का 50 प्रतिशत अथवा और अधिक प्रदान करती है और यदि हां, तो क्या उन्हें नियमित रूप से दिया जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) मणिपुर प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुभाग अधिकारियों के पद के लिये पदोन्नति

2366. **श्री शशिभूषण वाजपेयी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1959 तथा 1960 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की परीक्षाओं के बाकी रहे 194 उम्मीदवारों की अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के लिये वर्ष 1962 में एक तालिका बनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों को इस बीच अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसा कोई पेनल नहीं है । 1959 तथा 1960 में हुई असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्ट्स (आर० टी० ई०) की परीक्षाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने समय-समय पर आवश्यकतानुसार उम्मीदवारों को अनुभाग अधिकारियों के पदों के लिये सेलेक्ट सूची में शामिल करने के बारे में 30-9-1967 तक बन्धों (बैचेज) में सिफारिश की गई थी । इस तरह के 94 उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल कर दिया गया है ।

केन्द्रीय सचिवालय के सेवा के अनुभाग अधिकारी

2367. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के रिक्तपदों पर सेलेक्ट सूचियों के माध्यम से नियुक्तियां करवाने के सम्बन्ध में जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय नियम, 1962 में व्यवस्था है, नहीं बताते ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मालूम किया है कि 30 सितम्बर, 1967 को ऐसे रिक्त पद कितने थे ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है कि इन रिक्त पदों के बारे में मंत्रालयों द्वारा ठीक-ठीक तौर पर बताया जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) विभिन्न संवर्ग-प्राधिकारियों ने सेलेक्ट सूची से अनुभाग अधिकारियों के स्थायी पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में, जैसा कि सी० एस० एस० नियमों में उपबन्ध किया गया है, गृह-कार्य मंत्रालय को बताया है। हालांकि कुछ संवर्ग प्राधिकारी रिक्त पदों का पहले कुछ कम अनुमान लगा सकते हैं, फिर भी वे रिक्त-स्थानों की स्थिति की जानकारी यथासंभव सही अनुमान के आधार पर ही देते हैं और इसलिये यह कहना सच नहीं है कि अधिकांश रिक्त स्थानों की जानकारी नहीं दी जाती है।

(ख) 30 सितम्बर, 1967 तक के रिक्त स्थानों का पता नहीं लगाया जा सका है, किन्तु 30 सितम्बर, 1967 को जारी की गई अनुभाग अधिकारियों की सेलेक्ट सूची सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेण्टल कॉम्पीटीटिव एक्जामिनेशन, 1966 की घोषणा के पूर्व आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की गई थी।

(ग) संवर्ग प्राधिकारियों को जब कभी भी रिपोर्ट भेजने के लिये कहा जाता है तभी उनसे रिक्त-स्थानों की ठीक-ठीक जानकारी देने के लिये भी कहा जाता है।

असिस्टैण्ट सुपरिन्टैन्डैन्ट्स (आर० टी ई०) अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्तियां

2368. **श्री शशिभूषण वाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असिस्टेण्ट सुपरिन्टैन्डैंट्स (आर० टी० ई०) परीक्षा, 1959 के उन सभी उम्मीदवारों की, जिनकी तालिका बनाई गई थी, अनुभाग अधिकारियों ग्रेड में नियुक्तियां की गई है, सिवाय उनके जो कि उपलब्ध नहीं थे ;

(ख) क्या यह सच है कि असिस्टैण्ट सुपरिन्टैन्डैण्ट (आर० टी० ई०) परीक्षा, 1960 के आधार पर बनाई गई तालिका में शामिल बहुत से उम्मीदवारों को अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्त किया गया है ; और

(ग) अब तक कितने उम्मीदवारों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 1959 तथा 1960 में हुई असिस्टैन्ट सुपरिन्टेण्डैण्ट (आर० टी० ई०) की परीक्षाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने समय-समय पर आवश्यकतानुसार उम्मीदवारों को अनुभाग अधिकारियों के पदों के लिये सेलेक्ट सूची में शामिल करने के बारे में 30-9-1967 तक बन्धों (बैचेज) में सिफारिश की गई थी। इस प्रकार के सभी उम्मीदवारों को सेलेक्ट सूची में शामिल कर दिया गया है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Posts

2370. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even 20 years after the attainment of Independence, the Class I and Class II gazetted posts, reserved for Harijans and Adivasis, have not been filled up fully; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken to remove this anomaly ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswamy):

(a) and (b) Yes, Sir. A reservation of 12½% of the vacancies filled by direct recruitment on an all India basis by open competition (Class I and II gazetted posts are generally filled on this basis) is made for the Scheduled Castes in the services under the Government of India. Where recruitment is made otherwise than by open competition, the reservation for Scheduled Castes is 16-2/3%. For Scheduled Tribes, there is a reservation of 5% of the vacancies filled by the above mentioned methods. Suitable candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not yet available to fill all the vacancies reserved for them in Class I and Class II gazetted posts filled by direct recruitment, despite application of relaxed standards of suitability in their cases. This is mainly due to educational backwardness amongst these communities. Besides, when the reservation orders came into force, their representation in the services was very poor and a considerable leeway has to be made up. In the I.A.S. and I.P.S., as a result of the pre-examination training given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes at Allahabad and Madras Centres sponsored by the Central Government, candidates beionging to these communities are now becoming available to fill posts reserved for them in these services. In regard to Class I, II posts, it is hoped that as a result of schemes of scholarships, stipends and concessions in the matter of admisson to educational institutions provided by Government for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. an increasing number of candidates belonging to these communities will be available in future.

A Working Group headed by Shri M.R. Yardi, Additional Secretary, Ministry of Home Affairs, has been set up to examine inter alia the question of improving the recruitment of Scheduled Caste personnel in Government services at the Centre and in the States. on receipt of the Report of the Group, which is expected shortly, the question of devising measures to increase the intake of Scheduled Castes/Tribes in the Services will be considered.

Excavation At Mathura

2372. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Education** bepleased to to state:

(a) The number of antiquities found as a result of excavation work in Mathura District; and

(b) The names of other States where antiquities have been found and the period to which they belong?

The Minister Of State In The Ministry Of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Several excavation have been conducted in Mathura District and therefore it is not possible to give the number of excavated antiquities, which besides pottery include coins, metal objects, terracotta figurines, beads of semi-precious stones, etc.

(b) During 1966-67, excavations were conducted in almost all the States. The range of the period to which excavated antiguities belonged extended from the Early Stone Age to the historical period.

कांगड़ा जिले का विभाजन

2373. **श्री कृ० मा० कौशिक :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ग) यदि हाँ, सो किस मुख्य आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले को दो भागों में विभाजित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें कांगड़ा जिले के कथित विभाजन का इन कारणों से विरोध किया गया है कि (i) इससे हिमाचल प्रदेश सरकार की तथा वहाँ के मूल निवासियों की कठिनाइयां, तथा (ii) इससे प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा ; तथा (iii) जिले का ऐतिहासिक महत्व समाप्त हो जायेगा । अभ्यावेदनों में उल्लिखित बातों की ओर हिमाचल प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

उड़ीसा के अध्यापकों के वेतनमान

2374. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में विश्वविद्यालय और सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के कालेजों के अध्यापकों के लिए संशोधित वेतनमानों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अपने निश्चय की सूचना केन्द्र सरकार को दे दी है; और

(ख) यदि ऐसा है तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव राज्य वेतन आयोग को सौंपा जा चुका हैं और आयोग की अंतिम सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद उनके विचारों से अवगत करा दिया जाएगा ।

पारादीप पत्तन

2375. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में पारादीप पत्तन के विकास के लिये आवंटित 2.75 करोड़ रुपये की राशि पूरी खर्च की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि तथा किन-किन योजनाओं पर खर्च की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) : 1967-68 के स्वीकृत बजट में पारादीप पत्तन के विकास के लिये 2.45 करोड़ रुपये की राशि शामिल है इसमें से 56.11 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। पत्तन अधिकारियों से इस व्यय की स्कीम के अनुसार विभाजन पूछा जा रहा है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दिया जायेगा ।

मैसूर राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण

2376. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा मैसूर राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए; और

(ख) क्या कारण है कि राज्य में 500 से अधिक स्मारक होते हुए भी उस विभाग का एक सर्किल कार्यालय बंगलोर में स्थापित नहीं किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की भारत के पुराततत्वीय सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध खर्च की सीमा में जहां तक संभव हो, प्रत्येक स्मारक की आवश्यकता के अनुसार और हर मामले में आवश्यकता को ध्यान में रख कर उस की प्राथमिकता को देखते हुए मरम्मत की जानी है ।

(ख) मैसूर राज्य में स्मारकों। राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थलों की सख्या 500 से कुछ कम है। यद्यपि इस समय राज्य के लिए कोई अलग सर्किल नहीं है फिर भी पुरातत्वीय सर्वेक्षण के, दो अर्थात् दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी सर्किलों द्वारा स्मारकों की देखभाल की जा रही है ।

एक या दो पूरे राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों में केन्द्र संरक्षित स्मारकों का प्रभार संभालने के लिए एक सर्किल की व्यवस्था की दृष्टि से सर्वेक्षण के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और अधिक राशि इस काम के लिए उपलब्ध होते ही इस संबंध में निश्चय कर लिया जाएगा ।

जयन्ती जहाजी कंपनी

2377. **श्री म० सुदर्शनम् :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) जयंती जहाजी कंम्पनी की वित्तीय तौर से जीवन क्षय बनाने के लिये अब तक सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) क्या इस कंपनी ने ऋण भुगतान करना आरम्भ कर दिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) कम्पनी की आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिये जो कार्य किये गये हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये हैं :–

(1) लन्दन, टोकियो, कलकत्ता और मद्रास में कम्पनी के कार्यालय जरूरी नहीं थे । वे

बंद कर दिये गये हैं। नई दिल्ली का कार्यालय शक्ति मे कम कर दिया गया है और कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली से बंबई ले जाया गया है। इससे व्यर्थ के व्यय में पर्याप्त बचत हुई है।

(2) पिछले प्रबन्ध द्वारा ऊँचे वेतन पर रखे गये कुछ व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया गया है क्योंकि उनकी सेवा की जरूरत नहीं थी।

(3) किफायत करने के लिये उपर्युक्त क्रय नीतियां अंगीकृत की गई हैं। कंपनी के पोतों की सेवायें और माल के बड़े मदों की सप्लाई के लिये दीर्घकालीन ठेके दिये गये हैं। ये उपयुक्त क्षेत्रों पर प्रसिद्ध सप्लाई करने वालों को दिये गये है। इससे प्रयाप्त बचत हुई है।

(4) अधिक से अधिक लाभदायक होने के लिये कम्पनी के पोतों को जहाँ जरूरत हुई और ठीक समझा गया, फिर से रखा गया।

(5) तीन लिबर्टी प्रकार के पोतों को बेचने का निश्चय किया गया है क्योंकि वे पुराने और खर्चीले हो गये थे।

(6) पिछले प्रबन्ध के विरुद्ध प्रमुख देयता के बारे में पर्याप्त कमी की गई है। यह कई मामलों में संबद्ध दलों से बातचीत कर ली गई और दावों के जांच पर जोर दिया गया।

(7) डा० तेजा द्वारा गबन किये गये कंपनी की विशाल धनराशि की प्राप्ति के लिये सिविल मुकदमा दायर करने सहित सक्रिय कार्यवाही की गई। कुछ धन प्राप्त किया जा चुका है।

(ख) चालू व्यय के अतिरिक्त 1966-67 से कंपनी की पिछली देयता लगभग 9.16 करोड़ रुपये होती है। इसके विपरीत लगभग 7.16 करोड़ रुपये की अदायगी की जा चुकी है। यह उस समय से किया गया है जब से सरकार ने प्रबंध अपने हाथ में लिये हैं। तीन करोड़ रुपये की देयता देने को रह गई है। इसके अतिरिक्त इस कंपनी को नौवहन निगम के 35 लाख रुपये देने हैं जो निगम ने उसे ऋणों के रूप में दिये थे। कंपनी को चलाने का चालू व्यय वर्तमान आय से पूरा किया जा रहा है। केवल जहाजी विकास निधि समिति को दी जाने वाली मूल-धन की ऋण किस्तें नहीं चुकाई जा रही हैं और इस प्रयोजन के लिए 31-3-68 तक विलंब काल की मंजूरी लेने के लिए सरकार की विशिष्ट अनुमति ली जा रही है। उसके बाद कंपनी उस दर से ऋण चुकाना शुरू करेगी जिससे जहाज विकास निधि से लिए गये 11 ऋणों में से प्रत्येक ऋण मूल ऋण करारों में दी गयी अनुबंधित आखरी तारीख तक पूरा चुकाया जा सके। इस प्रकार व्यापक आधार पर परिशोधित की संपूर्ण अवधि से 31-3-68 तक मिलने काल की मंजूरी दिये जाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

मुजफ्फरपुर के लिये विमान सेवाएँ

2378. **श्री विभूति मिश्र** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर के लिये विमान सेवाओं का निर्धारित समय अनुपयुक्त है और अब तक प्रति सप्ताह जितनी सेवाएँ चलाने की अनुमति दी गई है उनकी संख्या अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उस क्षेत्र के लिए आवश्यक विमान सेवाओं के समय व उनकी संख्या के सम्बन्ध में उत्तर बिहार के संसद सदस्यों से परामर्श करने का विचार रखती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पटना और मुजफ्फरपुर के बीच विमान सेवा 16.11.67 से बन्द कर दी गयी है क्योंकि यह सेवा अलाभप्रद पायी गयी और इसलिए भी कि आई० ए० सी० और बिहार सरकार के बीच बिहार सरकार द्वारा हानि को पूरा करने के बारे में कोई प्रबन्ध नहीं हो सका। इसलिए इस सेवा की समय सूची तथा आवृत्ति के प्रश्न ही नहीं उठते ।

विद्रोही मिजो लोगों द्वारा अनिवार्य भर्ती

2379. **श्री धीरेश्वर कलिता** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही मिजो लोगों ने अपनी तैयारियाँ तेज करदी हैं तथा साठ वर्ष से कम आयु के सभी सक्षम व्यक्तियों की अनिवार्य भर्ती का आदेश दे दिया है; और

(ख) क्या वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये सरकार विद्रोहियों के साथ बात-चीत करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) इस आशय के समाचार प्राप्त हुये हैं कि विद्रोही मिजो अपनी सेना में भर्ती होने के लिये युवकों पर दबाव डाल रहे हैं। फिर भी सरकार के पास अनिवार्य भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

मनीपुर विधान सभा

2380. **श्री मेघचन्द्र** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत प्रादेशिक विधान सभा में सदस्यों का नामांकन करने की क्या प्रक्रिया है; और

(ख) मनीपुर की विधान सभा में सदस्यों की संख्या 32 अर्थात सम होने के कारण यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या बराबर हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत मनीपुर विधान सभा में एक और सदस्य का नामांकन करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) नामांकन केन्द्रीय सरकार करती है और ऐसा करते समय संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से प्राप्त हुई सिफारिशों पर भी विचार किया जाता है ।

(ख) सरकार इन कारणों के आधार पर नामांकन नहीं करती है ।

ताज के चारों ओर उद्यान

2382. **श्री अचल सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में ताज के चारो ओर उद्यान और बंजर भूमि, विशेषत: शाहजहाँ उद्यान के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी धन-राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) प्रस्तावित विकास के लिए कौन-कौन सी स्कीमें हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण) सिंह :

(क) आगरा में विद्यमान शाहजहाँ उद्यान सहित सर्टिक हाउस तथा ताजमहल के बीच के क्षेत्र के सुधार के लिए पर्यटन के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के प्रारूप में 60 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

(ख) स्कीम का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

कांडला में राष्ट्रीय मुख्यमार्ग निर्माण कार्य

2383. **श्री नायनार:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यून धनराशि दिये जाने से केरल में रा० मुख्य मार्ग निर्माण, कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो अधिक धनराशि की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के बजट की व्यवस्था में भारी कटौती के कारण समस्त देश में राष्ट्रीय मुख्यमार्ग निर्माण कार्यों के लिये वास्तविक आवश्यकताओं की अपेक्षा आवंटन कम किया गया है । अतएव केरल सहित समस्त राज्यों में प्रगति पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) सब तरह के साधनों की कमी के कारण इस वर्ष अधिक धनराशि की व्यवस्था करना संभव नही होगा ।

उड़ीसा को बालिकाओं की शिक्षा के लिये सहायता

2384. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालिकाओं की शिक्षा के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है; और

(ख) इस योजना के लिए 1967-68 में उड़ीसा के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य को "सामान्यशिक्षा" का विकास के शीर्ष के अधीन केन्द्रीय सहायता की एक राशि नियत की जाती है तथा प्रत्येक योजना के लिये अलग से सहायता नहीं दी जाती । इस प्रकार चौथी योजना के दौरान लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई भी राशि अलग से नियत नहीं की गई है ।

(ख) वर्ष 1967-68 के लिये उड़ीसा को विकास "सामान्य शिक्षा" के शीर्ष के अधीन 87.50 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता नियत की गई है जिसमें लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी सम्मिलित है ।

देवी विपत्तियों वाले क्षेत्रों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

2385. **श्री क०प्र० सिंह देव :**

क्या शिक्षा मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन क्षेत्रों में है देवी विपत्तियाँ आती रहती हैं वहाँ के छात्रों को छात्रवृतियाँ देने के बारे में कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी योजना को चालू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना के कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संगीत नाटक अकादमी

2386. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंहभूम, बिहार में सेराईकेला तथा उड़ीसा में मयूरभंज के छाऊ नृत्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगीत नाटक अकादमी द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ ।

(ख) वर्ष 1963-64 से अब तक (सेराईकेला और मयूरभंज में) छाऊ नृत्य के बढ़ाने के लिये स्वीकृत राशियों का ब्योरा निम्नलिखित है ;

	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
1. श्री कलापीठ, सेराईकेला के बिहार ।	5,000 रुपये	5,000 रुपये	5,000 रुपये	—	—
2. मयूरभंज छाऊ नृत्य प्रतिष्ठान बारीपाड़ा (उड़ीसा)	1,500 रुपये	1,500 रुपये	—	—	10,000 रुपये

कोचीन पत्तन

2387. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत कुछ वर्षों से निकर्षण सुविधाओं की कमी के कारण कोचीन पत्तन की हुई क्षति की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) कोचीन पत्तन मे स्थिति की सुधार के लिये निम्न कार्यवाही की गई है।

(1) जुलाई, 1967 में विकास सलाहकार ने पत्तन का निरीक्षण किया था और ठीक करने के उपायो का सुझाव दिया था। वे ये थे, (1) बड़े पैमाने पर निकर्षण जिसका प्राक्कलन 8 लाख क्यूबिक यार्ड था। यह या तो ठेके द्वारा 'लेडी विलिंगडन' निकर्षक द्वारा चौबीसों घंटों का निकर्षण।

(2) (1) की सिफारिश की कार्यान्वित करने के लिये पोर्ट ट्रस्ट अधिकारियों ने 1965 में और 1967 में निकर्षण के लिये ठेके मांगे थे मगर इसका सन्तोषजनक फल न निकला (किसी अन्य पत्तन से निकर्षण प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पत्तन अधिकारियों को दो निकर्षक खरीदने के अधिकार दे दिये गये हैं। एक पुनर्प्राप्ति के लिये और एक निम्न प्रकार के नये के लिये :—

(1) ग्रैब हायर ड्रेजर।

(2) हायर सैक्शन ड्रेजर।

कोचीन पत्तन के लिये चतुर्थ योजना में 359 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। दोनों के लिये माँगी गई है और इन निविदाओं को खोलने की अन्तिम तारीख चालू मास के अन्तिम सप्ताह में होगा।

लेडी विलिंगटन द्वारा चौबीसों घंटे निकर्षक किया जा रहा है।

आई० ए० सी० के इंजीनियरों द्वारा हड़ताल की धमकी

2389. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ए० सी० के इंजीनियरों ने एयर इंडियन के हड़ताली इंजीनियरों का साथ देने के लिये हड़ताल करने की नोटिस दिया था; और

(ख) यदि हां, तो आई० ए० सी० के इंजीनियरों की शिकायतें क्या थीं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (क) और (ख)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार कोई नोटिस नहीं दिया गया लेकिन आल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी ने 13 नवम्बर, 1967 को इंजीनियर एयरलाइंस कारपोरेशन के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह कहा कि एसोसियेशन ने अपने सभी सदस्यों को निदेश दिया था कि यदि सम्बद्ध अधिकारियों ने कोई फैसला नहीं किया तो वे समस्त भारत में 16 नवम्बर, 1967 के 21.30 बजे से काम बन्द कर देंगे। आई० ए०सी० के प्रबन्धक-वर्ग और एसोसियेशन के बीच कोई विवाद नहीं था। हड़ताल नहीं हुई।

इम्फाल डीमापुर सड़क पर प्राइवेट बस चालन

2390. **श्री मेघचन्द्र :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के प्राइवेट सड़क परिवहन चालकों ने इम्फाल–डीमापुर सड़क को 'नागालैंड' असम और मणीपुर के परिवहन अधिकारियों के साथ हाल ही में हुए समझौते की शर्तों से मुक्त करने के लिये कोई ज्ञापन पेश किया है ;

(ख) क्या इस समझौते के अंतर्गत इस सड़क पर राज्य परिवहन अधिकरण मणीपुर द्वारा जारी किये गये परमिट से 400 या इसीसे अधिक मालवाहक गाड़ियों के बेड़े में से केवल 15 गाड़ियाँ मुक्त रूप से चल सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते को समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Raising Of Status Of Himachal Pradesh

2391. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) Whether the question of raising the status of Himachal Pradesh is under the consideration of Central Government; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

लालडेंगा पाकिस्तान में

2392. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-कानूनी मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान तथा पकिस्तान के सहयोग से भारत के अमित्र देशों से हथियारों की सहायता कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृहकार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) और (ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार लालगेंडा हथियार तथा अन्य प्रकार की सहायता लेने पाकिस्तान गये थे और अभी वहीं हैं। सरकार ने पाकिस्तान से मिजो विद्रोहियों को सहायता देने के सम्बन्ध में कई बार विरोध किया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो

2393. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा मामलों के निपटाने में काफी विलम्ब किया जाता है ;

(ख) क्या उन्होंने 13 नवम्बर, 1967 को इस बात की ओर अधिकारियों का ध्यान दिलाया था; और

(ग) यदि हां, तो अनिर्णीत मामलों का ब्यौरा क्या है और कितने समय से उनकी जांच की जा रही है तथा उनके निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) से (ग) केन्द्रीय जाँच ब्यूरों को कुछ मामलों के निपटाने में देर हुई है और इसके मुख्य कारण मामलों की जटिलता, जांच अधिकारियों की कम संख्या, रिकार्डों और गवाहों की अनुपलब्धता तथा तकनीकी एवं विशेषज्ञों की रायों का देर से मिलना हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्यों की भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिकारियों 13-11-1967 को हुए संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में इस प्रकार की विलम्बों का जिक्र किया गया था।

जो प्रश्न 30-9-69 को गत नौ मास से जांच के लिये पड़े हैं, उनका ब्यौरा निम्न-लिखित है :

9–12 महीने	=	67
12–18 महीने	=	80
18–24 महीने	=	12
2 वर्ष से ऊपर	=	7
		योग 166

इन कठिनाइयों के बावजूद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत 12 महीनों में 1751 मामलों को निपटाया है और प्रत्येक मामलों को मामला दर्ज होने से नौ महीने के अन्दर ही निपटा दिया गया।

पालम हवाई अड्डे पर खान-पान की व्यवस्था

2394. **श्री राजदेव सिंह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पालम हवाई अड्डे पर खान-पान-व्यवस्था में हो रहे कुप्रबन्ध एवं अव्यवस्था के विषय में जानती है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान ठेकेदार का ठेका 1967 के शुरू में समाप्त कर दिया गया था, परन्तु फिर भी वही ठेकेदार अब भी चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार पालम पर, जो की एक अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा है; खान पान-व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कदम उठा रही है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार का ध्यान पालम में खान-पान के मौजूदा प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ शिकायतों की ओर अकर्षित किया गया है।

(ख) और (ग) खान-पान के मौजूदा प्रबन्धकों का ठेका 28.2.67 को समाप्त हो गया। 1.3.67 से 31.12 71 तक की अवधि के लिए नया ठेका एक दूसरे ठेकेदार को दिया गया। खान-पान के मौजूदा प्रबन्धकों ने अदालत में मुकदमा दायर किया और 'स्टे आर्डर' प्राप्त कर लिया। इस आर्डर को दृष्टि में रखते हुए उन्हें खान-पान की अपनी व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दे दी गयी है। मुकदमा लड़ने व 'स्टे आर्डर' को यथाशीघ्र हटवाने के लिये कार्र-वाई की जा रही है।

केरल में छोटे पत्तन

2395. **श्री नायनार** :

क्या **परिवहन** तथा **नौवहन** मंत्री केरल में छोटे पत्तनों के सम्बम्ध में 8 अगस्त 1967 को मौखिक प्रश्न संख्या 1661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने छोटे पत्तनों के विकास के लिए एक मास्टर योजना बनाने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने का सरकार के प्रस्ताव का परीक्षण हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया था; राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि भारत के अवकाश प्राप्त हारबर इंजीनियरों में से किसी योग्य अधिकारी को सलाहकार नियुक्त कर ले या भारत में सलाहकारी फर्मों में से किसी को नियुक्त कर ले—जैसे मेसर्स होवे (भारत) प्राइवेट लि० या मे० वटींलिन और पार्टनर में से।

राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई थी कि परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय का विकास सलाहकार राज्य में छोटे पत्तनों के विकास के लिए जरूरी तकनीकी सलाह दे सकेगा।

विमान यात्रा दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों व मंत्रियों को विशेषाधिकार

2396. **डा० कर्णी सिंह :**
श्री हेम बरूआ :
श्री बलराज मधोक :
श्री जार्ज फरनेंडीज् :
श्री सेक्वीरा :
श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री नाथ पाई :
श्री तन्नेटि विश्वनाथम् :
श्री दत्तात्रेय कुन्टे :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के मंत्रियों को देशीय तथा अन्तराष्ट्रीय दोनों ही उड़ानों के सम्बन्ध में कार में विमान तक जाने दिया जाता है; और

(ख) क्या 'जो पहले आये उसे पहले जगह दी जाय' के आधार पर सीटों के नियतन के बजाय मंत्रियों तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये अब भी कारवेल सेवाओं की अगली आरामदेह पंक्ति में सीटों का नियतन किया जा रहा है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) मंत्रियों को अपनी कारें (एक कार जिसमें मंत्री स्वयं जा रहे होते हैं) विमान तक ले जाने की अनुमति सीमा-शुल्क की अपेक्षाओं के अधीन तथा उस स्थिति में दी जाती है यदि वह परिचालनों की सुरक्षा के अनुरूप होती है। यह सुविधा बीमार अथवा अत्यन्त दुर्बल होने की दशा में यात्रियों को भी दी जाती है।

(ख) पहले से की गयी प्रार्थनाओं के आधार पर मंत्रियों के लिये इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमानों में विशिष्ट सीटों का नियतन किया जाता है, यदि वे सीटें पहले ही भर नही गयी होतीं।

विमान यात्रा के दौरान मंत्रियों को विशेषाधिकार

2397. **डा० कर्णी सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री बलराज मधोक :
श्री जार्ज फरनेंडीज् :
श्री सेक्वीरा :
श्री गिरिराज शरणसिंह :
श्री नाथ पाई :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :
श्री दत्तात्रेय कुन्टे :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री यात्रा करते हैं तो उनके उड़ने के 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद की अवधि तक अनुसूचित विमान सेवाओं को निलम्बित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रियों को इस प्रकार की विशेष रियायतें देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और किसी विदेशी राज्य के प्रमुख को लाने ले जाने वाले विमानों के किसी हवाई अड्डे पर उतरने या रवाना होने के 15 मिनट पहले और बाद तक सुरक्षा की दृष्टि से उडानों को उतरने या रवाना होने की अनुमति नहीं दी जाती है । इस अवधि को 15 मिनट से घटाकर 5 मिनट करने के लिए एक क्रियाविधि पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) यह प्रणाली मंत्रियों पर लागू नहीं होती ।

हगनथियालट गांव में मिजो विद्रोहियों का हमला

2398. **श्री श्रीधरन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मीजो लोगों ने 11 नवम्बर को मिजो पहाड़ियों में हगनथियालट गांव के कई नागरिकों को मार डाला था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई गांव अस्तित्व में नहीं है । तथापि मीजो हिल डिस्ट्रीक के हनाथियाल में 11 नवम्बर 1967 को मिजो विद्रोहियों द्वारा एक असैनिक मार डाला गया था ।

(ग) सुरक्षात्मक उपाय कड़े किये जा रहे हैं ।

पारादीप पत्तन तक एक्सप्रेस मुख्यमार्ग

2399. **श्री स० कुंडू :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में दैतारी खानों से पारादीप पतन तक एक्सप्रेस मुख्यमार्ग का निर्माण पूरा करने के लिये धन की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दैतारी खानों की पारदीप पत्तन से मिलाने वाला प्रस्तावित एक्सप्रेस मुख्यमार्ग एक राज्य परियोजना है अत; उससे राज्य सरकार मुख्यतः संबद्ध है ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 5 का निर्माण

2400. **श्री स० कुंडू :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 5 की उड़ीसा में वारीपाका से भुवनेश्वर तक बनाने में अब तक कितना धन खर्च हुआ है,

(ख) क्या यह सच है कि खर्च की गयी धनराशि स्वीकृत राशि से अधिक है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में फजूलखर्ची और भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या कोई जाँच की गयी है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और समय पर सभा पलट पर रख दी जायेगी।

भूमिगत इसाई मुक्ति परिषद

2401. **श्री बि० ना० शास्त्री** :

(क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को भारत के पूर्वी भाग में भूमिगत इसाई मुक्ति परिषद के अस्तित्व का पता है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी गति विधियों का ब्यौरा क्या है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारें ऐसे संगठन के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं ।

मनीपुर में एक बस पर आक्रमण

2402. **श्री धीरेश्वर कलिता** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र लोगों के एक दल ने 10 नवम्बर 1967 को इम्फाल-सुगनु सड़क पर एक बस को लूट लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जा चुका है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) 10 नवम्बर 1967 को कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। हां, 8 और 12 नवम्बर 1967 को तेंगनुपाल उप-प्रभाग में ऐसी दो घटनाएं दर्ज कराई गई थी। इन दोनों मामलों को सम्बन्धित थानों में दर्ज किया गया था और उनके सम्बन्ध में जाँच की जा रही है। अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 8-11-1967 वाली घटना में 50 सशस्त्र लोगों ने मयंग—इम्फाल पुलिस थाने से लगभग 66 किलोमीटर दूर एक ट्रक को रोका, और ट्रक के चालक से 60 रुपये छीन लिये गये। दूसरी घटना में 6 या 7 गुंडों के एक गिरोह ने इम्फाल--मोरेह सड़क पर थौबल थाने से लगभग 37 किलोमीटर दूर ताराओ लेम्फाय नामक स्थान पर मोरेह से इम्फाल की ओर जाती

हुई एक बस को रोका तथा चालक और यात्रियों से 12835 रुपये के मूल्य के आभूषण और नकदी छीन ली।

मोटर गाड़ी कानून

2403. **श्री रा० स्वा० विद्यार्थी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में एक समान मोटर गाड़ी कनून नहीं है जिससे अन्तर्राज्यीय परिवहन चालकों को असुविधा होती है ;

(ख) क्या सरकार ने कानून की इन व्यवस्थाओं का, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं, अध्ययन किया है, और

(ग) क्या इन अलग-अलग व्यवस्थाओं तथा प्रत्येक भिन्न व्यवस्था को जारी रखने के कारणों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग): भारत में मोटर गाड़ियों का चालन मोटर वेहिकल ऐक्ट 1939 के अधीन विनियमित किया जाता है। यह एक केन्द्रीय अधिनियम है और उसके अधीन नियमों की रचना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। एकरूपता रखने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों में एक माडल मोटर वेहिकिल नियम परिचालित किये थे। सब मिलाकर विभिन्न राज्यों के मोटर वेहिकिल नियमों में एक रुपता है, विभिन्नता केवल वही है यहाँ स्थानीय दशाओं के कारण वह आवश्यक समझी गई है अन्तर्राज्यीय परिवहन चालनों में असुविधा के बारे में कुछ प्रतिवेतन प्राप्त हुये है। जहां तक संभव है वहां तक मोटर वेहिकिल नियमों में एक रूपता रखने के लिये समय-समय पर माडल नियमों का पुनरीक्षण होता रहता है।

अन्दमान प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर गये व्यक्ति

2404. **श्री गणेश** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिनियुक्ति पर गये तथा अन्दमान संवर्ग में खपाये गये व्यक्तियों को अन्दमान विशेष वेतन के पेंशन सम्बन्धी पूरे लाभ दिये जाते हैं;

(ख) क्या पेंशन सम्बन्धी ये लाभ उन कर्मचारियों को भी दिये जाते हैं जो अन्दमान प्रशासन के स्थायी संवर्ग में हैं और अन्दमान विशेष वेतन के हकदार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जब केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी अन्दमान तथा निकोवार प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर जाता है और उसे उक्त प्रशासन में ही स्थायी पद दे दिया जाता है तो उसकी पेंशन निर्धारित करने के लिये "औसत पारिश्रमिक" का हिसाब लगाते समय प्रशासन के अधीन उसे मिलने वाले पूरे विशेष वेतन को जोड़ने की भी अनुमति दे दी जाती है।

(ख) जी, नहीं । उन सरकारी कर्मचारियों को, जो उपरोक्त (क) भाग में वर्णित श्रेणी में नहीं आते, उन्हें पेंशन हेतु औसत पारिश्रमिक मिलते समय प्रशासन का विशेष वेतन की आधी राशि जोड़ने की अनुमति दी जाती है । परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो 22 अप्रैल 1960 को अर्हक-सेवा पूरी कर चुके थे, और जो इस तिथि या इससे बाद में सेवा-निवृत्त हुए, कुछ शर्तों के साथ, प्रशासन का पूरा विशेष वेतन को जोड़ने की अनुमति दी गई थी ।

(ग) द्वीप समूह में सेवा के लिये योग्य कर्मचारियों को खोजने में जो कठिनाइयां आती हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित रियायतें दी गई हैं ।

अन्दमान विशेष वेतन

2405. **श्री गणेश** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में कार्य करने के हेतु विशेष वेतन प्राप्त करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ;

(ख) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप में जन्म लेने वाले परन्तु मुख्य भूमि से भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अन्दमान विशेष वेतन नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विभेद के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जो सरकारी कर्मचारी अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन की सेवा के लिये मुख्य भूमि से सीधे भरती किये जाते हैं या प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं, उन्हें अन्दमान विशेष वेतन दिया जाता है ।

(ख) और (ग) कुछ ऐसे लोग हैं जो द्वीप समूह में पैदा हुए थे परन्तु जो द्वीप समूह में नियुक्ति के समय संयोगवश मुख्य भूमि पर थे, उन्हें स्थानीय भर्ती किये गये कर्मचारी माना गया और इसी कारण उन्हें अन्दमान विशेष वेतन नहीं दिया गया । तथापि, जब एक स्थानीय भर्ती किया हुआ अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन का अधिकारी दिल्ली हिमाचल प्रदेश और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह की सामान्य पुलिस सेवा में खपा लिया जाता है और द्वीप-समूह की तथा कथित सेवा में संवर्ग पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे अन्दमान विशेष वेतन उसी दर पर दिया जाता है जो उक्त सेवा के उन अधिकारियों को दिया जाता है जो द्वीप-समूह में संवर्ग पदों पर काम करते हैं ।

कार निकोबार में गुम हुई चपटी नौका

2407. **श्री गणेश** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अक्टूबर 1967 को अथवा उसके आस पास कार निकोबार में एक चपटी नौका गुम हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) जब से सरकार ने कार निकोबार में नौकाओं में माल भरने तथा उतारने का काम

अपने हाथ में लिया है तब से कितनी चपटी नौकाएं, डोंगियां तथा कुल कितना व्यापारिक सामान गुम हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं, तथापि बेकार पीपों का बनाया गया एक बेड़ा (रैफ्ट) खराब मौसम के कारण 23 अक्टूबर 1967 को खो गया था।

(ग) जब से अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन मे कार निकोबार में माल लादने तथा उतारने का काम अपने हाथ में लिया है तब से एक यंत्रीकृत नौका, एक लाइटर, एक स्टील पानटून और खाली ड्रमों से बनाये गये दो बेडे (रैफ्ट) गुम हो चुके हैं और व्यापारिक सामान गुम नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय मुख्यमार्ग निर्माण कार्य

2408. **श्री कृष्णन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की निधियों से शुरू किये गये सुधार निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या शेष निर्माण कार्यों तथा देश में अन्य राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के विकास पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से और ऋण लेने का कोई प्रस्ताव है;

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये 18 बड़े पुलों और 650 मील की सड़कों में से, 646 मील की सड़क और 17 पुल पूरे किये जा चुके हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् से हुये समझौते में इन कार्यों के लागत के एक भाग की पूर्ति की तथा शेष की भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय निवि से पूर्ति किये जाने की व्यवस्था है । अब तक क्रेडिट की सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जा चुका है । अतः अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् से और ऋण लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । अन्य राष्ट्रीय मुख्यमार्ग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद् से और ऋण लिये जाने के लिये प्रस्ताव बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

मैसूर में राष्ट्रीय मुख्यमार्ग निर्माणकार्य

2409. **श्री कृष्णन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने किसी नये राष्ट्रीय मुख्यमार्ग और बड़े पुलों के निर्माण का और मौजूदा सड़कों तथा पुलों के सुधार का प्रस्ताव किया है जिन पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) मैसूर सरकार ने राष्ट्रीय मुख्यमार्ग व्यवस्था में कुछ सड़कों के शामिल किये जाने का और मौजूदा राष्ट्रीय मुख्यमार्गों

पर कुछ बड़े पुल बनाये जाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने मौजूदा सड़कों के सुधार का भी प्रस्ताव किया है।

(ख) सड़कों के विकास के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। धन की कमी के कारण अभी तक किसी नये निर्माण कार्य को मंजूर करना संभव नहीं हो सका है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

काण्डला पत्तन न्यास के 1965-66 के वार्षिक लेखे तथा व्यापारिक नौवहन नियम

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत काण्डला पत्तन न्यास के 1965-66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन [पुस्तकालय में रखी गयीं, देखिये संख्या एल० टी० 1754/67]

(2) व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापारिक नौवहन (पट्टी सीढ़ी) (पायलट लैडर) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1650 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1755/67]

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (पांचवां संशोधन) विनियम

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (पांचवां संशोधन) विनियम 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 25 ई में प्रकाशित हुए थे, रखता हूँ [पुस्तकालय में रखी गयीं, देखिये संख्या एल० टी० 1756/67]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1547 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदों की संख्या का निर्धारण) विनियम 1955 में एक संशोधन किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 1548 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (अध्ययन के लिए छुट्टी) संशोधन विनियम, 1967 जो 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1595 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जी० एस० आर० 1597 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये।

(पांच) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) 15 वां संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1682 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1757/67]

(2) पुलिस बल (अधिकारों का निबन्धन) अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1720 की एक प्रति जो दिनांक 18 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में एक संशोधन किया गया। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1758/67]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1967-68

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT (General) 1967—68

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं वर्ष 1967-68 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूँ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :—

"कि लोक-सभा द्वारा 14 नवम्बर, 1967 को पारित किये गये सूती कपड़ा (अतिरिक्त

उत्पादन शुल्क) (निरसन) विधेयक, 1967 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पंद्रहवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल कुछ पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों को जो बस में आ रहे थे, निर्दयतापूर्वक पीटा गया था। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप गृह-कार्य मंत्री को कहें कि वह कल इस बारे में एक वक्तव्य दें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The report of the committee on Private Members' Bills and Resolutions which has just been presented to the House contains a Bill seeking that one session of the Parliament should be held in Hyderabad or Bangalore. This Bill has been put in category B. But I think that it should be put in category A. Sothat it may get priority as most of the members of this House are interested in it.

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता।

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक—जारी

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): May I know from the Hon. Minister whether it has been ascertained as to how much extra amount will go to the exchequer by this ordinance or this Bill?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): I don't have the figures with me regarding the income from annuity deposits, It is expected that there will be an extra income of rupees ten crores.

Shri Madhu Limaye: It is very strange that the Hon. Minister is not giving the necessary figures to the House.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब कभी संभव होता है हम वित्तीय विज्ञापन पत्र में आंकड़े दे देते

हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि लोग समय पर कर देंगे या नहीं। इस लिये मैं सही आंकड़े नहीं बता सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डशः विचार करेंगे। खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर कुछ संशोधन है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

Shri B. S. Sharma (Banka): I beg to move my amendment No. 4.

The Hon. Minister might be remembering that Shri Morarji Desai had given an assurnce during the last Budget Session that Annuity Scheme shall be put an end to gradually. Then he had raised the limit from 15 thousand to 25 thousand. I fail to understand what circumstances have compelled the Minister that he has again reduced the limit to 15 thousand.

The Hon Minister had also given an assurance that he will make the rates of income tax permanent so that people don't find any difficulty while planning their business. But after no gap of time he changed his idea and through this Bill has proposed to charge annunity from 15 thousand to 25 thousand. Therefore all that I want is that the Hon. Minister should stick to his words otherwise his words have no value in future.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I have given two amendments. Firstly, if Government does not give interest at the prescribed rate that they should give interst to the assessee at the rate of twelve percent per annum. There is a reason why I have given this amendment. In practice we see that Government charges the interest but does not give it. The figures given in the Audit Report show that they have given Rupees 261 and 50 paise onlyto 27 lakh assessees in the country while the refund which was due was to the tune of Rupees 72 lakhs and 83 thousand. It is because people do not like to displease the Income Tax Officers who otherwise put them into difficulties. Even with the introduction of American system there has been no improvement in the situation. Hence I suggest that if assessees are not given interest for the amount which is due for more than six month atleast they should get penal interest. This is quite a reasonable suggestion and the Hon. Minister must take it into consideration and accept it. By this atleast the inefficiency of the Department will come to light.

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then Adjourned For Lunch Till Fourteen Of The Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha Re-Assembled After Lunch At Fourteen Hours Of The Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में

SITUATION IN WEST BENGAL

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त अपना भाषण जारी कर सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir; I want to rise on a point of order. I want to draw your attention towards two Rules of the Rules of Procedure and Conduct of Business. They are Rule 109 and Rule 340. Under these Rules I want that debate on the motion be adjourned. I want that discussion should be held immediately regarding the extraordinary situation that has taken plcace in West Bengal and this discussion should be postponed for the time being.

We have been requesting, from the very beginning that the Governor of West Bengal has murdered the Constitution and he had done so when the center has urged him to do so. Hence Central Government is also responsible for it. Therefore I request that I may please be allowed to introduce a motion for adjournment under Rule 340.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : हमने आज आकाशवाणी से सुना है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष ने विधान सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया है । उसने यह भी घोषणा कर दी है कि विधान सभा को पुनः बुलाने की सारी कार्यवाही तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा नये मुख्य मंत्री की नियुक्ति करना असंवैधानिक है । अतः वहां असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है । यदि सरकार वहां की स्थिति के बारे में बयान नहीं दे सकती तो मैं श्री मधु लिमये द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सारे प्रश्न पर विचार करूंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप कृपया सभा को स्थगित न करिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब कुछ सुनने के पश्चात् अपना विनिर्णय दूंगा ।

श्री स० गो० बनर्जी (कानपुर) : हमने आकाशवाणी से सुना है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष ने तीन कारणों से विधान सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया है । एक तो यह है कि विधान सभा को बुलाना गैर कानूनी है । दूसरे, डा० पी० सी० घोष की अध्यक्षता में सरकार बनना गैर-कानूनी है और तीसरे कि अध्यक्ष की सभा के कार्य के सम्बन्ध में कभी सलाह नहीं ली गई थी ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I support the motion moved by Shri Madhu Limaye and in that connection I want to say that it was reported in the press today that the Police Commissioner of Calcutta on the advice of Home Secretary had requested the Speaker that permission may be granted to keep the police in the Assembly. One can well remember how undemocratic it is and at the same time one can well understand how critical the situation there might be.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को घुमा-फिरा कर वही तर्क प्रस्तुत नहीं करते जाना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या ऐसी स्थिति में हम सभा के कार्य को जारी रख सकते हैं । चूंकि कलकत्ता की स्थिति इतनी भयानक है, वहाँ पर कोई सरकार नहीं है संविधान नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई भी काम नहीं हो सकता है । अतः क्या इसके लिये संसद को तुरत कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ? ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये नियमों में उपबन्ध है । अतः आपको इस वादविवाद को स्थगित करने के लिये कोई संकोच नहीं करना चाहिये और इस मामले पर यहाँ चर्चा करने की अनुमति दे देनी चाहिये ।

Shri Shashi Ranjan (Pupri) : The business of a Legislative Assembly is couducted in accordance with the provisions of the Constitution and not in accordance with the Rules of Procedures of this House. Section 174 of the Constitution reads:

"The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit. . . ."

The another way of conducting the business of Legislative Assembly is that the Speaker of the Assembly acts upon the ruling given by the Speaker of Lok Sabha. Former Speaker of Lok Sabha, Sardar Hukam Singh said, "the Speaker is a umpire." But the Speaker of West Bengal Assembly has behaved like a partisan man.

उपाध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है । सभा के बाहर अन्य स्थानों पर जो कुछ होता है । उससे सदन को उत्तेजित नहीं होना चाहिये । मैं सदन के नियमों के अनुसार इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूंगा । मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : हमारी प्रमुख विधान सभाओं में से एक विधान सभा के अध्यक्ष ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनका संबंध संसदीय प्रणाली की आधार भूत बातों से है । यह सब उत्तेजना के वातावरण में हुआ । पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष ने संवैधानिक औचित्य की ओर ध्यान दिलाया । वहां पर एक ऐसी असाधारण घटना हुई है जिसे संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व कहा जा सकता है । ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के अधिकारों की माँग करनी होगी ताकि वह एक प्रमुख राज्य में कार्यपालिका के प्राधिकार के दबाव में न आ सके । मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस समय सभा की कार्यवाही में व्यवधान का आना स्वाभाविक है ।

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) ; मैं श्री मधु लिमये के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है । विधान सभा में अध्यक्ष ही सवैधानिक प्रमुख होता है । पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष ने कहा है कि वह वहां के मंत्रिमडल को मान्यता नहीं देते है । यह एक गम्भीर मामला है और इस संबंध में संविधान का पालन किया जाना चाहिये । पश्चिम बंगाल का क्षेत्र शत्रुओं से घिरा हुआ है । हमें यह बताया जाना चाहिये कि वहां पर किस प्रकार का शासन है । अन्य बातों पर चर्चा करने से पहले यह प्रस्ताव ले लिया जाना चाहिये ।

श्री पी० राममूर्ति (शिवकाशी) : पश्चिम बंगाल में एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है । वहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष ने राज्यपाल द्वारा नामजद की गई सरकार को अवैध ठहरा दिया हैं । यह जनता के प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये राज्यपाल के बीच संघर्ष का मामला है । यह एक असाधारण स्थिति है । पश्चिम बंगाल की जनता डा० पी० सी० घोष के मुख्य मंत्री बने रहने के अधिकार को चुनौती देगी । स्थिति की गंभीरता के देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अन्य विषयों को छोड़ कर अभी इसी विषय पर अविलम्ब चर्चा शुरू की जाये ।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : It is for the Legislators and not for the Speaker to decide as to whether the Government of the day has the majority or not. We do not have full information about what actually happened in West Bengal Assembly. Government should be given some time to gather the required information.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसके कारण सभा की कार्यवाही को स्थगित करना उचित है या नहीं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There is a rule in the Rules of Procedure of West Bengal Assembly which reads as follows :-

"The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned **sine die** or to a particular date or to an hour or part of the same day."

On the advice of the Government the Governor has right to summon and prorogue the Assembly . Only the Speaker has the right to adjourn the Assembly.

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा पश्चिम बंगाल विधान सभा के प्रक्रिया नियमों से कोई संबंध नहीं है ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : It has to be decided today whether the Ministry in West Bengal enjoys the majority support or not. Certainly an unprecedented and extra-ordinary situation has arisen as a result of the Speaker's declaration leading to a **sine die** adjournment of the Assembly. It is the duty of the Government at the Centre to make a statement in the House on the situation in West Bengal.

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह प्रश्न नियम 109 तथा 340 के अधीन उठाया गया है और आप इसे निपटा सकते हैं । पश्चिम बंगाल विधान सभा की स्थिति के बारे में मैं गृह मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना विनिर्णय देने से पूर्व मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ । पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए यह मांग की गई है कि सभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाये और पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विचार किया जाय । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : The news as it has come is a procedural matter for the West Bengal Assembly. No special Constitutional position appears to have arisen. Whether the speaker has the right to make a Judgement on the Constitutionalty of a certain thing is a basic question. If at all the Assembly is adjourned **sine die,** it is a procedural matter of that particular State Legislature. There is no extraordinary situation.

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में नियम संख्या 340 लागू नहीं होता है । यह तो स्थगन प्रस्ताव है । नियम सख्या 340 तो प्रस्तावों पर लागू होता है । हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । इस लिये यहाँ नियम संख्या 109 लागू होगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुख्य मंत्री को सभा के अन्दर पीटा गया है तथा सदन को स्थगित किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह घटना इस सदन के बाहर हुई है । अब इसमें और अधिक तर्क देने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता । हमें आगे की कार्यवाही करनी चाहिये । साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि क्या हम इतने कमजोर मन के हैं कि अपना संतुलन खो दें ।

श्री ही० ना० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : महोदय, स्वयं आप ने भी स्वीकार किया है कि पश्चिमी बंगाल में कुछ असाधारण घटनायें हुई हैं । परन्तु यहां गृह-कार्य मंत्री इसको सामान्य रूप में ले रहे हैं । उन्होंने इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया है । श्री मधु लिमये ने एक सुझाव दिया था जिसके अन्तर्गत इस मामले पर यहां चर्चा हो सकती थी । परन्तु सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं है कि वह यहां चर्चा के लिये तैयार हैं ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : महोदय, क्या आप गृह कार्य मंत्री से नहीं कह सकते कि वह जब उन्हें समय मिले, आज सायं अथवा कल प्रातः इसके बारे में एक वक्तव्य दें कि पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ और वह उस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक क्रियात्मक सुझाव है । गृह कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और जैसा भी संविधान के अन्तर्गत संभव है, वह अवश्य इस सदन में एक वक्तव्य देंगे । अब हम विधेयक पर खण्डशः विचार करेंगे ।

———

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक—जारी

TAXATION LAWS (Amendment) BILL—contd.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, the interest given by the Government over refund is only Rs. 262/- on an amount of Rs. 73 lakh upto 13.3.66 which is most inadequate. I want that a penalty should be imposed on officials who delay the payment. The responsibility for delay should be pin pointed so that action may be taken against the person concerned.

In my second amendment I suggested that the rate of annuity should be put on a sum above Rs. 40 thousands. As a matter of fact the Annuity Scheme is basically wrong. People can invest their savings in other fields.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker I want to speak about the entertainment expenses. I am not against decrease in that expense. I want to advocate that the same yardstick should be applied to the Public Sector Companies. They too should fix a limit on entertainment expenditure as we are doing with regard to private companies.

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इंगलैंड में मनोरजंन व्यय सरकारी तथा गैर-सरकारी समवायों के लिये एक जैसे हैं । ऐसा ही भारत में होना चाहिये ।

जब मैं श्री कंवर लाल गुप्त का भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ वह किसी चिट फंड कम्पनी के बारे में बात कर रहे हों । उसका हमारे सामने जो विषय है उससे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है ।

जो उपबन्ध विधेयक में दिये गये हैं वह बिल्कुल ठीक हैं । उनसे देश का वित्तीय स्वास्थ्य ठीक ही होगा ।

Shri S. S. Kothari (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker I would request the Finance Minister to abolish the Annuity Scheme. According to the Boothalingam Committee Report the loss as a result of it would be to the tune of Rs 40 crores. But according to the present amendment this would come down to Rs. 19 crores. The risk is worth taking as then the people would invest their savings in a voluntry manner for which the Government should devise Scheme.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : महोदय, मनोरंजन व्यय को लाभ से जोड़ना उचित नहीं है क्योंकि आरंभ में तो प्रत्येक कम्पनी को घाटा ही होता है, लाभ तो कुछ वर्षों बाद होता है। इस लिये मेरा निवेदन यह है कि मनोरंजन व्यय को उत्पादन से जोड़ा जाये न कि लाभ से ।

वार्षिकी जमा के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसे समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि समाज में बचत पहले ही कम है । इस कारण लोग दूसरों से ऋण लेकर वार्षिकी जमा में जमा कराते हैं जोकि उचित नहीं है ।

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : Mr. Deputy Speaker, I do not want to repeat what I have already stated when I introduced the Bill.

Most of the arguments advanced by Hon. Members are those which were given on earlier occasions. Even then I can assure them that I am prepared to consider the same.

Regarding the amendment of Shri Sharma, I can only say that he has tabled it under a misunderstanding and it goes against what he actually wants. I therefore want him to withdraw the same.

Shri Kanwar Lal Gupta stated that the interest in case of default in returning amount should be increased from the 9% to 12%. I think it will not serve much purpose as there is not much difference between 9% and 12%. Our aim in increasing the same from 6% to 9% is to detect the officers who committed fault and that we will know even how.

About the Entertainment Allowance Shri Madhu Limaye suggested that the limit should be applicable to companies in the public sector also. I may state that it will be applicable on them too. Regarding Shri D.N. Patodia's argument that it should be applicable or turn over and not on profit I am sorry that I do not agree with him.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : Sir, I only wanted the Hon. Minister's attention to be drawn to that matter which has been done. I want to withdraw my amendment.

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 4 was, by leave withdrawn

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir I press my amendment to the vote of the House.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment was put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clavuse 4 was added to the Bill

खण्ड 5

(1967 के अधिनियम 20 का संशोधन)

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Deputy-Speaker, I stated that there would be no annuity deposit from those persons whose income is less than Rs. 40,000. In fact I am against the annuity deposit in principle as it causes great hardship to people who have to keep accounts without much knowledge of the same.

The ministers make assurances and then do not stand upto them. They should not show much wavering and vacillation.

Secondly, I find much waste these days. I have been told that a sum of Rs. 12 to 13 lakh was spent merely on the repair of houses of ministers and on the repair of the house of one minister in cost the Government Rs. 70 thousand, This is deplorable.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, जब हमने यह प्रश्न उठाया कि सरकारी

कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते बढ़ाने की बात कही थी तो कहा गया था कि वार्षिकी जमा की सीमा को कम किया जा रहा है ताकि उस से अधिक रकम एकत्रित की जा सके। मैं चाहता हूँ कि जिन कर्मचारियों को 1000 रु० से कम वेतन मिलता है उन सब के मंहगाई भत्ते बढ़ाये जायें।

Shri K. C. Paut: Sir, I have already stated that I would give full consideration to the views expressed by the Hon. members.

Shri Banerjee made a sound suggestion that if we can ask the persons getting Rs. 700 to 800 some money to Provident Fund we should ask people in higher range of income also to contribute something. I think those who get Rs. 40,000/ are rich people and should pay to annuity deposit. Hence I cannot accept this amendment.

श्री कवंर लाल गुप्त: मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Amendment was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, new taxes are being imposed on us but they have not been able to realise the taxes.

श्री गु० सि० ढिल्लो पीठासीन हुए

Shri G. S. Dhillon in the Chair:

On 23rd November in answer to a question the Hon. Minister stated that in the case of income tax the arrers are to the tune of Rs. 529 crores and 60 lakh. I know that Sri

C. D. Deshmukh when he was the Finance Minister indicated that he would give information about the names of persons who had not paid their taxes would be announced. But that has not been done as yet.

There are some firms in Bombay which are not paying their wealth tax properly. I know some Member of the Ruia family who concealed their jewelery to aovid wealth tax and it was confirmed later on by the departments concerned too . But certain big people are associated with them and hence no concrete step have been taken to furnish them.

We have been informed that the assessors have their own share which goes upto 11% and so they assess the wealth as of lesser value. The jewellery which in fact was worth Rs. 70 lakh was assessed at Rs. 25 lakh. We are also told that in appeals against the judgments in such cases about 65 percent cases go in favour of those persons and against authorities. This indicates any one of the three things viz. people are unnecessarily inconvenienced by the authorities, there is inefficiency in the department or there is corruption at the high level.

I want the hon. Minister to announce that they will not impose new taxes on things of daily necessity next five years so that the poorer people may be relieved to some extent.

श्री देवकी नंदन पाटोदिया (जालोर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि यह देश के आर्थिक विकास की धारणा के प्रतिकूल है। खर्च बहुत अधिक बढ़ा कर उन्हें पूरा करने के लिये और अधिक कर लगाने की प्रकृति खतरनाक है।

पिछले कुछ वर्षों, विशेषकर इस वर्ष समाज पर कर का बोझ इतना अधिक बढ़ गया है कि वसूली की कठिनाइयों के कारण हमारे राजस्व को इतने अधिक घाटे का सामना करना पड़ा है। सरकार को यह जानना चाहिये कि करारोपण की दर देश की आर्थिक बढ़ोत्तरी के अनुसार ही होनी चाहिये। वर्तमान करो की वसूली घटते ही सरकार को चाहिये कि नये कर लगाना बंद करदे। इस समय कोई भी नया कर आर्थिक विकास में बाधक होगा अतः राष्ट्र विरोधी होगा। इन शब्दों के साथ में विधेयक का विरोध करता हूँ।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : Had the Bill been aimed at reducing taxation for poorer sections of Society and equitable distribution of wealth, I would have supported the Bill whole heartedly. I would not be satisfied unless all incometax evaders and all other tax evaders are brought to book.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : I would raise one or two points while opposing this Bill. I have noticed that there is much duplication in the matter of Income tax at least. Income tax is assessed on the same income from more than one persons. Therefore when it is claimed by the Ministry of Finance that arrears to the tune of Rs. 542 crores are still outstanding, it is three or four fold the amount of tax arrears actually outstanding and it is regrettable that neither the Minister contradict it nor the income tax to officials muster enough courage to point out the same to Government. The pressure on them has increased so much that they assess income-tax on the same income on three persons at the same time. I would therefore request the Finance Minister to see that productive assesment should be correctly made because as pointed out by Shri Limaye, most of the cases of inflated assesments fail on appeal. This results in exploitation of small businessmen rather than big ones who manage to escape such excesses. I would, therefore, request the Finance Minister to give a serious thought towards this problem.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पता नहीं ऐसे निर्विवाद विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है । सरकार तो देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कार्यवाही कर रही है । वार्षिकी जमा पूंजी बढ़ायी जानी चाहिये मनोरंजन सम्बन्धी व्यय में कमी की जानी चाहिये । याद रहे कि विलसन सरकार ने भी ब्रिटेन में पहला कदम यही उठाया था । करदाताओं द्वारा देय कर पर ब्याज की दर बढ़ा कर भी सरकार ने ठीक ही किया है ।

हां आयकर विभाग को और अधिक सतर्कता बर्तनी चाहिये । श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने फिल्म अभिनेताओं के घरों में छापे मार कर छिपा धन निकालने संबंधी कार्यवाही सराहनीय है । अब भी सरकार को ऐसा ही करना चाहिये यद्यपि तब कांग्रेस तथा दूसरे दलों के लोगों ने इस पर काफी शोर मचाया था । ये लोग कोई देवता अथवा साधु तो नहीं होते । इस कार्य में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिये चाहे वह बिड़ला हो, मुंदड़ा हो, अमींचन्द प्यारेलाल हो अथवा कोई भी हो । हां, साथ ही उन आयकर अधिकारियों की हमें पीठ ठोंकनी चाहिये जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं यदि ऐसा नहीं होगा तो बड़े लोगों के घर छापे मारने तथा उनसे पूरा-पूरा आयकर वसूल करने से वे कतरायेंगे ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I would like the Hon. Minister to clarify certain points raised by our late friend Dr. Lohia about four months ago regarding imposition of fresh levy on power looms, now when fresh taxation is proposed to be imposed in the present Bill. The proposed income for this measure may also be indicated as asked for by Shri Madhu Limaye earlier in the day. On the one hand all revenues are explored to extract money from people to run Government and on the other almost all Ministers have gone on foreign tours on one pretext or the other and the Prime Minister has paid two foreign visits, the cases of Ministers purchasing gifts for their friends with Government money and retaining gifts received from foreigners must be looked into. On the one hand money is not there to meet the demands of teachers and on the other hand money is squandered in such indifferent manner.

I would like this Bill to be withdrawn and the wastage of money stopped forthwith.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : While supporting the Bill, I submit that only big industrialists and businessmen are not affected by the fiscal policies of the Government but middle class traders and businessmen also feel concerned about them and as the fiscal polices of Government are creating economic difficulties in the country, therefore this class is losing faith in their policies. Petty businessmen and traders plying their trade in villages and small towns are finding it increasingly difficult to carry on their work in the face of increasing income-tax, Sales.tax and a host of other taxes. This class of businessmen is the backbone of our economy and therefore I would request the Government to show special consideration towards them in the matter of relieving them of an anxiety and harassment at the hands of tax officials.

With these words, I support this Bill.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : इस विधेयक का मनोरथ बहुत सीमित है—अर्थात् पहले जारी हुये अध्यादेश के उपबन्धों को नियमित रूप देना । मुझे खुशी

है कि लगभग सभी ओर से इस विधेयक का स्वागत किया गया है और साथ ही कुछ सुझाव भी दिये गये हैं जिनमें सब से अच्छा सुझाव श्री मधु लिमये ने दिया है अर्थात् कर लगाये बिना संसाधन बढ़ाना, परन्तु उन्होंने इसका तरीका हमें नहीं बताया ।

करों की बकाया राशि के बारे में श्री लिमये और श्री शर्मा ने कहा था । इस संबंध में निवेदन है कि 650 करोड़ रुपये की वसूली में से कुछ राशि तो बकाया रकम में दिखाया जाना अनिवार्य ही है । हां, मैं यह मानता हूँ कि बकाया रकम की वसूली शीघ्र की जानी चाहिये और हम इसके लिये जोरदार कार्यवाही कर रहे हैं ।

आयकर निर्धारण के 26 लाख मामलों में से केवल 5 प्रतिशत मामलों में ही अपील की जाती है । कुछ सदस्यों ने आयकर अधिकारियों द्वारा की गई सख्तियों के विरुद्ध आवाज उठायी है । परन्तु, यदि कानून का कड़ायी से पालन होना है तो अधिकारियों को कड़ा तो होना ही पड़ेगा । हां, मैं भी यह चाहता हूँ कि करदाताओं को परेशान न किया जाए ।

इस पर बात पर विचार किया जाना चाहिये कि हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में क्या यह बढ़ती हुई कमी हमारे आर्थिक विकास में सहायक होगी और पिछले तीन वर्षों से जो मुद्रा स्फीति की स्थिति चल रही है, उसमें इस कमी को दूर करने की आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अपने आर्थिक विकास को बनाये रखने की आवश्यकता है और जब ये दोनों बातें आपस में टकराती हैं तो हमें कुछ समय के लिये मुद्रा-स्फीति में कमी करने की आवश्यकता को प्राथमिकता देनी होती है ।

साथ ही मैं इस बात से भी पूर्णतः सहमत हूँ कि आर्थिक विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिये ।

जहां तक मंत्रियों द्वारा दिये गये उपहारों का सम्बन्ध है, मंत्रीगण अपने मित्रों को उपहार नहीं देते किन्तु हमारे मंत्रियों के विदेशों के कुछ महत्वपूर्ण लोग भी मित्र हो सकते हैं । इसे नहीं रोका जा सकता । किन्तु सत्ताधारी व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्तिगत अथवा निजी मित्र को सरकारी खर्चे पर उपहार नहीं दिये जाते ।

जहां तक उपहार प्राप्त करने का सम्बन्ध है यह कहना सत्य नहीं है कि मंत्रीगण उपहारों को अपने घरों में रख लेते हैं । इन उपहारों के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं । उन उपहारों का मूल्यांकन किया जाता है और यदि कोई मंत्री उस उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसे कुछ अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है । इन नियमों के बनाये जाने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई मंत्री सरकारी खर्चे पर दौरा करता है तो इससे उसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिये ?

छोटे और मध्यमवर्गीय व्यापारियों का भी जिक्र किया गया है और उन्हें तंग न किये जाने की बात कही गई है ? हम ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कम आय वाले करदाताओं, जिनकी आय 7,500 रुपये से कम है, उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जाये । आशा है

इससे उन लोगों को राहत ही नहीं मिलेगी बल्कि इससे देश में कर उगाने की प्रणाली में भी कोई रुकावट नहीं आयेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा शोधन) विधेयक

ESSENTIAL COMMODITIES (Second Amendment) Bill

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : श्रीमान्, श्री दिनेश सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 की अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने सम्बन्धी विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जिसमें 21 सदस्य हों अर्थात् : श्री स० मो० बनर्जी, श्री बिभूति मिश्र, श्री रूप नाथ ब्रह्म, श्री सी० के० चक्रपाणि श्री जे० के० चौधरी, श्री वें० न० जाधव, श्री मु० अ० खान, श्री दत्तात्रय कुंटे, श्री मोहन स्वरूप, श्री जु० कि० मडंल, श्री नेसामाणि, श्री निहाल सिंह, श्री काशी नाथ पाण्डेय, श्री देवकी नन्दन पाटोदिया, श्री भोला राउत, श्री न० कु० साधी, श्री शारदानन्द, श्री शशि भूषण, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री विश्वनाथन, और श्री मुहम्मद शफी कुरेशी ?

सभापति महोदय : कार्य-सूची में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि आप इसे प्रवर समिति के पास भेजना चाहते थे। यदि यह कर दिया जाता तो सभी को इसकी सूचना मिल जाती।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे विचार में यह सूचना ससंद-कार्य मंत्री ने दे दी थी।

सभापति महोदय : इसे परिचालित कर देना चाहिये था। उन्होने नामों कर भी उल्लेख कर दिया है। क्या मंत्री महोदय इसके लिये समय-सीमा भी बतायेंगे ? प्रति वेदन-प्रस्तुत करने के लिये वे कितना समय निश्चित करना चाहेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : एक सप्ताह का समय।

श्री सभापति : अतः एक सप्ताह का समय अर्थात् अगले बुधवार तक का समय दिया जाता है ?

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : प्रवर समिति को विचार करना चाहिये कि गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया था उसे ध्यान में रखते हुये

क्या यह विधान मंडल इस विधेयक पर विचार कर सकता है या नहीं । इस फैसले के बाद इस विधेयक के बहुत से उपबन्धों में जो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हैं उन पर सरकार विचार नहीं कर सकती ।

1956 से चीनी, कपड़ा और अन्य वस्तुओं की काफी कमी रही हैं । तब से कीमतें भी बढ़ रही हैं । मूल अधिनियम उत्पादन बढ़ाने और कीमतें घटाने में असफल रहा है । यह उद्देश्य इस विधेयक द्वारा भी पूरा नहीं हो सकेगा ।

सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं कर सकी है । यदि सरकार प्रशासनिक कार्य कुशलता में सुधार नहीं कर सकी है तो वह इस विधेयक से ही स्थिति कैसे सुधर सकेगी । इस विधेयक में तो वह मूल अधिनियम में उल्लिखित दंड को और बढ़ा रही है ।

बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार खाँडसारी और गुड़ पर नियंत्रण करने जा रही है जबकि चीनी के नियंत्रण में ढील दी जा रही है । इसका क्या मतलब है ? यदि चीनी के नियंत्रण को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये गुड़ और खाँडसारी पर नियंत्रण लगाना जरूरी है तो यह शुरू में ही किया जाना चाहिये था । सरकार नियंत्रण कैसे लागू करती है यह इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है ।

धारा 6 के दण्डात्मक उपबन्ध जो पहले खाद्य और खाद्य तेलों के सम्बन्ध में ही लागू होते थे उन्हें अब सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू किया जा रहा है । विधेयक के ये उपबन्ध बड़े ही कठोर हैं और इस कारण यह विधेयक बड़ा निर्दयतापूर्ण है । इससे स्पष्ट है कि सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह सभ्य तरीकों से अपना काम चलाने में असमर्थ है ।

इस विधेयक में अपराधों को प्रज्ञेय बनाने का प्रस्ताव किया गया है । मैं समझता हूँ कि सरकार अपने कर्मचारियों के रवैये के बारे में नहीं जानती । सरकार शायद यह नहीं जानती कि जो शक्ति वह सरकारी नौकरों को देने जा रही है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, उनके कर्मचारीगण और ज्यादा बलपूर्वक धन ऐंठेंगे । सरकार का यह इरादा कभी भी नहीं हो सकता कि ऐसी शक्तियाँ उन लोगों के हाथों में सौंप दी जायें जो इस प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिये प्रसिद्ध हैं । इन अपराधों को इतना गम्भीर बना दिया गया है कि इनमें किसी भी प्रकार के आदेश अथवा तलाशी करने के किसी वारंट आदि को भी आवश्यक नहीं समझा गया है । इससे पता चलता है कि सरकार को इस देश का शासन करने की अपनी क्षमता में विश्वासनहीं है ।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि अपराध चाहे वह जानबूझ कर किया गया है या अनजाने में किया गया है, अपराध ही है । किन्तु कानून के अनुसार अपराध को सिद्ध करने के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अपराध जानबूकर गलत इरादे से किया गया है । क्या सरकार कानून की इस व्यवस्था की एकदम उपेक्षा करना चाहती है ? यह कानून की उपेक्षा नहीं है, बल्कि वास्तविकता की उपेक्षा है । इस विधेयक का यह उपबन्ध कानून के एकदम विपरीत है । बड़ी हैरानी की बात है कि यह विधि मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है ।

विधेयक में अभ्यस्त अपराधियों को बड़ा कठोर दंड दिये जाने की व्यवस्था की गई है। अभ्यस्त अपराधियों के साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं हो सकती किन्तु क्या सरकार ने कभी किसी अभ्यस्त अपराधी को पकड़ा है ? इन लोगों को दंड अवश्य दिया जाना चाहिये, किन्तु इन्हें दंड कभी भी नहीं दिया जाता । अभ्यस्त अपराधियों के कर्मचारियों, नौकरों और उनके पिठ्ठुओं को ही पकड़ा जाता है और उन्हें ही सजा दी जाती है । यदि सरकार इन कर्मचारियों को पकड़-कर उन्हें कठोर दंड देने जा रही है तो दंड की यह कठोरता ही निरर्थक होगी ।

फिर, कानून के अन्तर्गत दंड की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रश्न है । निस्सन्देह चोर बाजार करने वाले व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिये । किन्तु चोर बाजारी कौन फैला रहा है, तस्कर व्यापार के लिये कौन उत्तरदायी है, इस प्रश्न पर प्रवर समिति को विचार करना चाहिये । खाद्य मंत्री ने हाल ही में कहा कहा है कि क्षेत्रीय नियंत्रणों के कारण ही चोर बाजारी और तस्कर व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है । नियंत्रणों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा की जाती है । नियंत्रण हटाने पर कमी भी नहीं रहती । सीमेंट पर नियंत्रण हटाने से देश में सीमेंट की कमी भी खत्म हो गई ।

Shri George Fernandes (Bombay-South): Sir, on a point on order. My point of order is that Government will have to incur some expenditure on this Bill. Financial Memorandum is also attached to this Bill. According to rules, clauses or provisions in Bills involving expenditure should be printed in thick type or in italics. Certain portions of the Bill have, of course, been printed in thick type but in respect of Financial Memorandum it has been stated that an approximate estimate of the expenditure to be incurred cannot be made as this stage.

In this connection, I would like to draw your attention to rule 69 (i) which reads as follows:

"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

(2) विधेयकों के जिन खंडों या उपबन्धों में भारत की संचित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे;

परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड, जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छापा जाय, तो अध्यक्ष विधेयक के भार-साधक सदस्य को ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।"

In view of the fact that the expenditure involved in this respect has not been mentioned. it is a clear violation of the rules and, this being the position, this Bill cannot be brought before this House.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : चूंकि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया है इसलिये

इस समय इस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हो सकती । इन मामलों पर प्रवर समिति ही विचार करेगी और अपना प्रतिवेदन सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah): As has rightly been pointed out by Shri Fernandes, as all the financial implications as per the rules should be brought here. Unless the position of the Government in this regard is made clear, it is in contravention of the relevant rules. Therefore, I feel that the position in this regard should be clarified and thereafter, this Bill should be brought before the House.

सभापति महोदय : यह प्रस्ताव किया गया है कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाये। हम इसी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। श्री फरनेन्डीज़ ने दो बातें उठाई हैं--एक तो यह कि खर्चे का अनुमान नहीं बताया गया है, दूसरे सम्बद्ध खंडों को तिरछी टाइप में नहीं छापा गया है । अध्यक्ष महोदय दूसरी बात की छूट दे सकते हैं किन्तु पहली की नहीं। मंत्री-महोदय ने कहा है कि प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किये जाने के बाद इस बात को नहीं उठाया जा सकता। यह केवल एक प्रस्ताव है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं । सभा ने अभी तक इस विधेयक को प्रवर समिति के पास नहीं भेजा है । अनुमान की ठीक ठीक राशि का उल्लेख नहीं किया गया है ।

अभी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप आज शाम तक अनुमान की ठीक राशि बता दीजिये या कोई और सम्बद्ध जानकारी दे दीजिये और उसके बाद चर्चा जारी रखी जा सकती है ।

श्री फरनेन्डीज की आपत्ति ठीक ही है। यदि वे यह आपत्ति थोड़ा पहले कर देते तो सभा का समय बच जाता।

कुछ और अनियमिततायें भी हैं । कही पर तारीख आदि भी नहीं दी गई है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूँगा कि वे स्वयं इस विधेयक के मसोदे पर विचार करें। वैसे हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं । मैं माननीय मंत्री से चाहूँगा कि वे इस पर विचार करें और जब अगली बार इस विधेयक पर हम विचार करेंगे तब तक आशा है ये त्रुटियाँ दूर कर दी जायेंगी ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (संभलपुर) : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। वित्तीय ज्ञापन में सभी जगह कहा गया है कि इस समय खर्चे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मेरे विचार में यदि उप-मंत्री को समय दिया भी गया तब भी वे खर्चे का अनुमान नहीं लगा सकेंगे ।

सभापति महोदय : यह अनुमान है और कुछ भी न लिखने से यह अच्छा था कि कुछ राशि लिख दी जाती ।

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा): आपके व्यवस्था देने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक मामूली अनियमितता ही नहीं हैं। यह एक भारी भूल है।

अनुमान देना जरूरी है। इसके आधार पर सभा यह निश्चित करती है कि इस विधेयक को अधिनियम बनाने से देश को लाभ होगा या नहीं । सभा को पता होना चाहिये कि इस

विधेयक में कितना खर्चा आयेगा । यदि खर्चे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो अच्छा होगा कि उप-मंत्री इस विधेयक को वापिस ले लें और कहें कि वे दुबारा पूरी जानकारी के साथ सभा के समक्ष आयेंगे ।

यदि शाम तक वे अपेक्षित जानकारी ले भी आये तब भी सभा को खर्चे को ध्यान में रखकर इस सारे मामले पर फिर से विचार करना होगा ।

आपने कहा कि आपत्ति थोड़ा पहले उठाई जानी चाहिये थी । किन्तु यह तो आपके सचिवालय की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि सभी प्रारम्भिक बातें पूरी हैं या नहीं । ये गलती तो सचिवालय की है ।

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : यह विधेयक विधि मंत्रालय से हो कर आया है । जो विधेयक सभी प्रकार से पूरा नहीं है उसे विधि मंत्रालय परिचालित नहीं कर सकता । इसकी जिम्मेदारी विधि मंत्री की है ।

सभापति महोदय : श्री कुंटे, मैंने माननीय मंत्री से पहले ही कह दिया है कि वे देखें कि क्या वे इस गलती को ठीक कर सकते हैं । अब थोड़ा ही समय रह गया है । प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितता को अवैधता नहीं माना जा सकता ।

श्री दत्तात्रेय कुंटे : श्रीमान्, सभा के नियम एकदम स्पष्ट हैं । जब तक आप सभा के नियमों का निराकरण नहीं करें तब तक तो हम इसे सभा के नियमों का उल्लंघन ही मानेंगे ।

सभापति महोदय : यह केवल एक अनियमितता है ।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : श्रीमान् इस प्रकार का विधेयक पास करने से पहले हमें पता होना चाहिये कि इसमें कितना खर्चा आयेगा ?

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय को थोड़ा समय देना चाहता हूँ, ताकि वे यह भूल सुधार सकें । यदि वे खर्चे की ठीक राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हे यह विधेयक बाद में पेश करना पड़ेगा । अगली बार वे पूरी तरह तैयार होकर आयेंगे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy Speaker in the Chair

उपाध्यक्ष महोदय : वे अनुमान कल पेश करेंगे । हम विधेयक पर आज विचार करेंगे ।

श्री कृष्ण मूर्ति : यह गैर कानूनी होगा । सबसे अच्छी बात यह होगी कि माननीय उप-मंत्री इस समय इस विधेयक को वापिस ले लें और इसे पुनः पुरःस्थापित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुन लेने दीजिये ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका है । अब हम इस पर विचार कर रहे हैं । यदि कोई आपत्ति थी तो यह पुरःस्थापन के समय उठाई जानी चाहिये थी । यदि कोई गलती हो गई है तो वह अवैध नहीं है । वित्तीय ज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस समय अनुमानित व्यय बताना सम्भव नहीं है । विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न करने का उद्देश्य यह होता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हम भारत की संचित निधि

से इसके लिये कितनी धन-राशि प्राप्त करेंगे। वहां पर हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें संचित निधि से कितना धन मिल सकेगा।

श्री कृष्ण मूर्ति : जब विधेयक में यह उपबन्ध है कि यह खर्चा भारत की संचित निधि से लिया जायेगा तो इस खर्चे का कुछ अनुमान भी अवश्य दिया जाना चाहिये। अनुमान के बिना विधेयक विधेयक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक वित्तीय ज्ञापन का सम्बन्ध है, नियम 69 बाध्यकर है। मेरे विचार में माननीय मंत्री का बहाने लगाना ठीक नहीं है। यदि सभा की अनुमति हो तो हम इस विधेयक पर 20 मिनट और चर्चा कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जो अवैध है, उस पर हम कैसे चर्चा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य नहीं मानते हैं तो जो 20 मिनट बाकी रह गये हैं उनमें हम खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। क्या वे कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं केवल प्रस्ताव करूंगा।

श्री राजाराम : इस बीच हम बंगाल समस्या पर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह हमने पहले ही निबटा दी है। उसका जिक्र अब नहीं किया जा सकता।

———

देश में खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव

FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे : "मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

" कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये।"

कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव हैं। जो माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उन्हें प्रस्तुत करें।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत कहता हूँ।

श्री बेगी शंकर शर्मा (बंका) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : सिंचाई सुविधा और खाद कृषि के लिए मूलरूप से

महत्वपूर्ण है। यह खेद की बात है कि अभीतक किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हम खाद्य में आत्म-निर्भर नहीं बन सकते।

किसानों की खाद्य की मांग को पूरी तरह पूरा नहीं किया जा रहा है। खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें और अधिक खाद कारखाने स्थापित करने चाहिये।

किसान को अपनी उपज के लिए उचित दाम मिलने चाहिये। तभी उस की हालत सुधरेगी सभी राजनैतिक दलों को किसानों के शक्तिशाली संगठन बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये।

एक देहाती मंच होना चाहिये जिसे किसानों की हालत सुधारने की कोशिश करनी चाहिये।

ऋण लेने में किसानों को बड़ी परेशानी होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबन्ध किये जाने चाहियें कि किसानों को बिना किसी कठिनाई के ऋण मिल सकें।

देहाती क्षेत्रों में चारागाहों को औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए अर्जित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप चारागाहों की संख्या कम हो रही है। पर्याप्त चारे की कमी से हमारे पशुओं को परेशानी होगी। इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

वनों की संख्या भी कम हो रही है। वन सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : इस देश में खेती मूलभूत उद्योग है। इससे हम लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य, उद्योग के लिए कच्चा माल और पूरा रोजगार मिल सकता है। फिर भी इस देश में खाद्य की कमी एक स्थायी प्रपंच बन गई है जिस से अकाल और दुःख व्याप्त होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अगले अवसर पर अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

---

*केन्द्रीय सरकार के निवृतिवेतन भोगियों को मँहगाई भत्ता दिया जाना

GRANT OF DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT PENSIONERS

Shri George Fernandes (Bombay South): Central Government pensioners had been demanding the grant of dearness allowance to them, because like the Government employees they were victims of rising prices. Delegations on behalf of Central Government pensioners had met all the three Prime Ministers to press their demands. The Prime Ministers had expressed sympathy with their demands. But whenever this matter was raised in this House the Government expressed their inability to do anything in the matter.

***आधे घण्टे की चर्चा**

Half on hour Discussion

High Court Judges, I. C. S. officers and other high Government officials are given some assignment by the Government after their retirement. The result is that they get more than what they get while in service ? But no body is prepared to think of the low.paid employees who face great difficulties after retirement.

During the last 10years the Government have given a small increase to the pensioners. The Government gave this increase as a sort of favour to them but not because they think that they deserve it Justice Das, who was the Chairman of the Central Pay Commission, had observed that pension was an entitlement such as pay of the working employees. Therefore, similar considerations as for pay should be offered to the pensioners not as a matter of grace but as a matter of obligation.

The pensioners were at one time Government employees and during the period of their service they were entitled to dearness allowance. Social Justice demand that the Government should take the responsibility of supporting the pensioners. They should not, therefore, refuse to grant dearness allowance to them.

The Government has always accepted in principle the demand of the Government pensioners. The pensioners have served the Government and the people for a number of years. The Government should, therefore, help them and should not ignore them because they are not in a position to launch an agitation. They should settle the question of giving dearness allowance to the pensioners before long.

उपाध्यक्ष महोदय : नये नियम के अन्तर्गत केवल एक सदस्य, श्री लोबो प्रभु ने नोटिस दिया है और वह अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त मुझे विभिन्न सदस्यों से चार या पाँच पर्चियां मिली हैं। नियमों का अज्ञान एक बहाना नहीं हो सकता। यदि आप क्षमा याचना भी करें तो इसे अदालत में स्वीकार नहीं किया जायेगा। क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और आप में से अधिकांश इसमें दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए मैं केवल एक प्रश्न की अनुमति दूँगा। मैं चेतावनी देता हूँ कि जो आज भाग ले रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि अगली बार क्षमायाचना और बहाने से काम नहीं चलेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम कभी गलती नहीं करेंगे।

Shri S. M. Joshi (Poona): Would the Government give an assurance to the House that a commission would be appointed to look into the question of giving D. A. to Central Government pensioners?

Shri Nitiraj Singh Choudhary (Hoshangabad): Pensions were raised in 1958 and 1960 but compared to the rise in prices the increase was very little. The Government should reconsider the question and states as to what they intend to do in the matter.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : तीन प्रधान मंत्रियों और भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमचारी द्वारा दिये गये आश्वासनों को दृष्टि में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उन की तीन माँगों अर्थात् लघुकरण, महँगाई भत्ते का दिया जाना और चिकित्सा सहायता प्रदान करने की मांगों पर विचार किया है ?

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): Social conditions have totally changed. No retired person can normally expect any support from his children. Prices are also rising. In

view of the changed circumstances the Government ought to consider the question of granting D. A. and making medical aid available to the pensioners.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : इस बातको देखते हुए कि पिछले वेतन आयोग के प्रतिवेदन में महँगाई भत्ता बढ़ाने या निवृत्तिवेतन भोगियों के वेतन कुछ बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, क्या भारत सरकार प्राकृतिक न्याय की भावना से उनकी माँगों पर विचार करेगी ताकि निवृत्ति-वेतन भोगियों के दुःख कम किये जा सकें ?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या मंत्री महोदय भारत पेन्शनर समाज नामक संगठन को कोई आश्वासन देंगे कि भारत सरकार स्वयं तथा राज्य सरकारों के लिए बात-चीत का सिद्धान्त स्वीकार करती है ? सूचना मिली है कि एक राज्य के मुख्य मंत्री ने पेन्शनरों के प्रतिनिधिमण्डल को कहा कि यदि पेन्शनरों को जीवनयापन करने में कठिनाई होती है तो वे आत्म-हत्या क्यों नहीं कर लेते ?

Shri Balraj Madhok (**South Delhi**): When we talk of social security in the name of socialism and when the question of old age pension and other allowances is under consideration, were the pensioners, who served the country and earned their pension, not entitled to some relief in these days of high prices?

Shri Rabi Ray (**Puri**): Arrangements should be made to provide medical facilities and pension to the old people.

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : पेन्शनरों के मामले की सदा उपेक्षा की जाती है। इन लोगों ने कई वर्ष सरकार की सेवा की है और अपने जीवन का सबसे अच्छा समय देश की सेवा में बिताया हैं। इतने लम्बे समय तक देश की सेवा करने के बाद भी उन का कोई ध्यान नहीं रखता।

कीमतों के बढ़ने के कारण पेन्शन का मूल्य बहुत कम हो गया है। इसलिए उचित यह है कि पेन्शनरों को महँगाई भत्ता दिया जाना चाहिये ।

क्या सरकार पेन्शनरों को महँगाई भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो महँगाई भत्ता कब से दिया जायेगा ?

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सरकारी कर्मचारियों और पेन्शनरों के बीच कोई भेद नहीं किया जाना चाहिये। पेन्शरों को महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा और लघुकरण की सुविधाएँ दी जानी चाहिये। यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो इस प्रश्न की जाँच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। जिससे उन लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्टि हो सके।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू का हवाला दिया गया है कि उसे 1,000 रुपये प्रतिमास पेन्शन देने के साथ-साथ सचिवीय सहायता दी गई। मुझे बताया गया है कि सचिवीय सहायता 1,000 रुपये की राशि में शामिल है ।

हम चाहते हैं कि हमारे देश में और अधिक धन हो ताकि सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त,

अन्य व्यक्तियों को भी, जो देश तथा समाज की सेवा करते रहे हैं, वृद्धावस्था में कुछ राहत दी जा सके । हमारे देश के संस्थापकों तथा हमारे संविधान का यही आदर्श रहा है और जो व्यक्ति भी इसके विरुद्ध सोचता है वह संविधान के विरुद्ध है ।

हमने विभिन्न प्रकार के भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों के लिये कल्याणकार्य किये हैं जैसे उनकी पेंशन में 1958 और पुनः 1963 में वृद्धि की गई और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उन्हें दिसम्बर, 1964 से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा भी प्रदान की गई । यह ठीक है कि 1963 से अब तक मूल्य काफी बढ़े हैं और निश्चित आय वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है । कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों को भी सेवा कर रहे कर्मचारियों की तरह महँगाई भत्ता दिया जाना चाहिये । परन्तु यह तो स्वीकार करना होगा कि इन दो श्रेणियों में एक मूल फर्क है और दोनों को एक ही तरह की सुविधा नहीं दी जा सकती । फिर देश की आर्थिक अवस्था भी तो ऐसी नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस संबंध में एक आयोग का गठन किया जाये ।

श्री कृ० चं० पन्त : यदि आयोग धन पैदा कर सके तो मुझे यह सुझाव मान्य होगा जब कि कठिनाई संसाधनों की है । आयोग नियुक्त करने का क्या लाभ यदि उसके द्वारा दिये गये सुझाव धन के अभाव में क्रियान्वित ही न किये जा सकें । इस लिये मेरा निवेदन है कि अभाव आशयों अथवा सहानुभूति का नहीं किन्तु साधनों का है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 30 नवम्बर, 1967/9 अग्रहायण, 1889 (शक) से 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, November 30 1967/Agrahayana 9, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Alld.